IFFDC

Preserving Nature . Nurturing Lives

29वीं th वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2021-22

डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. कटक (ओडिशा) परियोजना कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन

श्री प्रहलाद सिंह, अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी. बीज प्रसंस्करण संयंत्र, दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) में बीज उत्पादक कृषकों को संबोधित करते हुए

विषय सूची
Contents

6 | निदेशक मंडल
Board of Directors

8 | आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड
IFFDC Limited

12 | हमारा दृष्टिकोण
Our Approach

14 | परियोजनाओं का विवरण
Details of Projects

16 | निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

18 | क्लाईमेट एक्शन
Climate Action

18 | सामाजिक वानिकी विकास
Social Forestry Development

24 | जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)
Watershed Management (Ecological Resilience)

30 | जलवायु रोधन परियोजना
Climate Proofing Project

32 | कृषक उत्पादक संगठन
Farmer Producers Organisation

34 | सी.एस.आर. पहल
C.S.R. Initiative

44 | समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास
Integrated Rural Livelihood Development

48 | आजीविका उद्यमिता विकास परियोजना
Livelihood Entrepreneurs Development Project

50 | जनजातीय व सीमांत समुदाय के लिए पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट)
Nutritional and Economic Security for Tribal & Marginalized Communities (NEST)

52 | सार्वभौमिक अवधान
Cross Cutting Interventions

52 | सामुदायिक संस्थायें
Community Institutions

54 | जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण
Gender Mainstreaming and Women Empowerment

58 | क्षमता निर्माण
Capacity Building

62 | बीज एवं अन्य कृषि आदान
Seed and Other Agri-Inputs

62 | बीज
Seed

70 | उर्वरक एवं कृषि रसायन
Fertilisers & Agro-Chemicals

74 | मानव संसाधन विकास
Human Resource Development

76 | प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ
Publicity Activities

78 | आभार
Acknowledgements

80 | पुरस्कार तथा सम्मान
Awards and Recognitions

82 | सहयोगी संस्थाएं
Support Organisations

84 | वित्त एवं लेखा - वित्तीय स्नॉपशॉट
Finance & Accounts - Financial Snapshot

85 | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

88 | तुलन पत्र
Balance Sheet

89 | लाभ हानि लेखा
Profit & Loss Account

90 | वित्तीय कथनों पर टिप्पणियाँ
Notes on Financial Statements

104 | नकदी प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement

आई.एफ.एफ.डी.सी.

एक दृष्टि में

आजीविकास उत्थान सुनिश्चितीकरण **5.5** लाख परिवार से अधिक

8515 आदिवासी परिवार विकसित फलोद्यान **3,406** हैक्टेयर

बंजर भूमि पर वृक्षारोपण (संचयी क्षेत्र) **29,421** हैक्टेयर

कुल विद्यमान वृक्ष **109** लाख

272 चैक डैम
1159 तालाब
1293 कुँए
326 एल.डी.पी.ई. टैंक

उपचारित क्षेत्र **17,740** हैक्टेयर

गठित स्वयं सहायता समूह **1,896** (सदस्यता 19,403) (94% महिला सदस्य)

कृषक उत्पादक संगठन **86** (45,935 सदस्य)

कुल संवर्द्धित सामुदायिक संस्थाऐं **2854** (1,00,858 सदस्य)

प्रमाणित बीज उत्पादन **2.61** लाख क्विंटल

प्रमाणित बीज विपणन **4.02** लाख क्विंटल

उर्वरक विपणन **19.64** लाख मैट्रिक टन

जल विलेय उर्वरक एवं स्पेसिएलिटी उर्वरक **0.32** लाख मैट्रिक टन

नैनो यूरिया बोतल **37.25** लाख (संख्या)

सागरिका दानेदार **0.15** लाख मीट्रिक टन
तरल **2.68** लाख लीटर

जैव उर्वरक **1.42** लाख लीटर

IFFDC *at a glance*

Ensuring Livelihood Improvement More than 5.5 lakh families

Tribal Families 8515
Fruit Orchard Developed 3,406 ha

Wasteland Afforested (Cum. Area) 29,421 ha
Total Existing Trees 109 Lakh

272 Checkdams, 1159 Ponds 1293 Wells, 326 LDPE Tanks

Area treated 17,740 ha

Self Help Groups Formed 1,896
(Membership 19,403)
(94% women members)
Farmers Producer Organisation (FPO) 86
(45,935 members)
Total Community Institutions Developed 2854
(1,00,858 members)

Certified Seed Production 2.61 Lakh qtl.

Certified Seed Marketing 4.02 Lakh qtl.

Fertiliser Marketing 19.64 Lakh MT

WSF and Speciality Fertilisers 0.32 Lakh MT

Nano Urea Bottle 37.25 Lakh (Nos.)

Sagarika Granular 0.15 Lakh MT
Liquid 2.68 Lakh Litres

Bio-Fertiliser 1.42 Lakh Litres

IFFDC
Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

मिशन

क्लाईमेट एक्शन (जलवायु परिवर्तन में कमी, अनुकूलन व सहनशीलता विकसित करना) हेतु संगठित प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों के चिरन्तर प्रबन्धन द्वारा लोगों के सामाजिक – आर्थिक स्तर का उत्थान।

विज़न

चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की क्षमताओं में वृद्धि करके उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करना एवं उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति हो ताकि वे अपने मूलाधार संसाधनों की वृद्धि एवं विकास कर, एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

उद्देश्य

- एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के माध्यम से क्लाईमेट एक्शन।
- पारिस्थितिकीय संतुलन एवं चिरंतर ग्रामीण आजीविका संसाधनों के लिए बंजर भूमि का विकास।
- सी.एस.आर. के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कृषि उत्पादन, पशुधन विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार सृजन, खेलकूद, संस्थागत विकास एवं पर्यावरण सुधार की गतिविधियों का क्रियान्वयन
- स्वयं व अपनी सदस्य समितियों की ओर से आवश्यकता अनुसार बीज, कृषि आदानों, कृषि औजारों/मशीनों व अन्य सहायक वस्तुओं का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण व विपणन संबधी कार्य करना।
- सदस्यों/सामुदायिक संस्थानों को वित्तीय, तकनीकी, विस्तार एवं विपणन सेवायें प्रदान करना।

Mission

To enhance the socio-economic status of the people through collective action by Sustainable Natural Resources Management for climate action (mitigation, adaptation and resilience development).

Vision

Assisting the poor to enhance their capabilities for attaining their aspirations; Creating enabling environment for the poor to access new opportunities and develop & enhance resource base essential for leading a dignified life through sustainable community institutions.

Objectives

- Climate action through Integrated Natural Resources Management and Farming System Approach.
- Wasteland development for ecological balance and engendering sustainable rural livelihood resources.
- To undertake CSR initiatives on Community Health and Sanitation, Safe Drinking Water, Agriculture Production, Livestock Development, Women Empowerment, Education, Skill Development & Employment Generation, Sports, Institutional Development and Environment Up-gradation.
- To undertake production, processing, distribution and marketing of seed and other need based Agricultural Inputs, Agricultural Implements / Machineries and other allied articles on its own or on behalf of its members.
- To provide Financial, Technical, Extension and Marketing services to members /community institutions.

IFFDC
Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

निदेशक मंडल
Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman
प्रहलाद सिंह
Prahlad Singh

उपाध्यक्ष / Vice-Chairman
दया कृष्ण भट्ट
D.K. Bhatt

निदेशक / Director
योगेंद्र कुमार
Yogendra Kumar

निदेशक / Director
गुरु प्रसाद त्रिपाठी
G.P. Tripathi

निदेशक / Director
इंदरजीत कौर
Inderjeet Kaur

निदेशक / Director
राजपती सिंह
Rajpati Singh

निदेशक / Director
लीला कँवर
Leela Kanwar

निदेशक / Director
छोटेलाल पाण्डेय
Chhotelal Pandey

निदेशक / Director
दीनानाथ सिंह सोलंकी
Deenanath Singh Solanki

निदेशक / Director
अंकित परिहार
Ankit Parihar

निदेशक / Director
आदित्य यादव
Aditya Yadav

प्रबंध निदेशक / Managing Director
एस.पी. सिंह
S.P. Singh

पूर्व अध्यक्ष
Ex-Chairman

डा. वी. कुमार
Dr. V. Kumar
(अक्टूबर 22, 1993–फरवरी 11, 2003)
(October 22, 1993-February 11, 2003)

दयाकृष्ण भट्ट
D.K. Bhatt
(फरवरी 12, 2003–जून 25, 2009)
(February 12, 2003-June 25, 2009)

गुरु प्रसाद त्रिपाठी
Guru Prasad Tripathi
(जून 26, 2009–जून 21, 2019)
(June 26, 2009-June 21, 2019)

उमेश त्रिपाठी
Umesh Tripathi
(जून 22, 2019–मार्च 25, 2022)
(June 22, 2019-March 25, 2022)

पूर्व मुख्य कार्यकारी
Ex-Chief Executives

स्व. डा. ओ.पी. गौड़
Late Dr. O.P. Gaur
(अक्टूबर 22, 1993–अगस्त 31, 2000)
(October 22, 1993-August 31, 2000)

अशोक आलम्बेन
Ashok Alambain
(सितम्बर 01, 2000–सितम्बर 03, 2002)
(September 01, 2000-September 03, 2002)

स्व. डा. पी.एस. मरवाहा
Late Dr. P.S. Marwaha
(सितम्बर 03, 2002–सितम्बर 02, 2008)
(September 03, 2002-September 02, 2008)

प्रवीण अग्रवाल
Praveen Agarwal
(सितम्बर 03, 2008–अक्टूबर 13, 2008)
(September 03, 2008-October 13, 2008)

डा. के.जी. वानखेड़े
Dr. K.G. Wankhede
(अक्टूबर 14, 2008–अगस्त 31, 2015)
(October 14, 2008-August 31, 2015)

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड

हमारे बारे में

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.) वर्ष 1993 में अस्तित्व में आई, जबकि इसका कार्य वर्ष 1986–87 में पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। इसकी प्रवर्तक संस्था, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में प्रक्षेत्र वानिकी के द्वारा पर्यावरण संतुलन एवं बंजर भूमि विकास का कार्य प्रारम्भ किया था, जिसे, देश भर में ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ समन्वित कर आगे बढ़ाने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया था।

सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन के साथ–साथ जलग्रहण प्रबंधन, जलवायु अवरोधन, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा, आजीविका उत्थान, सी.एस.आर. पहल, महिला सशक्तिकरण, कृषक उत्पादक संघ सहित सामुदायिक संस्था निर्माण, कौशल विकास तथा आय अर्जन, बीज उत्पादन एवं कृषि आदान आपूर्ति आदि के द्वारा अपने पोर्टफोलियो के विविधीकरण तथा विस्तारीकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। जिसमें, समुदाय की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहभागी पद्धतियों को अपनाया गया।

पिछले एक दशक से, संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार कर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में भी निरन्तर रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। संस्था, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के अन्तर्गत 18 राज्यों के 10,616 से भी अधिक गांवों में कार्यरत है तथा इसने अब तक 334 करोड़ रुपये से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया है।

फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य के साथ, आई.एफ.एफ.डी.सी. किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति करने के लिए बीज उत्पादन एवं विपणन कार्यक्रम का संचालन कर रही है तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि–आदानों की आपूर्ति भी की जा रही है।

जैतपुर कछया (मध्य प्रदेश) वानिकी समिति अंतर्गत बंजर भूमि में विकसित सघन वन

IFFDC Ltd.

About Us

Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (IFFDC) came into existence formally in 1993 although its work had begun in 1986-87. Its promoter, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), had launched programmes of eco-restoration and wasteland development through farm forestry in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan and these programmes were subsequently handed over to the IFFDC for being scaled up and integrated with rural livelihood development and poverty alleviation programmes in the country.

Based on Community Needs, IFFDC has diversified its portfolio and has broadened its focus to include in addition to Farm Forestry and Climate Change, activities such as Watershed Management, Climate Proofing, Nutritional and Economic Security, Livelihoods, CSR initiative, Women Empowerment, Community Institution Building including Farmer Producer Organisations, Skill Development & Income Generation, Seed Production and Agri-Input Supply etc. This has been done by adopting approaches that are participatory in nature and designed to cater to the emerging and evolving needs of the community.

Over the past decade, IFFDC has also expanded its territorial scope of action and started sustained operations in the States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamilnadu and Kerala. With its presence in more than 10,616 villages across 18 States covering all the agro-climatic zones, it has so far implemented rural development projects worth more than Rs. 334 crore.

With the objective to increase crop production & productivity, IFFDC is also undertaking Seed Production and Marketing Programme to provide quality seed and also supplying quality agri-inputs to farmers.

A view of 28th Annual General Meeting of IFFDC through Video Conferencing and Physical mode

वैधानिक स्थिति

संस्था का पंजीयन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम (एम.एस.सी.एस.), 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002) के अंतर्गत सहकारिता एवं कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 22, 1993 को किया गया। इसकी पंजीयन सं. MSCS/CR/37/93 है।

सदस्यता

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), राज्य सहकारी संघ, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), इसकी सदस्य हैं। 31 मार्च, 2022 को 172 सहकारी समितियाँ, आई.एफ.एफ.डी.सी. की सदस्य हैं।

शेयर पूँजी

100 करोड़ रु. की अधिकृत शेयर पूँजी के सापेक्ष 31.03.2022 तक इसकी अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी 13.37 करोड़ रुपये है, जो निम्नानुसार है:–

प्रत्येक शेयर का मूल्य (₹)	शेयर धारक	शेयरों की संख्या
50,000	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड	2,507
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	8
10,000	उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	1
	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड	1
1,000	प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ लिमिटेड एवं प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ लि.	7,935

गवर्नेंस

ग्रामीण समुदाय के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गवर्नेंस संरचना सहकारिता के मूल्यों एवं सिद्धांतों के उच्चस्तरीय मानकों को ध्यान में रखते हुए बहुराज्यीय सहकारी सिमिति अधिनियम/नियमावली 2002 के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गयी। इसके आन्तरिक प्रबन्धन एवं कार्य, इसके उपनियमों के अनुसार ही संचालित किये जाते हैं।

संस्था के ढाँचे में व्यवसाय पारदर्शिता, आन्तरिक नियंत्रण एवं समीक्षा प्रक्रियाएं समाहित हैं। समिति की नीतियाँ एवं कार्य पद्धतियाँ न केवल सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करती हैं बल्कि, इसके भागीदारों के सर्वोच्च हितों को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।

निदेशक मण्डल

आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में विविधि पृष्ठभूमि वाले, प्राथमिक स्तर के निर्वाचित सहकारगणों के साथ–साथ संस्थाओं के प्रतिनिधित्व हेतु नामित व सहयोजित 12 सदस्य हैं। जिनसे, अंशधारक सदस्यों की आवश्यकता एवं हितों की पूर्ति सुनिश्चित होती है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के क्रम में निदेशक मण्डल में दो स्थान महिला निदेशकों के लिए आरक्षित किये गये हैं।

क्रियान्वयन स्तर पर आई.एफ.एफ.डी.सी., सामाजिक एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विविध क्षेत्रों जैसे कृषि, इंजीनियरिंग, सामाजिक, सहकारिता, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन एवं सामान्य प्रबंधन में दक्ष तथा उच्च अनुभव रखने वाले प्रबंधकों के माध्यम से कार्य करती है।

Legal Status

IFFDC was registered on 22nd October, 1993 by the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India as a Multi-State Cooperative Society under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 1984 (subsequently under the MSCS Act 2002) with Registration No. "MSCS/CR/37/93".

Membership

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. (IFFCO), National Co-operative Development Corporation (NCDC), State Cooperative Federations, Primary Farm Forestry Co-operative Societies (PFFCS) and Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS) are members of the IFFDC. As on March 31, 2022, IFFDC has 172 Cooperative Societies as its members.

Share Capital

Against an authorized share capital of Rs. 100 crore, the IFFDC's subscribed and paid-up capital as on 31.03.2022 is Rs. 13.37 crore illustrated as under:

Value of Each Share (₹)	Shareholders	No. of Shares
50,000	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited	2,507
	National Cooperative Development Corporation	8
10,000	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.	1
	Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd.	1
1,000	Primary Farm Forestry Cooperative Societies Ltd. and Primary Livelihood Development Cooperative Societies Ltd.	7,935

Governance

Committed to the integrated development of India's rural community, the IFFDC governance structure is designed adhering to the highest standards of Cooperative Values and Principles and is in conformity with the provisions of the Multi State Cooperative Societies Acts & Rules, 2002. Its internal management and functions are guided by its Bye-laws.

With business systems and processes in place that are designed for transparency, internal control and enabling adequate review, IFFDC's policies and practices are not only consistent with current statutory requirements, but also reflect its commitment to ensure the best interests of its members/stakeholders.

Board of Directors

IFFDC has 12 members on the Board of Directors from diverse backgrounds comprising of grassroots based elected co-operators as well as nominated and co-opted members, who represent institutions that cater to the need and interests of its shareholders. Two seats on the Board are reserved for elected women Directors to represent the constituency of women.

On its operational front, IFFDC functions through skilled managers, who have wide experience & expertise in diverse fields related to social and rural development, such as agriculture, engineering, social, cooperation, finance, information technology, marketing and general management.

हमारा दृष्टिकोंण

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य उद्देश्य विकास की गति में ग्रामीण समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों का उत्थान करना है। इसकी यह धारणा है कि, ग्रामीण विकास, इन समुदायों की प्रत्येक स्तर पर सक्रिय भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो, इसकी समग्र सहभागी पहुँचों में समाहित है तथा क्षमताओं के निर्माण में विशेष बल के साथ इसके विविध पोर्टफोलियो में अन्तःनिर्मित है। समुदायों को परस्पर सहबद्ध रखने और मुख्य रूप से इसके अवधानों को दीर्घावधि तक चिरन्तर बनाये रखने के लिए सहकारिता के मार्ग पर आधारित संस्थागत निर्माण करना ही इसके कार्यक्रमों का प्रमुख आधार रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने विकास एवं सम्बन्धित धारणाओं की उभरती आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप प्रादुर्भावित विशिष्ट मुद्दों पर कार्य करने के लिए तदानुसार अपनी रणनीतियाँ बनाईं। संस्था के पिछले दो दशकों के अर्जित अनुभवों ने इसके नये क्रियाकलापों को निश्चित किया, जिससे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संस्था को अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में मदद मिली।

प्रारंभिक तौर पर प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सम्बोधित कर वर्तमान समय में, वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने समयानुसार विभिन्न पोर्टफोलियों को अपनी कार्यप्रणाली में सम्मिलित करते हुए अपने ग्रामीण विकास के मुद्दों का विस्तारीकरण किया जिनमें अधिकांशतया इसके ग्रामीण विकास की कार्यसूची में से उभर कर आये हैं जो निम्नानुसार हैः

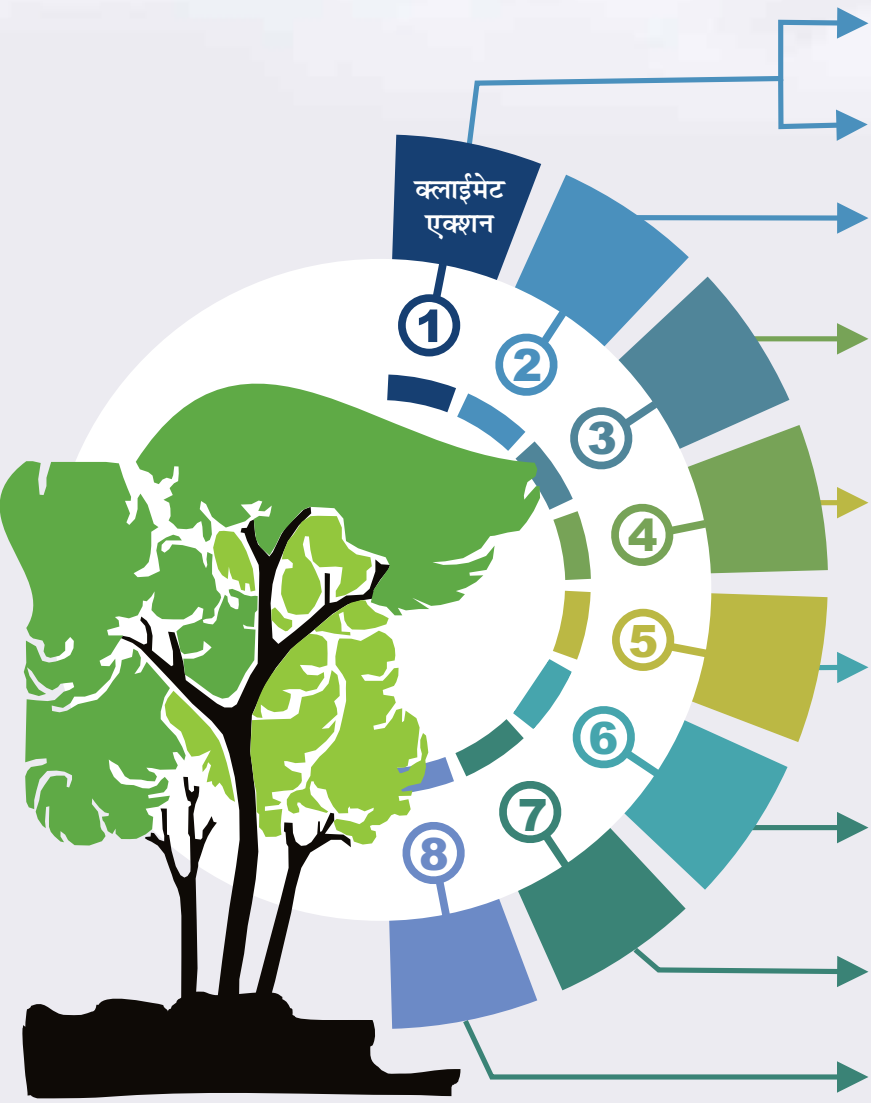

1. सामाजिक वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन शमन
2. जलग्रहण विकास, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिस्कंदन विकसित करने हेतु जलवायु अवरोधन
3. कृषक उत्पादक संघ संवर्धन (एफ.पी.ओ.)
4. चिरन्तर ग्रामीण आजीविका विकास
5. सी.एस.आर. पहल
6. आदिवासी व सीमान्त समुदाय के लिए पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट)
7. सार्वभौमिक अवधान (सामुदायिक संस्थाएं, जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण एवं स्वास्थ्य)
8. बीज उत्पादन एवं विपणन – खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, चारा फसलें, संकर बीज, सब्जी फसलें

कृषि–आदान – उर्वरक, जल विलेय उर्वरक एवं स्पेसिएलिटी उर्वरक, सागरिका, जैविक–खाद, इफको नैनो यूरिया (तरल) इत्यादि

Our Approach

IFFDC's aim is to trigger development in rural areas and enhance livelihood options of rural communities. Its conviction that this can be best achieved only with the active involvement of the communities that it works amongst, has engendered its overall participatory approach alongwith emphasis on capacity building that is in-built in its numerous portfolios. For holding communities together, and importantly, to ensure among other things, long term sustainability of its interventions, Institution Building, following the cooperative route, has been a major plank of its programmes.

IFFDC has accordingly framed its strategies to deal with specific issues arising as a corollary to the fast growing development needs and the aligned imperatives. Its wealth of accumulated experience of the past two decades has in turn helped to create for it a distinct niche in the rural development arena.

Starting out primarily as a Farm Forestry Cooperative that would address the issue of Climate Change, which had at the time caught the attention of the global community, IFFDC has over the time expanded its areas of concern to include several portfolios, most of these emerging out of its primary agenda of rural development are as follows:

परियोजनाओं का विवरण

(अ) इफको द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. सामाजिक वानिकी परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड)
2. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.), ओडिशा
3. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.), पश्चिम बंगाल

(ब) नाबार्ड द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. जल ग्रहण विकास परियोजना – अमरीती, ब्लॉक मझगवाँ, जिला सतना (मध्य प्रदेश) एवं सुरखी–घाना, ब्लॉक सुरखी, जिला सागर (मध्य प्रदेश)
2. भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम – 10,000 कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन परियोजना के अंतर्गत सात राज्यों अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन
3. सागर एवं सतना (मध्य प्रदेश) जिलों में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित "ग्रामीण आजीविका उद्यमिता परियोजनाएं"
4. जलवायु अवरोधन परियोजना, करैया–सुरखी, जिला सागर (मध्य प्रदेश)

(स) राज्य सरकारों द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. सहकारी निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्तपोषित नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक एवं अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक में राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (एस.आई.सी.डी.पी.)
2. भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम– 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन परियोजना के अंतर्गत चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड एवं गुजरात राज्यों में एन.सी.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन

(द) सी.एस.आर. परियोजनाएँ

1. इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहायतित इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं बिहार
2. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (आई.आई.आर.डी.पी.) – राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुवाडिया, मसुदा, जिला अजमेर (राजस्थान)
3. मित्सुई एंड कं. लि. के "मीट ट्रस्ट" द्वारा सहायतित रेवाड़ी, हरियाणा में अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में बर्मा नीम प्रजातियों के अनुकूलन का अध्ययन
4. मित्सुई एंड कं. लि. द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बागवानी विभाग के विभिन्न पार्कों का ग्रीन बेल्ट विकास

(य) नई परियोजनाओं की शुरुआत

1. इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहायतित इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, छत्तीसगढ़ एवं बिहार

Details of Project

(A) IFFCO Supported Projects

1. Social Forestry Projects (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand)
2. Rural Livelihood Development Project (RLDP), Odisha
3. Rural Livelihood Development Project (RLDP), West Bengal

(B) NABARD Supported Projects

1. Watershed Development Project - Amriti, Block Majhgawan, Distt. Satna and Surkhi-Ghana, Block Surkhi, Distt. Sagar (Madhya Pradesh).
2. Promotion of FPOs in seven States i.e. Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Madhya Pradesh and Maharashtra States under Central Sector Scheme of Government of India for promotion of 10,000 Farmers Producer Organisations funded by NABARD.
3. "Rural Livelihood Entrepreneurship Projects" funded by NABARD in the districts of Sagar and Satna (Madhya Pradesh).
4. Climate Proofing Project, Karaiya-Surkhi, Distt. Sagar (Madhya Pradesh)

(C) Projects Supported by State Governments

1. State Integrated Cooperative Development Project" (SICDP) for Dhari Block of Distt. Nainital and Lamgara Block of Distt. Almora funded by Directorate of Cooperative, Govt. of Uttarakhand.
2. Promotion of FPOs in four States i.e. Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand and Gujarat States under Central Sector Scheme of Government of India for promotion of 10,000 Farmers Producer Organisation funded by NCDC.

(D) CSR Projects

1. IFFCO-Tokio's Integrated Rural Development Project Madhya Pradesh, West Bengal, Chhattisgarh and Bihar funded by IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.
2. "IFFCO-Tokio's Integrated Rural Development Project (IIRDP)-Promoting Education" in Government Senior Secondary School at Guwadia, Masuda, Distt. Ajmer (Rajasthan).
3. Research Study on adaptability of different varieties of Melia Composita (Burma Neem) in Semi-Arid Region of Haryana funded by "Meet Trust" of Mitsui & Co. Ltd.
4. Green Belt Development Project in Delhi NCT in Different Parks of Horticulture Department funded by Mitsui & Co. Ltd. under CSR Initiative.

(E) New Projects Mobilised

1. IFFCO-Tokio's Integrated Rural Development Project, Chhattisgarh and Bihar funded by IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.

निदेशकों की रिपोर्ट

माननीय सहकार बन्धुओं,

आपकी संस्था की वर्ष 2021–22 के लिए 29वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि, आपकी समिति ने अब तक का दूसरा सर्वाधिक कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। आपकी समिति ने अब तक का दूसरा सर्वाधिक टर्नओवर 2746 करोड़ रुपये का प्राप्त किया जो पिछले वर्ष 3105 करोड़ रुपये था। समिति ने ग्रामीण समुदाय को मार्गदर्शित करते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल कर, उनके सम्मान और अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करते हुये, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने में समर्पित होकर गौरवशाली 29 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं।

समिति की छवि को सुदृढ़ करने के क्रम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोरम जैसे इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलाइंस (आई.सी.ए.), उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (टी.एफ.आर.आई.) व अन्य सहकारी मंचों पर आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रतिनिधित्व किया।

संस्था के कर्मचारियों के सतत् प्रयासों के कारण सरकार एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से परियोजनाऐं लाने में संस्था ने सफलता प्राप्त की है। आप सभी को ज्ञात है किए आपकी समिति द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों गतिविधियों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मैं पिछले वर्ष की विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

आपकी समिति ने बीज उत्पादन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर वृद्धि कर किसानों को वृहद् स्तर पर संकर प्रजाति व सब्जियों के बीजों सहित गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे निसंदेह उत्पादकता में वृद्धि एवं समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा में आवश्यक रूप से दीर्घकालिक अनूकूल प्रभाव होगा।

देश के किसानों में विश्व के प्रथम आविष्कार "इफको नैनो यूरिया (तरल)" के संवर्द्धन व आपूर्ति में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 37.25 लाख इफको नैनो यूरिया (तरल) बोतलों का विपणन किया गया जिससे 1.86 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रतिस्थापित हुआ।

मुझे आपको यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि, बहुत सी नयी परियोजनाओं और निरंतर चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनके चिरन्तर संचालन में सफलता प्राप्त करने के साथ–साथ आपकी समिति को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला तथा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा "इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना" क्रियान्वयन में सहयोग करने हेतु एक विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। वर्ष के दौर पोर्टफोलियोवार प्रगति इस प्रकार है:–

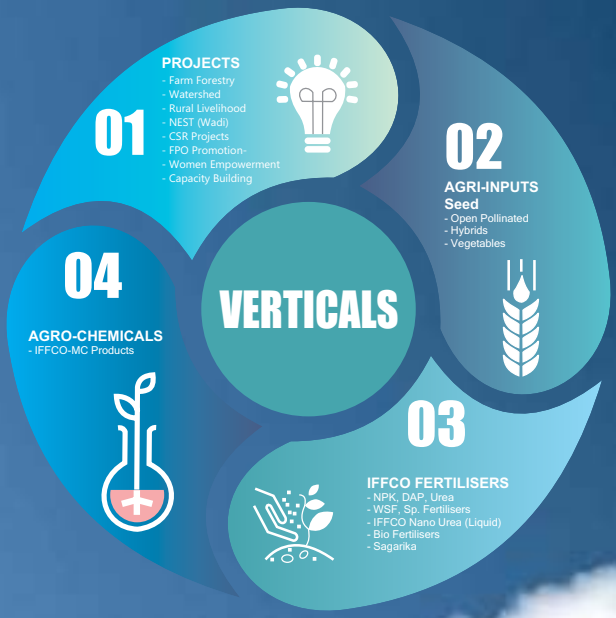

Director's Report

Honourable Co-operators,

It is my great privilege to place before you the 29th Annual Report of your Society for the year 2021-22. I would like to begin with congratulating each and every one of you on completion of 29 glorious years of your society as it earned second ever highest profit before tax. Moreover, the society achieved second ever highest turnover of Rs. 2746 crore in comparison to last year's turnover of Rs. 3105 crore. It is fully dedicated to guiding the rural community, metaphorically speaking, out of 'Darkness' into 'Light', or in other words, bringing them out of poverty to self respect and the ability to shape their destinies, by equipping them with skills and building their capacity.

For boosting IFFDC image, efforts were made by representing at National and International Forums such as "International Cooperative Alliance (ICA)", "Tropical Forest Research Institute (TFRI)" & other Cooperative Platforms.

It was possible only due to sincere efforts by your Society's dedicated staff, their will and perseverance to mobilise projects from different funding agencies as well as Government. You are all aware of the good work being done by your Society across the country and covering a wide range of activities. I would like to highlight a few special areas of achievements in the last year that are noteworthy.

A major contribution has been the further upscaling of the Seed Production Programme to make available wide range of quality seed including hybrid seeds & Vegetable seeds to farmers, which will undoubtedly go a long way towards improving productivity and impact favourably for food security.

IFFDC has played an important role in promotion and supply of World's First Innovation "IFFCO Nano Urea (Liquid)" amongst farmers of our country. 37.25 Lakh IFFCO Nano Urea (Liquid) Bottles marketed thereby replacing 1.86 Lakh MT of Urea.

It is also a matter of great pride for me to inform you that along with various new & ongoing projects that has been successful in initiating and sustaining, your Society has been assigned a significant responsibility for facilitating CSR Project "IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project" (IIRDP) in Muzaffarpur District of Bihar and Gariaband District of Chhattishgarh by IFFCO-Tokio General Insurance Co. Limited. Portfolio-wise progress during the year is as follows:-

क्लाईमेट एक्शन

विश्व के सभी देशों द्वारा विकास की दिशा में कार्य करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 17 सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम, समन्वित जलग्रहण प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन शमन की गतिविधियों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य – 13 "क्लाईमेट एक्शन" की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

1. सामाजिक वानिकी विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य कार्यक्रम प्रक्षेत्र वानिकी विकास है जिसमें, किसानों की व्यक्तिगत, ग्राम पंचायत तथा राजकीय राजस्व बंजर व सीमांत भूमियों पर सहभागी वानिकी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संबंधित ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (पी.एफ.एफ.सी.एस.) के माध्यम से संगठित किया गया है। ये समितियां, सामुदायिक वनों का चिरंतर आधार पर प्रबन्धन करने में मुख्य सामुदायिक संस्था के रूप में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन पी.एफ.एफ.सी.एस. को आवश्यक तकनीकी, वित्तीय, क्षमता निर्माण, संबंध विकसित करने, विपणन एवं स्त्रोत जुटाने से संबंधित आदानों के लिए सहायता की जा रही है। इसके अवधानों के फलस्वरूप, 500 से अधिक गांवों में न सिर्फ हरीतिमा विकसित हुई है बल्कि, बंजर भूमि भी पुनःरक्षित हुई है। वर्तमान में, विद्यमान वनों से आर्थिक लाभ केवल चुनिंदा कटाई घास एवं लघु वनोपज आदि तक सीमित है, जिसे समुदाय के लाभ हेतु अन्य वातावरणीय सेवाओं के माध्यम से और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के समग्र दृष्टिकोण का ध्यान, अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे अवैध कटाई व अतिक्रमण को रोकना, हितधारकों के आर्थिक लाभ के लिए बेहतर वनोपज प्रदान करने, इन वनों के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के व्यवसाय जैसे अन्य वैकल्पिक अवसरों तथा इस भूमि के उपयोग अधिकारों को पुनः परिभाषित करने आदि पर भी केन्द्रित है। वानिकी समितियों को चिरन्तरता हेतु आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में शीघ्र बढ़वार वाली व्यावसायिक उन्नत पौध प्रजातियों के रोपण व कृषि आदानों के व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने वृक्षारोपण हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्यों में कई दशकों से वृहद् स्तर पर खाली पड़ी हुई बंजर भूमि की पहचान कर अधिग्रहित की। यह बंजर भूमि, राजस्थान में ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में निजी कृषकों तथा मध्य प्रदेश में राजस्व के स्वामित्व वाली है। सामुदायिक वानिकी के प्रबंधन हेतु 152 प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.) विकसित की गयी हैं। इन वानिकी सहकारी समितियों के अंतर्गत वानिकी उन्नयन पर "अनुसंधान व विकास" का कार्य भी किया जा रहा है। इफको की सहायता और वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के तकनीकी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की समितियों में नीम (अजाडीरेक्टा इंडिका) के 153 जीनोटाइप्स के चार शोध परीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा, नीम की 44 संततियों का एक जीन बैंक राजस्थान की चौकड़ी वानिकी समिति में स्थापित किया गया। स्वदेशी प्रजातियों का सघन व अल्पावधि में वन विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश की कनकसिंहपुर वानिकी समिति में 'मियावाकी पद्धति' (एक जापानी तकनीकी) अपनायी गयी।

सागर (मध्य प्रदेश) जिले की जैतपुर–कछया वानिकी समिति में विकसित सघन वन

Climate Action

United Nations General Assembly defined 17 Sustainable Development Goals (SDG) to act upon by the World. IFFDC has significant contribution towards SDG-13 "Climate Action" through its social forestry development programmes, integrated watershed management, climate proofing activities etc.

1. Social Forestry Development

IFFDC's flagship programme of Farm Forestry focuses on mitigating climate change effects through developing participatory forestry on waste and marginalised lands belonging to individual farmers, village panchayats and Government. The concerned communities are organised into Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS), designed as the key community institutions to manage and maintain the developed community forests, on a sustainable basis.

IFFDC supports the PFFCS with the necessary technical, financial, capacity building, networking, marketing and resource mobilisation inputs. As a result of its intervention, green cover has not only been improved in more than 500 villages, but degraded lands have also been restored. Economic returns from existing forests, presently restricted to selective felling, grasses and Minor Forest Produce (MFPs) etc., however, it needs to be accelerated for other environmental services/benefits to the community.

The integrated approach of the IFFDC also led to attention being given to related activities such as control of illegal felling, prevention of encroachment, better forest yield for improving economic returns to the stakeholders, options such as trading of carbon credits generated through these forests and defining the usufruct rights of these lands, etc. The PFFCS are being encouraged to undertake plantation of improved fast growing plant species and business of Agri-inputs for Economical Self-sufficiency and sustainability.

IFFDC identified large tracts of wasteland for afforestation, which had been lying almost barren for decades in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand. These acquired wastelands are Panchayat lands in Rajasthan, individual lands in Uttar Pradesh & Uttarakhand and Revenue land in Madhya Pradesh. 152 Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) have been Developed for management of the community forestry. The research and development work on Forestry improvement is undertaken by these PFFCS. Four research trials of 153 Genotypes of Neem (Azadirachta indica) has been undertaken in the PFFCS of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh with the help of IFFCO and under the technical guidance of Forest Research Institute, Dehradun. Moreover, a Gene bank of 44 progenies of Neem has been established in Chaukdi PFFCS of Rajasthan. The 'Miyawaki' method (A Japanese Technique) for developing fast and dense forest of indigenous species has also been adopted in Kanaksinghpur PFFCS of Uttar Pradesh.

Forests developed on the embankment of Sai River at PFFCS Malikmau, Distt. Raebareli (Uttar Pradesh)

परियोजना विवरण

राज्य	जिला	कुल क्षेत्र (हेक्ट.)	कुल विद्यमान वृक्ष (लाख)
उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी, उन्नाव	12,951	51.39
उत्तराखण्ड	नैनीताल, चम्पावत	207	0.87
राजस्थान	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद	9,713	20.85
मध्य प्रदेश	सागर, छतरपुर, टीकमगढ़	6,550	35.44
	योग	**29,421**	**108.55**

सामाजिक वानिकी में नये अवधान

(अ) कृषि वानिकी प्रणाली विकास

भारतीय वन लगभग 2750 लाख लोगों की आजीविका चलाने में मदद करते हैं तथा ये जलवायु परिवर्तन शमन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने यू.एन.एफ.सी.सी.सी. को वर्ष 2030 तक वानिकी क्षेत्र से 250–300 करोड़ टन कार्बन का स्वैच्छिक रूप से अवशोषण करने के निश्चिय का वादा किया। यदि भारत के सभी खुले वनों को संरक्षित कर लिया जाये तो भी मात्र 9 लाख टन अतिरिक्त कार्बन को घटाया जा सकता है, शेष कार्बन की मात्रा में कमी को वन क्षेत्रों से बाहर वृक्ष उगाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष उगाने के लिए कृषि वानिकी भी एक अच्छा विकल्प है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि, कृषि वानिकी विकास को बढ़ावा दिया जाये। इसलिए भारत सरकार की एन.डी.सी. प्रतिबद्धता के संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसानों के खेतों पर कृषि वानिकी विकसित करने के लिए एक नई पहल की है। यह न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है बल्कि, किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में भी मदद करता है। इस प्रकार, एन.डी.सी. प्रतिबद्धता में योगदान करने के साथ–साथ कृषि वानिकी, भारत सरकार के मिशन "किसानों की आय को दुगुनी करना" में भी मदद करता है।

कृषि वानिकी के अंतर्गत रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ व्यावसायिक उपयोग, शीघ्र बढ़ने वाली तथा जल्दी परिपक्व होने वाली हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु चयनित पौध प्रजातियाँ मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम) तथा सहजन आदि हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों में 236 किसानों के खेतों पर कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल 1.49 लाख पौधे लगाये गये।

चिरला–भगवतपुर प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति में कृषि–उद्यानिकी प्रणाली के अंतर्गत उत्पादित केला की फसल

PROJECT DETAILS

State	District	Total Covered Area (ha)	Total Existing Trees (Lakh)
Uttar Pradesh	Sultanpur, Raebareli, Allahabad, Kaushambi Pratapgarh, Lucknow, Amethi, Unnao	12,951	51.39
Uttarakhand	Nainital, Champawat	207	0.87
Rajasthan	Udaipur, Chittorgarh, Rajsamand	9,713	20.85
Madhya Pradesh	Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh	6,550	35.44
	Total	**29,421**	**108.55**

New Initiatives in Social Forestry

(a) Agro-forestry System Development:

Indian Forests are helping to livelihood of about 2750 lakh people and important for mitigating Climate Change. The Government of India has communicated to UNFCCC to achieve voluntarily additional 2.5-3 billion tonnes of CO_2 e by 2030 from forestry sector. If all of India's open forests are taken up for restoration, only about 0.9 million tonnes of CO_2e worth additional carbon sink can be created. The balance will need to come from Trees outside Forests (ToF). Agro-forestry is one of the best options for developing ToF. Therefore, it becomes imperative to focus on the potential of ToF. Therefore, in context of India's NDC commitment, IFFDC has undertaken new Initiative to develop agro-forestry on farmer's fields. It not only helps in mitigating the Climate Change but also help in generation of additional income to the farmers. Thus, besides contributing to NDC commitment, the Agro-forestry also contributes toward the mission "Doubling Farmer's Income" of Govt of India.

The species planted under agro-forestry are of commercial use, fast growing and early maturing. Such plant species selected for agro-forestry plantations are Melia composita (Burma Neem) and Sahajan etc. During the year 2021-22, total 1.49 lakh saplings have been planted on the fields of 236 farmers in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh.

Plantation of Melia composita (Burma Neem) under Agro-Forestry System in Roliya PFFCS, District Chittorgarh (Rajasthan)

(ब) कृषि उद्यानिकी प्रणाली विकास

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एन.एच.एम.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा भारत सरकार के एन.एच.एम. एवं "मिलेनियम डवलपमेंट गोल" – "गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन" में सहयोग करने के लिए अपने विद्यमान घटक प्रक्षेत्र वानिकी व जलवायु परिवर्तन में कृषि वानिकी को सहयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अतिरिक्त आय सृजन कराना है और उनके परिवारों के लिए पोषण का स्त्रोत उपलब्ध कराना है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों की कृषि योग्य भूमि पर फसल के साथ तात्कालिक लाभ देने वाली पौध प्रजातियाँ जैसे केला और पपीता आदि के रोपण के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान उत्तर प्रदेश में 5 हैक्टेयर क्षेत्र में केले की जी–9 प्रजाति के 20,000 टिश्यू कल्चर पौधे लगाए गए। इसी तरह, राजस्थान के 48 किसानों के खेतों में पपीता (प्रजाति–रेड लेडी) लगाया गया इस प्रणाली को अपनाने के लिए और अधिक किसान आकर्षित हो रहे हैं अतः कृषि उद्यानिकी प्रणाली के काफी उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं।

प्रगति

- 236 हैक्टेयर (उत्तर प्रदेश में 158 हैक्टेयर, उत्तराखंड में 8 हैक्टेयर, मध्य प्रदेश में 27 हैक्टेयर और राजस्थान में 43 हैक्टेयर) में वृक्षारोपण किया गया है।
- 2.67 लाख पौधे (उत्तर प्रदेश में 1.89 लाख, उत्तराखंड में 0.16 लाख, मध्य प्रदेश में 0.27 लाख, राजस्थान में 0.35 लाख और) विभिन्न समितियों द्वारा लगाए गए हैं। प्रमुख प्रजातियां मिलिया (बर्मा नीम), क्लोन यूकेलिप्टस, सागौन, सहजन और तेजपत्ता आदि हैं।
- देश में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए इफको को नीम के 4.95 लाख पौधे दिए गए हैं।
- विभिन्न समितियों की 105 वार्षिक आम सभा बैठकें और 681 कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित की गईं। स्वयं सहायता समूहों की 3,771 बैठकें और सचिवों की 38 बैठकें आयोजित की गईं। 104 समितियों का ऑडिट कार्य कराया गया।
- 12 अलग–अलग महत्वपूर्ण दिवस अर्थात् पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, किसान दिवस और गणतंत्र दिवस आदि मनाए गए।
- भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, उत्तर प्रदेश तथा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (टीएफआरआई) जबलपुर (म.प्र.) में समितियों के अध्यक्षों व सचिवों के लिए दो एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया। एक्सपोजर भ्रमण में समितियों के 75 अध्यक्षों और सचिवों ने भाग लिया।
- नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, जिला कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त, सहकारी समितियाँ, आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशकगण आदि सहित कई अधिकारियों ने विभिन्न वानिकी समितियों का भ्रमण किया एवं कार्यों की सराहना की।
- मलिकमऊ और कंदरावाँ (रायबरेली) समितियों के अंतर्गत वैकल्पिक ऊर्जा और महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इफको कॉर्डेट, फूलपुर (यूपी) को 265 किलोग्राम शहद का उत्पादन और बिक्री की। इससे स्वयं सहायता समूहों को 26,500/– रुपये की आय हुई।

परिणाम

- प्राथमिक वानिकी समितियाँ पर्यावरण संरक्षण और जलाऊ लकड़ी, चारा एवं अन्य सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रमुख संस्था के रूप में विकसित हो रही हैं।
- समस्याग्रस्त भूमियां (क्षारीय, लवणीय, बीहड़ और जल भराव भूमि) अब कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित होने से ये एक उत्पादक सम्पत्ति के रूप में सिद्ध हो रही हैं।
- कृषि वानिकी गतिविधियों द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने में मदद हो रही है। आई.एफ.एफ.डी.सी. के हरित संपदा कार्य से लगभग 14.27 टन प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष कार्बन संचयन करने में मदद हो रही है।
- प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रक्षेत्र वानिकी गतिविधियों के द्वारा स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान किये गये।
- पी.एफ.एफ.सी.एस. व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए लघु उद्योगों की स्थापना एवं आजीविका के साधनों में वृद्धि हेतु चक्रीय कोष मददगार सिद्ध हुआ है। संचालित लघु उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन से कृषकों की आय को दुगुनी करने के ध्येय को मदद मिल रही है।

(b) Agri-horti System Development

The Govt of India is implementing the "National Horticulture Mission" (NHM) since 2004 with objective to ensure nutritional security and generate income to the farmers. To contribute to the NHM of India and Millennium Development Goal i.e. "Eradication of Poverty & Hunger", IFFDC grafted the component Agri-horti system in its existing Farm Forestry and Climate Change portfolio. The objective is to generate additional income to the farmers and create nutrition source to their families in rural areas.

IFFDC started providing financial and technical support to the farmers to undertake plantation of fruit species which give immediate return such as Banana and Papaya on their arable land alongwith crops. During the year 2021-22 in Uttar Pradesh, 20,000 Banana tissue culture sapling of variety G-9 were planted on 5 hectare area. Similarly, Papaya (cultivar-Red Lady) was planted on 48 farmer's fields in Rajasthan. The Agri-horticulture has encouraging results as many more farmers are attracting to undertake the system.

Progress

- 236 ha area (158 ha in Uttar Pradesh, 8 ha in Uttarakhand, 27 ha in Madhya Pradesh and 43 ha in Rajasthan) has been covered under plantation.
- 2.67 lakh plants (1.89 lakh in Uttar Pradesh, 0.16 lakh in Uttarakhand, 0.27 lakh in Madhya Pradesh, 0.35 lakh in Rajasthan and) have been planted by different PFFCS. Major species are Melia (Burma Neem), Clonal Eucalyptus, Teak, Sahjan and Tejpatta etc.
- 4.95 lakh saplings of Neem have been supplied to IFFCO for plantation at different places in the country.
- 105 Annual General Body Meetings, 681 Executive Committee Meetings of different PFFCS were organised. 3,771 meetings of SHGs and 38 meeting of Secretary were organised. Audit work of 104 PFFCS has been completed.
- 12 different important days i.e. Environment Day, International Women Day, International Forest Day, Farmers Day and Republic Day etc were celebrated.
- Organised four days exposure visit for Chairmen of PFFCS at Indian Grassland and Fodder Research Institute Jhansi, Uttar Pradesh. 50 Chairmen and Secretaries of PFFCS were participated in the exposure visit.
- Organised 2 exposure visits for PFFCS Chairman and Secretaries at Tropical Forest Research Institute (TFRI) Jabalpur (M.P.) and at Indian Grassland and Fodder Research Institute Jhansi (U.P.). 75 participants participated.
- DDM NABARD, District Agriculture Officer, Asst. Commissioner, Cooperative Societies, Board of Directors of IFFDC visited the different PFFCS, observed the work and appreciated.
- The Women of Vaiklapik Uraja and Mahila SHG under Malikmau and Kandarwa (Raibareilly) PFFCS produced and sold 265 Kg Honey to IFFCO Cordet, Phulpur (U.P.). It generated an income of Rs. 26,500/- to the SHGs.

Outcome

- PFFCS are serving as nodal agencies for environment up-gradation and catering to fuel wood, fodder and other needs of the community.
- Problematic lands (Sodic, Saline, Ravines and Water logged, etc) are now converted into cultivable lands and have proved to be productive assets.
- Farm forestry activities have helped to bring ecological balance. The green cushion facilitated by IFFDC has resulted in an estimated present net carbon sequestration of 14.27 MT per ha/year.
- Farm forestry Programme has resulted to create additional employment opportunities to local community especially women through various farm forestry activities.
- Revolving Fund is helping to PFFCS as well as SHG members to established micro-enterprises and generating livelihood options. The operationalised microenterprises are helping to the aim of doubling the Farmer's income.

2. जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने काफी समय पूर्व ही अपने प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में इस गतिविधि को समाहित करके अन्य विषयक अवधानों जैसे जल संसाधन विकास आदि के महत्व को अपना लिया था। आई.एफ.एफ.डी.सी. को विशेषतः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की जेंडर केंद्रित आजीविका उत्थान के लिए जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का बहुत अनुभव है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम जलग्रहण कमेटी तथा जल उपयोग कमेटियां जैसी सामुदायिक संस्थायें विकसित की गयीं। जल एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में समुदाय के लिए पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन निर्माण हेतु इस गतिविधि में भू–उपयोग योजना एवं विकास तथा अन्य आजीविका अर्जन से संबंधित गतिविधियों के एक व्यापक समूह को क्रमबद्ध तरीके से समाहित किया गया है।

जलग्रहण विकास का मुख्य उद्देश्य, भूमि व जल संसाधनों को संरक्षित व पुनर्स्थापित करना जिससे, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिस्कंदन विकसित हो तथा इन क्षेत्रों में खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस हेतु, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जल संसाधनों के क्षरण को पुनर्स्थापित करने के लिए अन्य संस्थाओं तथा नाबार्ड से एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अभिमुखीकरण कर संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

जलग्रहण कार्यक्रम का क्रियान्वयन नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में, "रिज से घाटी तक" उपचार की अवधारणा के साथ भूमि उपचार, जलवायु शमन, आजीविका सृजन तथा ग्रामीण समुदाय का क्षमता विकास करते हुए चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं जैसे ग्राम जलग्रहण समितियों (वी.डब्ल्यू.सी.) का विकास एवं परियोजना चक्र के सभी स्तरों में जेन्डर समानता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से कुल 17,740 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है।

जलग्रहण विकास परियोजना अमरीती, जिला सतना (मध्य प्रदेश) में वर्षा जल संरक्षण हेतु निर्मित तालाब

2. Watershed Management (Ecological Resilience)

IFFDC recognised the importance of integrating other thematic interventions like Water Resource Development into this activity. In particular, the IFFDC's experience of its watershed management programme for improving gender focused rural livelihoods of communities through natural resource management is noteworthy. Village Watershed Committees and Water Users Committees are developed for implementing this programme. Focusing on providing Water and Food Security, a comprehensive set of activities related to land use planning and development and other livelihood generation activities has been systematically integrated for building up the 'Ecosystem Resilience' of the community.

The purpose of watershed development is to rehabilitate and conserve land and water resources in order to develop resilience towards climate change to ensure food and livelihood security. For this, the IFFDC has joined hands with other agencies and is mobilizing resources directly from NABARD and through convergence with various Government agencies for the restoration of depleting water resources.

The Watershed programme is being implemented with the financial support of NABARD. The focus is on land treatment with "Ridge to Valley" treatment concept, climate proofing, livelihood generation and building capacities of the rural community by developing sustainable community institutions like Village Watershed Committee (VWC) and ensuring gender equity in all stages of the project cycle. Total 17,740 ha area has been treated by various soil & water conservation measures.

Ridge to Valley Area Treatment with Soil Water Conservation Measures under
NABARD Watershed Development Project-Surkhi-Ghana, Distt. Sagar (M.P.)

परियोजना विवरण

सहायक संस्था	राज्य	जिला	उपचारित क्षेत्र (हेक्ट.)
नाबार्ड	छत्तीसगढ़	कवर्धा, बिलासपुर	2,609
	मध्य प्रदेश	सागर, छिंदवाड़ा, सतना	3,111
	राजस्थान	प्रतापगढ़, उदयपुर	1,652
	तेलंगाना	निजामाबाद	1,837
राज्य सरकारें	म.प्र. (मनरेगा)	भोपाल, श्योपुर, छतरपुर	3,417
	म.प्र. (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	छतरपुर, रीवा	5,114
		कुल	**17,740**

प्रगति

- मृदा–जल संरक्षण उपायों के तहत किसानों के खेत में वर्षा जल संचयन और फसलों की सिंचाई हेतु उसके उपयोग के लिए 25 फार्म तालाबों का निर्माण किया गया।
- 356 हैक्टेयर क्षेत्र को प्रभावी मिट्टी और जल संरक्षण उपायों जैसे फार्म बंडिंग (एफ.बी.), कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच (सी.सी.टी.), लूज स्टोन चेक डैम (एल.एस.सी.डी.), गली प्लग (जी.पी.) और चेक डैम से उपचारित किया गया है।
- 2,131 घन मी कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच (सी.सी.टी.), 8,433 घन मी फार्म बंड (एफ.बी.), 155 घन मी स्टोन आउटलेट (एस.ओ.), 2,196 घन मी जल अवशोषण ट्रेंच (डब्ल्यू.ए.टी.) और 1,993 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच (एस.सी.टी.), 72 मिट्टी के गली प्लग (ई.जी.पी.), 135 घन मी मृदा जल संरक्षण के उद्देश्य से स्टोन गली प्लग (एस.जी.पी.) और 120 घन मी लूज स्टोन चेक डैम (एल.एस.सी.डी.) का निर्माण किया गया है।
- क्षेत्र में पोषक भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 72 किसानों और एसएचजी सदस्यों को करेला, भिंडी, कद्दू और लौकी जैसे सब्जियों के बीज के 125 किट प्रदान किए गए हैं।

नाबार्ड जलग्रहण विकास परियोजना, सुरखी–घाना, जिला सागर (म.प्र.) अंतर्गत स्टैगर्ड कन्टूर ट्रैंच से मृदा–जल संरक्षण कार्य

PROJECT DETAILS

Supporting Agency	State	District	Treated Area (ha)
NABARD	Chhattisgarh	Kawardha, Bilaspur	2,609
	Madhya Pradesh	Sagar, Chhindwara, Satna	3,111
	Rajasthan	Pratapgarh, Udaipur	1,652
	Telangana	Nizamabad	1,837
State Govt.	MP (MGNREGA)	Bhopal, Sheopur, Chhatarpur	3,417
	MP (IWMP)	Chhatarpur, Rewa	5,114
		Total	**17,740**

Progress

- Under soil-water conservation measures, 25 Farm Ponds were constructed in farmer field to harvest rain water and its utilisation for irrigating the crops.
- 356 ha area has been treated with effective soil & water conservation measures like Farm Bunding (FB), Continuous Contour Trench (CCT), Loose Stone Check Dam (LSCD), Gully Plugs (GP) and Check Dam.
- 2,131 Cum Continuous Contour Trench (CCT), 8,433 Cum Farm Bund (FB), 155 Cum Stone outlet (SO), 2,196 Cum Water Absorption Trench (WAT) and 1,993 Cum Staggered Contour Trench (SCT), 72 No. Earthen Gully Plug (EGP), 135 Cum. Stone Gully Plug (SGP) and 120 Cum Loose Stone Check Dam (LSCD) have been constructed for Soil Water Conservation purpose.
- 125 Kits of Vegetable seeds such as Bitter Gourd, Okra, Pumpkin and Bottle Gourd have been provided to 72 Farmers and SHG members to increase nutritive food availability in the area.

Training of Village Watershed Development Committee members on organic Farming under NABARD Watershed Project, Amriti, Distt. Satna (M.P.)

- अमरीती गांव में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और उन्हें वर्मी कम्पोस्ट बनाने और अजोला खेती के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसमें 35 किसानों ने भाग लिया।
- क्षेत्र में पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अजोला खेती की 02 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। यह पशुओं के दूध की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार करने में मदद करेगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए उचित संचालन और प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। 25 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, बैठकों के आयोजन की विधि, नियमित बचत के लाभ और महत्व आदि के बारे में जागरूक किया गया।
- उप–चारागाह भूमि में 2,000 वानिकी पौधे (मिलिया कम्पोजिटा और नीम) और 50 फलदार पौधे लगाए गए हैं।
- कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.), रीवा (म.प्र.) में 30 सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण सह एक्सपोजर भ्रमण आयोजित किया गया और जलग्रहण दृष्टिकोण, फसल चक्र, अंतः फसल और मधुमक्खी पालन से फसल उत्पादन में लाभ आदि पर ज्ञान प्रदान किया गया।
- एक पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 पशुओं का कृमिहरण और टीकाकरण किया गया।
- ग्राम जलग्रहण समिति के सदस्यों के 8 प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) में आयोजित किए गए जिसमें 282 सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों को जलग्रहण दृष्टिकोण, जलवायु स्मार्ट कृषि, जल उपयोग दक्षता, फसल बीमा, जैविक खेती और स्वयं सहायता समूह प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन शमन और लचीलापन विकास के बारे में ज्ञान कराया गया।
- एक स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर के लक्ष्य के सापेक्ष एक स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 रोगियों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाएं प्रदान की गईं। रोगियों में देखे गए मुख्य रोग सर्दी, बुखार, खांसी, विटामिन की कमी और कुपोषण आदि थे।
- जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, लचीलापन विकास और जलवायु स्मार्ट फसल पर एक प्रशिक्षण अमरीती (म.प्र.) में आयोजित किया गया, जिसमें 92 किसानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को फसल पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई और प्रतिभागियों ने यह भी सीखा कि फसलों को जलवायु परिवर्तन से कैसे बचाया जाए।
- आय सृजन के लिए 30 भूमिहीन परिवारों और एसएचजी सदस्यों को 30 यूनिट पोल्ट्री (प्रत्येक यूनिट में केएजी गोल्डन ब्रीड के 30 चूजे) के साथ चारा, फीडर बॉक्स और पानी का डिब्बा प्रदान किया गया। स्वयं सहायता समूहों को 16 सिलाई मशीनें प्रदान की गईं। भूमिहीन परिवार और एसएचजी सदस्यों के लिए आय और आजीविका पैदा करने का एक वैकल्पिक स्रोत विकसित किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन, जोखिम और शमन अनुकूलन जलवायु लचीला फसलों और किस्मों, फसल प्रणाली, फसल की खेती के लिए सिस्टम गेहूं गहनता (एसडब्ल्यूआई) पद्धति को बढ़ावा देने पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

परिणाम

- कुओं में पानी के स्तर में वृद्धि हुई तथा किसान अपनी दूसरी फसल लेने में सफल हुए, जिससे अधिक आमदनी हुई।
- मृदा संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों के करने से कृषि योग्य भूमि में अतिरिक्त क्षेत्र की बढ़ोत्तरी हुई।
- विभिन्न कौशल विकास एवं मृदा संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के भूमिहीन कृषक एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले।
- सिंचित क्षेत्र से पशुओं के लिए उन्नत गुणवत्ता का चारा उपलब्ध हुआ जिससे पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
- परियोजना क्षेत्र में कृषकों में "जलवायु स्मार्ट खेती" करने के ज्ञान में वृद्धि हुई।
- भारत सरकार के उद्देश्यों "प्रत्येक बूँद से अधिक फसल" एवं "2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना" में योगदान प्रदान करने में सहायता मिली।

- Two trainings Programme have been organized at Amriti village and educated them how to make Vermi Compost and Azola Cultivation. 35 farmers were participated.
- 02 Units of Azola Cultivation have been set up for increasing availability of protein rich fodder for cattle in the area. It will help in improving the quality & production of the Cattle' Milk. One training on proper functioning & management for SHGs has been organized. 25 Self Help Groups Members were made aware on their roles and responsibilities, Method of organising meetings, benefits & importance of regular saving etc.
- 2,000 forestry plants (Melia Composita and Neem) & 50 Horticulture plants have been planted in Sub-Pasture land.
- A training cum exposure visit at Krishi Vigyan Kendra (KVK), Rewa (M.P.) for 30 members was organised and imparted knowledge on benefits of the watershed approach, Crop rotation, Intercropping and benefits of Bee- Keeping to crop production etc.
- One Veterinary Camps has been organized, in which, De-worming and Vaccination of 100 cattle were done.
- 8 training of Village Watershed Committee members were organised at Krishi Vigyan Kendra (KVKs) in which 282 members participated. The members were imported knowledge about Watershed approach, Climate Smart Agriculture, Water Use efficiency, Crop Insurance, Organic Farming and SHG Management, Climate Change Mitigation & resilience development.
- One Health & Nutrition Camp was organised against the target of 01, in which, 60 patients were examined and free medicines were provided. The main diseases observed in the patients were Cold, Fever, Cough, Vitamin deficiency and Malnutrition etc.
- One training on Climate Change Mitigation, Adaptation, Resilience Development and Climate Smart Cropping was organised at Amriti (M.P.), in which, 92 Farmers participated. The participants were imparted input on impact of climate change on Crop and the participants also learned how to protect crops from Climate Change.
- For Income Generation, 30 Units of Poultry (30 Chicks of K.A.G Golden breed in each unit) alongwith feed, feeder box & water box were provided to 30 Landless families and SHG members. 16 Sewing Machines have been provided to SHGs Groups. An alternate source for generating income and livelihood for Landless family and SHG members have been developed.
- One Awareness programme on climate change, risks and mitigation adaptation climate resilient crops & varieties, cropping system, promotion of System Wheat intensification (SWI) method for crop cultivation have been organized.

Outcome

- Increase of water table of the wells has been observed and farmers are able to harvest their second crop successfully leading to more returns.
- Additional area has been brought under cultivation by adopting various soil conservation measures.
- Landless farmers and women have been endowed with employment opportunities in the area through skill development and various soil-moisture conservation activities.
- Treated area has produced good quality fodder for cattle by which health of cattle has been improved.
- The knowledge on "Climate Smart Agriculture" amongst the farmers of the project area has increased.
- It helped in contributing to the objectives of Govt. of India i.e. "More Crop from Each Drop" and Doubling Farmers Income by 2022.

3. जलवायु रोधन परियोजना

करैया-सुरखी वाटरशेड, जिला-सागर (मध्य प्रदेश) में "जलवायु रोधन परियोजना"

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से विकासशील देशों में विशेषतया ग्रामीण गरीब समुदाय ही प्रभावित होता है। क्योंकि, जलवायु परिवर्तन से इनके अस्तित्व जैसे कि, इनके जीवनयापन के लिए की जाने वाली कृषि की समस्यायें बढ़ जाती है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी इनके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। जलवायु अवरोधन अवधान परियोजना को क्रियान्वयन करने का मुख्य उद्देश्य, परियोजना क्षेत्र में कमजोर ग्रामीण समुदाय की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को विकसित करना है ताकि, वे जलवायु परिवर्तनशीलता व परिवर्तनों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें।

संस्था द्वारा नाबार्ड के वाटरशेड डवलपमेंट फण्ड की सहायता से मध्य प्रदेश के जिला सागर के करैया–सुरखी वाटरशेड क्षेत्र में जलवायु रोधन की एक नई परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की अवधि चार वर्ष अर्थात् मार्च 2019 से मार्च 2023 तक है।

प्रगति

- मृदा–जल संरक्षण उपायों के तहत, किसानों के खेतों में वर्षा जल संचयन और फसलों की सिंचाई हेतु इसके उपयोग के लिए 2 फार्म तालाबों का निर्माण किया गया।
- चारा विकास के लिए परियोजना गांवों के 60 किसानों को 25 एकड़ क्षेत्र में बुवाई के लिए 520 किलोग्राम "बाजरा, सूडान सोरघम घास (एसजीजी) और पोषक बीज" प्रदान किया गया। इससे मवेशियों के स्वास्थ्य में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- क्षेत्र में पोषक भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 55 किसानों और एसएचजी सदस्यों को करेला, भिंडी, कद्दू और लौकी जैसे उन्नत सब्जियों के बीज के 55 किट प्रदान किए गए।
- जैव उर्वरकों के प्रचार के तहत, इफको जल घुलनशील उर्वरक, जैव उर्वरक और सागरिका की 30 किट किसानों को प्रदान की गई।
- 75 किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) में 3 प्रशिक्षण सह एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन किया गया जिसमें जैविक खेती, जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यू.यू.ई.) और मौसम की सूचना के आधार पर फसल उत्पादन आदि पर तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया गया।

नाबार्ड जलवायु रोधन परियोजना, करैया–सुरखी, जिला सागर (म.प्र.) के सदस्यों का कृषि विज्ञान केन्द्र पर भ्रमण एवं प्रशिक्षण

3. Climate Proofing Project

Climate Proofing in Karaiya-Surkhi Watershed , District Sagar (Madhya Pradesh)

The rural poor people in developing countries particularly suffer from the negative impacts of climate change. This is because climate change aggravates their already existential problems, for instance in subsistence farming. They also have the worst prerequisites for facing up to new challenges. The main objective of implementing the Climate Proofing Initiative Project is to enhance the adaptive capacities of vulnerable rural communities in project area, so that, they are better equipped to cope up with climate variability and changes.

The project on "Climate Proofing" in Karaiya-Surkhi Watershed in District Sagar of Madhya Pradesh is being implemented with the help of NABARD under its Watershed Development Fund. The project period is for four years i.e. March 2019 to March 2023..

Progress

- Under soil-water conservation measures, 2 Farm Ponds were constructed in farmers' fields to harvest rain water and its utilisation for irrigating the crops.
- For Fodder Development, 520 Kilogram of "Bajra, Sudan Sorghum Grass (SGG) and Nutri Seed" has been provided to 60 farmers of project villages for sowing in 25 acre area. It will help in improving health cattle and increase Milk Production.
- 55 Kits of improved Vegetable seeds such as Bitter Gourd, Okra, Pumpkin and Bottle Gourd have been provided to 55 Farmers and SHG members to increase nutritive food availability in the area.
- Under promotion of bio-fertilisers, 30 Kits of IFFCO Water Soluble fertilizers, Bio-fertilisers and Sagarika have been provided to farmers.
- 3 training cum exposure visits were organised to Krishi Vigyan Kendra (KVKs) for 75 farmers in which technical knowledge on organic farming, Water Use Efficiency (WUE) and Weather Information based, Crop Cultivation etc. were imparted.

Farm Pond constructed for harvesting rain water under Karaiya-Surkhi Climate Proofing Project, Sagar (Madhya Pradesh)

परिणाम

- जलवायु परिवर्तन व इसके प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन (सूखे की स्थिति) की स्थिति से निपटने के तरीकों व तकनीकियों के बारे में जलग्रहण समुदाय को जानकारी हुई।
- जलग्रहण समुदाय द्वारा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में कम प्रभावित होने वाले आजीविका के विकल्पों को अपनाना प्रारम्भ कर दिया।
- विकसित जल संसाधनों से परियोजना क्षेत्र में फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिल रही है।
- परियोजना अवधानों की चिरन्तरता के लिए जलग्रहण समुदाय की ग्राम स्तर पर समुदाय की अपनी संस्था है।
- परियोजना क्षेत्र के आसपास के समुदाय भी, परियोजना के प्रभावों का प्रसार होने से, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न उपायों को सीख रहे हैं।

किसान उत्पादक संगठन संवर्धन परियोजना

आईएफएफडीसी द्वारा नाबार्ड एवं एन.सी.डी.सी. द्वारा वित्तपोषित भारत सरकार की सेंट्रल स्कीम–10,000 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) संवर्धन परियोजना सात राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में संचालित की जा रही है। परियोजना की अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक पांच वर्ष की है।

- कुल आवंटित 50 एफपीओ में से 46 एफपीओ का गठन और पंजीकरण किया गया है।
- कृषक उत्पादक संगठनों पर जागरूकता हेतु, 612 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 15,350 किसानों ने भाग लिया।
- एफपीओ के निदेशक मंडल की 236 बैठकें आयोजित की गई एवं 41 एफपीओ के बैंक खाते खोले गए हैं।
- 46 कृषक उत्पादक संगठनों में 9,378 किसानों को सदस्यता प्रदान कराई गई।
- कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं संवर्द्धन के लिए भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के 9 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 29.08 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान प्राप्त हुआ है।
- 24 कृषक उत्पादक संगठनों के निदेशक मण्डलों के 05 एक्सपोजर भ्रमण आयोजित किए गए जिसमें 245 सदस्यों ने भाग लिया।
- 32 कृषक उत्पादक संगठनों के निदेशक मंडलों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 342 सदस्यों ने भाग लिया।
- हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के 13 एफपीओ को प्रबंधन लागत की पहली किस्त के रूप में 33.29 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

दयालेश्वर कृषक उत्पादक संगठन प्रोड्यूसर कंपनी लि. सताँव, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) के निदेशक मण्डल की परिचयात्मक बैठक

Outcome

- The Watershed Community is aware about Climate Change, its effect and tools & techniques to deal with Climate Change (drought conditions).
- Watershed Community started adoption of livelihood options which are less affected in adverse Climatic Conditions.
- Developed Water Resources are helping in increasing crop yields in the project area.
- Watershed Community is having own institution at village level for sustainability of the project interventions.
- The nearby communities of the project area are also learning various measures to deal with Climate Change through dissemination of the project impact.

Promotion of Farmers Producer Organisation (FPO) Project

IFFDC is implementing Promotion of FPOs Projects in seven States i.e Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra with Financial support of NABARD and NCDC under Central Sector Scheme of Govt. of India for promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs). The project duration is for five years from April 2021 to March 2026.

- Out of total allotted 50 FPOs, 46 FPOs have been formed and registered.
- 612 meetings on FPOs awareness have been organized, in which, 15,350 farmers were participated.
- 236 meetings of Board of Directors of FPOs have been organized and Bank Accounts of 41 FPOs have been opened.
- 9,378 Farmers have been mobilized for membership in 46 FPOs.
- 9 Farmer Producer Organization (FPOs) of Haryana, Maharashtra and Gujarat States have been received Equity Grant of Rs.29.08 Lakh under Central Sector Scheme for Formation & Promotion of Farmer Producer Organisations.
- 05 Exposure visits with 245 Board of Directors of 24 FPOs were organised.
- 06 trainings programme for 342 members of Board of Directors and Chief Executive Officers of 32 FPOs were organized.
- 13 FPOs of Haryana, Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh States have been received of Rs. 33.29 Lakh as first installment towards Management Cost.

Ms. Deepa B. Guha, CGM, NABARD (Haryana) addressing the members of Rania Vishnu Shakti FPO, Bani, Distt. Sirsa

सी.एस.आर. पहल

''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व'' (सी.एस.आर.) प्रबंधन की एक अवधारणा है जिसमें, कम्पनियाँ अपने व्यापार के संचालन तथा अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक एवं पर्यावरण चिन्ताओं को समन्वित करती है। सी.एस.आर. सामान्यतः एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से एक कम्पनी आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक अनिवार्यता में एक सन्तुलन प्राप्त करने के साथ–साथ शेयरधारकों की अपेक्षाओं को भी सम्बोधित किया जाता है। भारत में सी.एस.आर. को परम्परागत परोपकार की एक गतिविधि के रूप में देखा गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत् सी.एस.आर. का विचार प्रस्तुत किया गया था तथा अब यह, ऐसी सभी कम्पनियों के लिए अनिवार्य हो गया है जिनका वार्षिक टर्नओवर रु. 1,000 करोड़ से अधिक, अथवा रु. 500 करोड़ से अधिक का निवल मूल्य अथवा शुद्ध लाभ रु. 5 करोड़ से अधिक का हो। इस एक्ट के अनुसार, ऐसी कम्पनियों को उनके पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ की कम से कम 2 प्रतिशत राशि को सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च करना होता है।

अधिकांश कारपोरेट, सी.एस.आर. नीति की अनुपालना कर रहे हैं तथा उनके केन्द्रित क्षेत्रों में सामाजिक व पर्यावरण विकास के विभिन्न सी.एस.आर. गतिविधियों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। सी.एस.आर. आधारित कार्यक्रमों को सूत्रीकरण करने व उनके क्रियान्वयन करने तथा इस प्रकार की पहलों के परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन के लिए विशेष मनोवृत्ति, रणनीति, कौशल तथा क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. के पास वांछित योग्यता, मनोवृति, कौशल क्षमता तथा अनुभव है, अतः कार्पोरेट्स को परिणामोन्मुखी तरीके से उनके सी.एस.आर. प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया। कार्पोरेट्स के सी.एस.आर. पहल की साझेदारी में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी सेवाओं का विस्तार करने के माध्यम से गरीबी उन्मूलन एवं चिरन्तर आजीविका विकास की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. की ग्रामीण आजीविका पहुँच में लोगों को विकास के केन्द्र में रखा जाता है तथा सम्पत्ति कौशल निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि, महिलाएँ व पुरुष, रोजगार व आय अर्जन के लिए नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सके।

इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना–बुंदेलखण्ड के अंतर्गत ग्राम बिलहनी, जिला सागर (मध्य प्रदेश) में निर्मित चेकडैम

CSR INITIATIVES

"Corporate Social Responsibility" (CSR) is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. CSR is generally understood as being the way through which a company achieves a balance of economic, environmental and social imperatives simultaneously, addressing the expectations of shareholders and stakeholders. CSR in India has traditionally been seen as a philanthropic activity. Under the Clause 135 of the Companies Act, 2013 has introduced the idea of CSR and now it is mandatory for the companies with an annual turnover of more than 1,000 crore INR, or a net worth of more than 500 crore INR, or a net profit of more than five crore INR. The Act encourages companies to spend at least 2% of their average net profit in the previous three years on CSR activities.

Most of the corporates are complying with the CSR policy and implementing various CSR activities/projects for social and environment development in their focused area. Formulation and Implementation of CSR based programme also requires specific attitude, strategy, skill and capabilities for outcome oriented implementation of such initiatives. IFFDC has the aptitude, attitude, skill, capability and experience in implementing such programmes and has started facilitating Corporates in achieving their CSR commitments in result oriented mode. Efforts are being made by IFFDC towards poverty alleviation and sustainable rural livelihood development through extending its services in partnership with Corporates under their CSR initiatives. IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills so that women and men can access new opportunities for income generation and employment.

Renovation of poor family's house damaged due to Amphan Cyclone under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project- Sunderbans, Jharkhali, Distt. South 24 Parganas (West Bengal)

सी.एस.आर. परियोजना

इफको टोकियो–समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना (आई.आई.आर.डी.पी.)

इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंम्पनी लिमिटेड (आई.टी.जी.आई.) द्वारा इनके "सी.एस.आर. पहल" के अन्तर्गत "इफको टोकियो–समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना" 13 गाँवों अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के 3 गाँव, पश्चिमी बंगाल राज्य के साउथ 24 परगना जिले के 3 गाँव और छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले के 4 गाँवों एवं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के 3 गाँवों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

यह परियोजना आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन गांवों में ग्रामीण सहभागी अध्ययन (पी.आर.ए.), आंकड़े एकत्रीकरण व विश्लेषण, समस्याओं की पहचान, मुद्दों का प्राथमिकीकरण, क्रान्तिक समस्या विश्लेषण (सी.पी.ए.) आदि जैसी (सहभागी प्रक्रियाओं) के माध्यम से तैयार की गयी।

परियोजना का क्रियान्वयन 8 घटकों (i) सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, (ii) स्वच्छ पेयजल एवं जलस्त्रोत विकास, (iii) कृषि उत्पादन (iv) पशुधन विकास, (v) महिला सशक्तिकरण, (vi) कौशल विकास व रोजगार सृजन, (vii) शिक्षा एवं (viii) पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत 62 गतिविधियों से अधिक के साथ किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान परियोजना की प्रगति :

- 14 स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर और 06 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।
- परियोजना गांवों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए 07 सौर आधारित पेयजल इकाइयां स्थापित की गईं।
- कौशल विकास के लिए 3 महीने की अवधि के लिए सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर प्रोग्राम पर 08 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। स्वयं सहायता समूहों ने अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू कर दिए हैं।
- स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों हेतु समुचित परिचालन और प्रबंधन पर 09 प्रशिक्षण आयोजित किये गये।
- जल संसाधन विकास के तहत, 07 चेक डैम, एक सिंचाई चैनल, 02 तालाब, 10 संकन पौंड (नाला) और 60 कुओं का निर्माण / नवीनीकरण किया गया।

इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजनांतर्गत ग्राम पूर्वी मुसाहर टोला, ब्लॉक मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) में गर्भवती महिलाओं के लिए आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता शिविर

CSR PROJECT

IFFCO-TOKIO Integrated Rural Development Project (IIRDP)

IFFDC is facilitating IFFCO-Tokio General Insurance Co. in implementation of IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project in 13 villages i.e. 03 villages of Distt. Sagar in Madhya Pradesh, 03 Villages of Distt, South 24 Pargana in West Bengal, 04 villages of Distt. Gariaband in Chhattisgarh and 03 Villages of Distt, Muzaffarpur in Bihar under its CSR initiative.

The project was developed with "Participatory Process" by adopting the steps like Participatory Rural Appraisal (PRA), Data Collection & Analysis, Problem identification, Prioritization of the issues, Critical Problem Analysis (CPA) etc in these villages by the IFFDC.

The Project is being implemented with more than 62 activities covered under eight components viz;

(i) Community Health and Sanitation, (ii) Safe Drinking Water and Water Resources Development (iii) Agriculture Production, (iv) Livestock Development, (v) Women Empowerment, (vi) Skill Development and Employment Generation, (vii) Education and (viii) Environment Up-gradation.

The Progress of the Project during the year :

- 14 Health & Awareness Camps and 06 Veterinary Camps were organized.
- 07 Solar based drinking water units have been installed for ensuring safe drinking Water in the project villages.
- For Skill Development, 08 trainings on Tailoring, Beauty Parlour and Computer Programme for 3 months period have been organized. The SHGs have started their micro-enterprises.
- 09 training of SHG members on proper functioning & management have been organized.
- Under Water Resource Development, 07 Check dams, one Irrigation Channel, 02 Ponds, 10 Sunken Ponds (Nalah) and 60 Wells have been constructed/ renovated.

Solar Water Filter Unit for safe drinking water installed at Netajipalli, Jharkhali, Distt. South 24 Parganas (West Bengal) under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project-Sunderbans

- पर्यावरण उन्नयन के तहत परियोजना गांवों में विभिन्न प्रजातियों के 4,700 पौधे लगाए गए और परियोजना गांवों के 2,080 परिवारों को 4,092 एलईडी बल्ब प्रदान किए गए।
- ग्रामीण गरीब समुदाय के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए मौसमी सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु किचन गार्डन विकसित करने के लिए 1,122 परिवारों को सहायता प्रदान की गई।
- बिजली और ऊर्जा की बचत के लिए परियोजना गांवों में 21 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई और 350 सोलर होम लाइटें उपलब्ध कराई गई।
- दिन के समय में घरों का अंधेरा दूर करने के लिए 230 गरीब परिवारों के घरों की छतों पर प्राकृतिक रोशनी के लिए 230 पारदर्शी फाइबर शीट लगाई गई।
- पशुधन विकास के अंतर्गत 415 गरीब परिवारों को कड़कनाथ एवं सोनाली नस्ल के 4150 चूजे उपलब्ध कराए गए।
- घरों के आसपास साफ–सफाई रखने के लिए परियोजना गांवों के 1,146 परिवारों को 1,146 डस्टबिन उपलब्ध कराए गए।
- अम्फान चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हुए गरीब परिवारों के 140 घरों की मरम्मत करायी गई।
- 600 स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की समग्र फिटनेस में सुधार के लिए परियोजना गांवों में 02 ओपन जिम स्थापित किए गए।
- परियोजना गांवों में अतिरिक्त आय सृजन स्रोत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को मसाला पीसने की मशीन, टेंट हाउस आइटम, राईस पफिंग मशीन, मिनी आटा मिल, मिनी चावल मिल, अगरबत्ती बनाने की मशीन, कैटरिंग का सामान, अंडा हैचिंग मशीन की 15 इकाइयां प्रदान की गई।
- चारा विकास को बढ़ावा देने के लिए परियोजना गांवों के 350 किसानों को 50 एकड़ क्षेत्र में चारा विकास हेतु 200 किलोग्राम "मक्खन घास" का बीज प्रदान किया गया। इससे पशुओं के दूध की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना–सुंदरबन, नेताजीपल्ली, झारखली, जिला साउथ 24 परगना (पश्चिमी बंगाल) के राजकीय विद्यालय में स्थापित ओपन जिम में व्यायाम करते बच्चे

- Under Environment up-gradation, 4,700 saplings of different species have been planted in project villages and 4,092 LED Bulbs have been provided to 2,080 families of project villages.
- 1,122 families were supported for developing Kitchen Garden for increasing availability of season vegetables for better nutrition and health of the rural poor community.
- 21 Solar Street Lights have been installed and 350 Solar home Lights have been provided in project villages for saving electricity and energy.
- To abolish the darkness of the houses in day time, 230 transparent fibre sheets have been installed on roofs of 230 poor families houses for natural lighting.
- Under Live Stock Development, 4,150 chicks of "Kadaknath & Sonali" breed have been provided to 415 poor families.
- To keep cleanness in around the houses, 1,146 Waste Disposal Bins have provided to 1,146 families of project villages.
- Repairing of houses of 140 poor families has been done which damaged due to Amphan Cyclone.
- 02 Open gyms have been established in project villages for improving overall fitness of 600 School Children & Villagers.
- 15 units of Masala Grinding Machine, Tent House Items, Rice Puffing Machine, Mini Flour Mill, Mini Rice Mill, Agarbatti Making Machine, Catering Utencils, Egg Hatching Machine have been provided to SHGs to create additional income generation source in project villages.
- For promotion of Fodder Development, 200 kilogram of "Makkhan Grass" seed has been provided to 350 farmers of project villages for cultivating in 50 acre area. It will help in improving the quality & production of the Cattle Milk.

Sunken Pond constructed at Madaiya Gond, Distt. Sagar (Madhya Pradesh) under IFFCO-Tokio CSR Project-Bundelkhand

प्रभाव

- परियोजना परिवारों व विद्यार्थियों में साफ सफाई, स्वास्थ्य व स्वच्छता तथा स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई। परियोजना क्षेत्र के परिवारों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया तथा शौचालयों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। इससे परियोजना क्षेत्र की लड़कियों व महिलाओं में विशेषतौर पर आत्मसम्मान व सुरक्षित वातावरण की भावना विकसित हुई।
- 6 गाँवों के 1,410 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है जिससे जलजनित बीमारियाँ कम हुई हैं।
- सोलर लाईट व सोलर स्ट्रीट लाईट के प्रयोग से बिजली के खर्चे व ऊर्जा की बचत हुई।
- महिलाओं विशेषतया समूह सदस्यों ने कौशल विकास व आय अर्जन की गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जन के वैकल्पिक स्त्रोत विकसित किये। 92 महिला सदस्यों को प्रति माह 2000–10,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित होना प्रारंभ हो गई।

हरियाणा अर्द्धशुष्क क्षेत्र में मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम) की विभिन्न किस्मों के अनुकूलन पर शोध अध्ययन – बालधन खुर्द, रेवाड़ी

मित्सुई एंड कं. लि. के मीट ट्रस्ट द्वारा अपने सी.एस.आर. पहल के अंतर्गत बालधन खुर्द, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) में "हरियाणा अर्द्धशुष्क क्षेत्र में मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम) की विभिन्न किस्मों के अनुकूलन पर शोध अध्ययन" हेतु एक परियोजना स्वीकृत की गयी है। यह परियोजना अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न पौध प्रजातियों की वृद्धि एवं विकास पर अध्ययन करना है।

- रोपित की गई आठ प्रजातियों में से अभी तक, प्रजाति क्षितिज की वृद्धि सर्वाधिक अवलोकित की गई। इसके पश्चात् क्रमशः प्रजाति रितु व शरद की वृद्धि पाई गई।
- रखरखाव की गतिविधियाँ जैसे निराई–गुड़ाई, सिचाई, थामला का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

दिल्ली में बागवानी विभाग के तहत विभिन्न पार्कों में हरित पट्टी विकास एन.सी.टी.

मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड ने दिल्ली एन.सी.टी में 5 अलग–अलग पार्कों यानी पीतमपुरा में पुलु ब्लॉक पार्क और सेंट्रल पार्क, रामपुरा में टंकी वाला पार्क, रिंग रोड के पास नेफेड पट्टी पार्क और केशव पुरम में रेलवे लाइन के पास पार्क में हरित पट्टी विकास परियोजना प्रदान की है। परियोजना को तीन साल यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2024 के लिए लागू किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण बढ़ाना है जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में योगदान देता है।

- शीशम, पिलखन, बॉटल ब्रश, बोगनविलिया, अमरूद, कटहल, आंवला, बेर, नीम आदि जैसी विभिन्न प्रजातियों के 4,550 पौधे नई दिल्ली के केशवपुरम, पीतमपुरा और रामपुरा के 5 पार्कों में लगाए गए।
- रखरखाव गतिविधियों जैसे निराई–गुड़ाई, सिंचाई, बेसिन बनाना आदि नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

अर्द्धशुष्क क्षेत्र में मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम) की विभिन्न किस्मों के अनुकूलन पर अनुसंधान ट्रायल परियोजना – बालधन खुर्द, रेवाड़ी (हरियाणा)

Impact

- The project families and school children are getting aware about the cleanness, health & sanitation and safe drinking water. The families of the project area stopped open defecation and started use of toilets. It developed self-steemed and safe environment for the girls & women in particular.
- 1,410 Families in 6 villages are getting safe drinking water which helped in reducing water borne diseases.
- Use of Solar Lights and Solar Street Lights resulted into saving of electricity expenses and energy.
- The women particularly the SHG members have developed alternative income generation sources through skill development & other income generation activities. 92 women members are earning additional income ranging Rs. 2,000 to 10,000 per month through micro enterprises development.

Research Study on adaptability of different varieties of Melia Composita (Burma Neem) in Semi-Arid Region of Haryana - Baldhan Khurd of Rewari

The MEET Trust of MITSUI & Co. has awarded a Research & Development Project on "Research Study on Adaptability of different varieties of Melia Composita (Burma Neem) in Semi-Arid Region of Haryana" at Baldhan Khurd, Dist. Rewari (Haryana) under its CSR Initiative. The project is being implemented for three years i.e. April 2019 to March 2022. The objective of the project is to study of the growth and development of different plant species.

- So far, the growth of variety Kshitij was observed highest amongst all the planted varieties in the trial. It followed by variety Ritu and Sharad respectively.
- The maintenance activities like hoeing & weeding, irrigation, Basin making are being carried out regularly.

Green Belt Development in Different Parks under Horticulture Department in Delhi N.C.T.

The Mitsui & Co. Ltd. has awarded a Green Development Project in 5 different Parks i.e. Pulu Block Park & Central Park in Pitampura, Tanki wala Park in Rampura, Nafed Patti Park near Ring Road and Park near Railway Line in Keshav Puram in Delhi N.C.T. The project is being implemented for three years i.e April 2021 to March 2024. The objective of the project for increasing tree cover for environment improvement which contributes toward combating the climate change.

- 4,550 saplings of different species like as Shisham, Pilkhan, Bottle brush, Bougainvillea, Guava, Jack fruit, Amla, Ber, Neem etc have been planted in 5 Parks at Keshavpuram, Pitampura & Rampura in New Delhi.
- The maintenance activities like hoeing & weeding, irrigation, Basin making etc. is being carried out regularly

Plantation of various species in five different parks of NCT Delhi under Green Belt Development Project of Mitsui & Co. India Ltd. CSR Initiative

कौशल विकास से आजीविका सृजन

ओडिशा राज्य में गंजाम जिले की पुरुषोत्तमपुर तहसील में एक बड़ा सा गाँव प्रतापपुर, जो खलीकोट विधानसभा और अस्का संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि इस गांव का मुख्य पेशा है। शिक्षा, पेयजल, सड़क और बिजली इस गांव की मुख्य समस्यायें हैं। इस गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 302 हैक्टेयर है तथा कुल जनसंख्या 3,153 है, जिसमें 1,567 पुरुष व 1,586 महिलायें हैं। गांव में करीब 715 परिवार निवास करते हैं। इन्हीं में से एक परिवार है श्रीमती मोहिनी नायक का, जो अपने परिवार का अब अच्छे तरीके से भरण–पोषण कर पा रही है। श्री साईंराम स्वयं सहायता समूह एवं जागेश्वरी स्वयं सहायता समूह की अन्य महिलायें भी अब अपने परिवार की आजीविका आसानी से चला लेती हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। श्रीमती मोहिनी ने 10वीं पास करने के बाद आई.टी.आई. में सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा था परंतु अकस्मात हुई पति की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई आदि का खर्च वहन करना मोहनी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था।

लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और "श्री साईं राम स्वयं सहायता समूह" का गठन किया। मोहिनी आई.टी.आई. से सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए उसने अपने समूह के साथ–साथ अन्य समूह "माँ जागेश्वरी स्वयं सहायता समूह" की कुल 23 महिलाओं को भी सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान किया। समूह की महिला सदस्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण सिलाई मशीन, कपड़े आदि खरीदना उनके वश की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने महीने में प्रति सदस्य 200 रुपये जमा करना शुरू किये। धीरे–धीरे इनकी कुल बचत 1,50,000 रुपये हो गई। जिसे समूह के सदस्य आपसी लेन–देन करके 2 प्रतिशत ब्याज दर पर आपस में वितरित कर लेते हैं। इस समूह के सदस्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी शुरू ही हुई थी कि, कोरोना महामारी ने सब कुछ तहस–नहस कर दिया। काम–काज ठप हो गया। घर का खर्च चलाना दूभर होने लगा।

ऐसे समय में इफको की "ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना" उनके लिए वरदान बनकर आई और समूह सदस्यों से कुछ अंशदान लेकर सिलाई मशीनें प्रदान की गईं। आई.एफ.एफ.डी.सी. संस्था द्वारा कोरोना महामारी के दौरान 15 रुपये प्रति मास्क की दर से पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक से 2000, प्रतापपुर आंगनवाड़ी से 2500 तथा शिशु मंदिर स्कूल से 500 मास्क अर्थात कुल 5000 मास्क बनाने का आर्डर दिलवाया गया, जिसे दोंनों समूहों ने मिलकर पूर्ण किया जिससे 75000/– रुपये की आय प्राप्त हुई।

तत्पश्चात् आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन समूहों को डी.आर.डी.ए. से जोड़कर कर 1200 यूनिफार्म बनाने का आर्डर दिलवाया गया। जिसमें इस समूह को 100 रुपये प्रति यूनिफार्म की दर से बचत हुई। इस प्रकार दोंनों समूहों ने 1,20,000 रुपये की शुद्ध आय अर्जित की। आई.एफ.एफ.डी.सी. के प्रयास से डी.आर.डी.ए. गंजाम पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक द्वारा 6500 आंगनवाड़ी ड्रेस एवं 12000 स्कूल ड्रेस का आर्डर प्राप्त हुआ। डी.आर.डी.ए. द्वारा आंगनवाड़ी की एक ड्रेस बनाने हेतु 25 रुपये एवं बच्चों की प्रति ड्रेस 50 रुपये दिये गये। इस प्रकार दोनों समूहों द्वारा कुल 7,62,500 रुपये की आय अर्जित की गई। आस–पास के गांवों से भी ब्लाउज, पेटीकोट, शर्ट, फ्रॉक आदि सिलने का कार्य प्रतिमाह मिलता रहता है जिससे उनकी उपरोक्त कार्य से भी अतिरिक्त आय होती रहती है। आई.एफ.एफ.डी.सी. की मदद से इन दोंनों समूहों को अब भरपूर कार्य मिल रहा है, जिससे दोंनों समूहों की महिलायें अत्यंत खुश हैं। अब समूह की महिला सदस्य अपने परिवार का भरण–पोषण करने के साथ ही खुशी से अपना जीवन–यापन कर रही हैं।

Solar Lamps transformed lives of Rural Community

The rural area of Jharkhali, South 24 Parganas (West Bengal) is cyclone prone area and has less supply of electricity comparatively to the urban area. The rural community is facing frequent power cut problem. Moreover, the power supply also disturbs during Cyclone incidences. The community particularly the women were facing problem during cooking dinner and accomplish the house hold chores after dinner. Further, the children also facing difficulty and absence of light creates hurdle in time regular study in the night. The powerful cyclone Amphan struck the area in May 2020 and devastating the lives and in the Sunderbans.

IFFDC started implementation of the IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project-Sunderbans in the month of August, 2020 under CSR initiative of IFFCO-Tokio General Insurance Co. Limited for rehabilitation of the affected communities of villages Vivekanandpally, Netajipally and Laskarpur, Block- Basanti, Dist. South 24 Parganas.

The problem of electricity was discussed with the community and on a quick solution of the problem, the project provided 950 Solar Home Lights to all the families in all Project Villages.

It has been observed that, earlier each of households were incurred Rs. 200 to 250/- per month towards purchasing candles for lighting lamps during night. The provided Solar Home Light is having full battery run time in normal mode is 8 hrs with 100 lumens and in turbo mode is 4 hrs with 300 lumens. The solar lights are being helped in smooth study, cooking food, farm visit in the night, charging their mobile and lighting in their houses. This is also providing better illumination and smoke free indoor environment thereby; it helped in enhancing the quality of life of the project families. The students are also happy that it helped in them regular study in the nights.

Moreover it also helped the poor community as they are able to save about Rs. 22.80 Lakh annually, the expenses increased on lighting candles in the project area. They extend their gratitude to the IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project for changing their lives.

समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास

देश में समावेशी विकास को मुख्य ध्येय रखकर की गयी पहलों के उपरान्त भी भूमि, जल, उन्नत आदानों, तकनीकियों एवं सूक्ष्मवित्त जैसे उत्पादक आदानों तक सीमित पहुँच एवं इसके साथ–साथ सूखा के प्रति अति संवेदनशीलता एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण से गरीबी है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण में, लोगों को केन्द्र बिन्दु में रखा जाता है तथा उनके लिए सम्पत्तियाँ, दक्षता, सहायक नीतियाँ, सशक्त संस्थाओं एवं विनियामक संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जिससे, विकास को बढ़ावा मिलता है तथा अतिसंवेदनशील समुदाय को सुरक्षा प्राप्त होती है। ताकि, पुरुष एवं महिलाऐं साथ–साथ अपनी चिरन्तर आजीविका के लिए रोजगार एवं आय अर्जन के नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सकें।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा, इफको एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर, सीमांत समुदाय की आजीविका विकास के लिए उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी, मूल्य वृद्धि, विपणन सहायता आदि पर विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये।

परियोजना विवरण

परियोजना	राज्य	जिला
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	ओडिशा	गंजाम
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग

इसमें, कृषि विकास पद्धति, जल संसाधन विकास, महिला सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण, कौशल विकास आदि की उपलब्ध उपयुक्त तकनीकियाँ, जो कि, अभी तक किसानों के खेत तक नहीं पहुँची, के संवर्द्धन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने आर्थिक स्तर एवं प्रदर्शन प्रभावों के लिए 'किसानों को केन्द्रित' रखते हुए प्रशिक्षण, प्रसार, एक्सपोजर भ्रमण एवं क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाया है।

इफको ग्रामीण आजीविका विकास परियोजनांतर्गत ग्राम सिल्वारीहाट, जिला अलीपुरद्वार (पश्चिमी बंगाल) में स्वयं सहायता समूह द्वारा आय अर्जन हेतु मशरूम की खेती

Integrated Rural Livelihood Development

Despite initiatives aimed at inclusive growth in the country, poverty persists because of limited access to productive resources, such as land, water, improved inputs, technology and micro-finance, as well as vulnerability to drought and other natural calamities.

IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills, supportive policies, robust institutions and regulatory structures that both encourage growth and protect the most vulnerable, so that, women and men together can access new opportunities for income generation and employment for their sustainable livelihoods.

IFFDC is undertaking several measures in collaboration with IFFCO for increasing productivity, reducing input costs, value addition, marketing support etc. for enhancing livelihood of the marginalised community.

PROJECT DESCRIPTION

Project	State	District
Rural Livelihood Development Project	Odisha	Ganjam
Rural Livelihood Development Project	West Bengal	Alipurdwar, Jalpaiguri and Darjeeling

The focus is on promotion of available appropriate technologies for farming system development, water resource development, women empowerment, capacity building, skill development etc. that have not yet percolated to the farmers' fields. In this regard, the IFFDC is adopting 'Farmer-Centric' processes through training, extension, exposure visits and cluster approach to achieve economies of scale and for having a demonstrative effect.

Solar Water Filter Unit installed at village Badakharida, Distt. Ganjam (Odisha) for supply of safe drinking water under IFFCO Rural Livelihood Development Project

प्रगति

- पर्यावरण विकास के तहत 4,610 पपीता, नारियल और सुपारी के पौधे लगाए गए।
- कौशल विकास हेतु, समूहों के उचित संचालन एवं प्रबंधन, रिकॉर्ड के रखरखाव पर छः प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।
- आय सृजन के लिए गरीब परिवारों को 04 मसाला पीसने की मशीनों, 02 राईस शेलर्स एवं 128 मुर्गी पालन इकाईयाँ (प्रत्येक इकाई में 25 चूजे) सहित चारा, अनाज पात्र, टीकाकरण किट एवं पानी के बर्तन प्रदान किये गये।
- गांव के तालाबों में मछली पालन के लिए गरीब परिवारों को रोहू, कतला और सिल्वर कार्प प्रजाति के 70,000 मछली बीज प्रदान किए गए।
- 2 स्वयं सहायता समूहों को सुपारी के 1,900 पौधों की नर्सरी लगाने के लिए सहायता प्रदान की गई। परियोजना गाँवों में जलवायु स्मार्ट कृषि अपनाने हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया गया एवं इसके अंतर्गत 20 सदस्यों को 2 एकड़ में सुपारी और केले की बहु–स्तरीय खेती करने के लिए सहायता प्रदान की गई।
- 990 किसानों को 360 किट उच्च उत्पादक सब्जी बीज, 630 किट उच्च उत्पादक दलहन और तिलहन फसल बीज उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इफको जल घुलनशील उर्वरकों और जैव उर्वरकों के 520 किट भी प्रदान किए गए।
- नैनो लिक्विड यूरिया को बढ़ावा देने के तहत, 400 किसानों को इफको नैनो लिक्विड यूरिया की 400 बोतलें प्रदान की गईं, जो उत्पादन लागत को कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण संरक्षण में सहायक होंगी।
- जल संसाधन विकास के तहत 25 उथले ट्यूबवैल, सोलर सिस्टम सहित 02 बोरवेल एवं 14 हैंडपंप लगाए गए।
- स्वयं सहायता समूह सदस्यों को, श्रम में कमी लाने हेतु 3 होंडा पंप सेट, 53 स्प्रे मशीनें और सिंचाई पाइप के 84 रोल प्रदान किए गए।
- पर्यावरण सुधार हेतु 04 सोलर संचालित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की गई एवं 22 सोलर एलईडी लाइटें प्रदान की गईं।
- 08 स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर और 18 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।

परिणाम

- कुँओं और ट्यूबवैल के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण अब किसान 2 से 4 बार अपनी फसलों को अतिरिक्त सिंचित करने लगे हैं। बंदगोभी, अदरक, मटर, आलू, लहसुन, सुपारी, केला आदि की नयी फसलों का परियोजना क्षेत्र में प्रचलन हुआ है।
- किसानों ने विकसित जल संसाधन सुनिश्चित किये हैं, जो सिंचाई के तहत अतिरिक्त क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। इन संसाधनों ने दूसरी फसल की खेती में भी मदद की है जिससे फसल क्षेत्र और फसल तीव्रता में भी वृद्धि हुई है।
- सभी परियोजना गांवों में संस्थागत रूप देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनकी तत्काल जरूरतों को पूर्ण करने और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- विभिन्न आयजनित गतिविधियों और लघु–उद्यमों के माध्यम से आय में वृद्धि हुई है जिससे, सदस्यों की आत्मनिर्भरता में बढ़ोत्तरी हो रही है।
- जागरूकता कार्यक्रमों के कारण, सामाजिक बुराइयों को कम करने और आजीविका में सुधार करने में समुदाय को मदद हो रही है।
- किसान उच्च पैदावार देने वाली किस्मों और नकदी फसलों की खेती करने लगे हैं जिससे, किसानों को अधिक उत्पादन और आय के कारण उनकी आजीविका बेहतर हो रही है।

Progress

- Under environment Development, 4,610 Papaya, Coconut and Areca Nut saplings have been planted.
- 06 Trainings for skill development on proper functioning & management of groups, Record keeping etc for SHGs have been organized.
- Provided 04 Masala Grinding Machines, 02 Rice Shellers and established 128 Units of Poultry (25 Chicks in each unit) alongwith feed, feeder box, Vaccination Kits and water pots to poor families for income generation.
- 70,000 fingerings of Rohu, catla and Silver carp species have been provided to poor families for fish farming in village ponds
- 2 Self Help Groups supported for raising Areca nut nursery of 1,900 saplings, encouraged 20 members to adopt climate smart agriculture i.e. multi-tier cropping system with Areca nut and Banana on 2 acres.
- 360 Kits HYV Vegetable seed, 630 Kits HYV Pulses & Oil Seed Crops Seed have been provided to the 990 farmers. Moreover, 520 Kits of IFFCO Water Soluble fertilizers & Bio-fertilisers have also been provided for increasing crop yield.
- Under Promotion of Nano Liquid Urea, 400 bottles of IFFCO Nano Liquid Urea have been provided to 400 farmers, which will be helpful reducing production cost, improvement in soil health and environment conservation.
- Under Water Resource Development, 25 Shallow tubewells, 02 Bore-Wells with solar system and 14 handpumps have been installed.
- 3 Honda Pump Sets, 53 Spray Machines and 84 rolls of irrigation pipe have been provided to SHGs members for drudgery reduction.
- Under Environment Up-gradation, 04 Solar Street Lights have been installed and 22 Solar LED Lights have been provided.
- 08 Health & Awareness Camps and 18 Veterinary Camps were organized.

Outcome

- Due to increase in water availability in the nearby wells and tube wells, farmers are now able to provide 2-4 times more irrigation to their crops. New crops i.e. Cabbage, Ginger, Peas, Potato, Garlic, Areca nut, Banana etc have been introduced in the project area.
- Farmers have assured with developed water resources which helps in increasing additional areaunder irrigation. These resoures have also helped in cultivation of second crop thereby, the cropped area and cropping intensity also increased.
- All the project villages are institutionalized through Self Help Groups (SHG) by providing financial support for addressing immediate needs and setting up of Micro-enterprises
- Enhanced income of members through various Income Generation activities and Micro-enterprises is leading towards their self-reliance.
- Awareness generation has helped in minimising social evils and improving livelihoods of the community.
- Farmers have started cultivating High Yield Varieties (HYV) and cash crops for more production and income leading to better livelihoods.

आजीविका उद्यम विकास परियोजना (एल.ई.डी.पी.)

आईएफएफडीसी द्वारा नाबार्ड के सहयोग से आजीविका उद्यम विकास परियोजना–सागर एवं सतना (म.प्र.) का क्रियान्वयन सुरखी घाना, जिला सागर और अमरीती, ब्लॉक मझगवाँ, जिला सतना (म.प्र.) किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य स्थिर आजीविका हेतु उद्यम विकास करना है। प्रमुख गतिविधियों की प्रगति इस प्रकार है:

- आय सृजन के लिए एसएचजी के सदस्यों को 30 सिलाई मशीनें प्रदान की गईं।
- कौशल विकास के लिए सागर और सतना (म.प्र.) में सिलाई पर 15 दिनों की अवधि के 7 प्रशिक्षण पूरे कर लिये गये है, जिसमें 210 महिलाओं को कपड़े की सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है।
- 24 प्रशिक्षित सदस्यों को सिलाई के 24 टूल किट प्रदान किए गए। कुछ महिलाओं ने अपने घर पर कपड़े की सिलाई का काम शुरू कर दिया है और अपनी आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए स्कूल की यूनिफार्म सिलने हेतु स्थानीय स्कूल से भी जोड़ा गया है।
- सागर में "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की लगभग 115 महिला सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान निदेशक, आईएफएफडीसी, डीडीएम, नाबार्ड और शाखा प्रबंधक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने समूहों के 5 सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट आय सृजन गतिविधि के लिए सम्मानित किया।
- दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट (मध्य प्रदेश) में स्वयं सहायता समूह के लिए एक दिवसीय भ्रमण का आयोजन किया गया। इसमें 25 स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, पापड़ बनाना, आँवला सुपारी बनाना आदि के बारे में सीखा।

नाबार्ड – आजीविका उद्यम विकास परियोजना, सतना (मध्य प्रदेश) अंतर्गत सिलाई कौशल विकास प्रशिक्षण

Livelihood Entrepreneurs Development Project (LEDP)

The Livelihood Entrepreneur Development Projects-Sagar and Satna (M.P.) are being implemented by IFFDC with the support from NABARD in the area of Surkhi Ghanna, Dist. Sagar and Amiriti, Block Majhgawan, Dist. Satna (M.P.). The objective of the project is to develop entrepreneurs for sustainable livlelihood. The progress of major activities is as follows:

- For Income Generation, 30 Sewing Machines have been provided to SHG's members.
- For Skill Development, 7 trainings on tailoring for 15 days period have been completed in Sagar and Satna (M.P.) in which, 210 women have been trained on stitching of cloths.
- 24 Tool Kits of tailoring have been provided to 24 trained members. Some women have started cloth stitching work at their home and generating income for their livelihood also link with Local School for Stitching of School dress.
- "International Women's Day" have been celebrated at Sagar in which, about 115 Women members of SHGs participated. Director, IFFDC, DDM, NABARD and Branch Manager, Madhyanchal Gramin Bank honoured the 5 SHG members for their excellent Income Generation Activities.
- Organised one day exposure visit for Self Help Groups at Deen Dayal Research Institute, Chitrakoot (M.P.). 25 SHG members participated in the exposure visit. They have learnt about Pickle making, Murabba making, Papad making and Aonla Supari making etc.

Garment stitching skill development training of Women members under NABARD Livelihood Entrepreneur Development Project-Sagar (M.P.)

जनजातीय व सीमान्त समुदाय के लिए पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट)

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा "जनजातीय व सीमान्त समुदाय को पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा" प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. (नाबार्ड) की आर्थिक सहायता से आदिवासी क्षेत्रों में लघु फलोद्यान/वाड़ी विकास के लिए परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इस परियोजना में, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषणता एवं इन समस्याओं के उचित समन्वित समाधानों को ज्ञात करने हेतु वृहद् परिदृश्य में देखने की आवश्यकता को समाहित किया गया है। इन परियोजनाओं में, ग्रामीण आदिवासी परिवारों को आत्मीयता वाले समूहों जिसे 'वाड़ी टुकड़ी' कहा गया, में संगठित कर उनकी प्रति परिवार एक एकड़ चयनित जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने के साथ–साथ अन्तः कृषि एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करने के क्रम में क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गयी। इसमें परिवार के उपभोग के अलावा 'वेल्यू चेन' का निर्माण कर उत्पादन को उच्च स्तर पर बढ़ाने पर बल दिया गया। जिससे, आय एवं आजीविका में वृद्धि होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आय संवर्द्धन से लेकर भूमि उत्पादकता में वृद्धि करने तक समन्वित ग्रामीण विकास हेतु विविध गतिविधियाँ भी शामिल की गयी हैं।

'वाड़ी' कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:– (क) बागवानी विकास (फल/औषधीय फसल एवं वानिकी पौधरोपण) मुख्य अवयव हैं, तथा (ख) मृदा संरक्षण, (ग) जल संसाधन प्रबन्धन (संरक्षण एवं उपयोग), (घ) उन्नत कृषि, (घ) मानव संसाधन विकास (समुदाय विकास), (च) महिला विकास, (छ) सामुदायिक स्वास्थ्य (ज) भूमिहीन लोगों के लिए लघु उद्योग विकसित करना। विभिन्न राज्यों ने वाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत 8,515 परिवारों को जोड़ा गया है।

परियोजना विवरण

राज्य	जिला	लक्षित परिवार	लाभान्वित परिवार	परियोजना स्थिति
मध्य प्रदेश	सागर, छिंदवाड़ा	2,000	1,887*	पूर्ण
राजस्थान	प्रतापगढ़	2,750	2,791*	पूर्ण
छत्तीसगढ़	कवर्धा, बिलासपुर	2,000	2,000*	पूर्ण
पश्चिमी बंगाल	बांकुड़ा	1,500	837*	पूर्ण
तेलंगाना	आदिलाबाद	500	500*	पूर्ण
झारखंड	पलामू	500	500*	पूर्ण
	योग	**9,250**	**8,515**	

* परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

प्रगति

- आवश्यकतानुसार, 235 वाडियों में सिंचाई, निराई–गुड़ाई, थामला बनाना आदि जैसी रखरखाव की गतिविधियाँ की गईं।

परिणाम

- परियोजना क्षेत्र के गांवों में फलदार वृक्षारोपण से निरन्तर अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अवसर उत्पन्न हुए हैं।
- किसानों द्वारा उन्नत कृषि गतिविधियाँ अपनाने से सब्जी उत्पादन द्वारा अधिक पैदावार और अधिक आय प्राप्त हो रही है।
- जल संसाधन विकास गतिविधियों के कारण सब्जी के क्षेत्रफल और अन्तःवर्ती फसल उगाने के अवसर प्राप्त हुए हैं।
- विकसित उच्च गुणवत्ता के उद्यानों के किसान स्वयं मालिक हैं जिससे वे अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं एवं उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ गयी है।

Nutritional and Economic Security for Tribal & Marginalized Communities (NEST)

To provide nutritional and economic security for tribal and marginalised communities. IFFDC has initiated projects with financial assistance from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for the development of Small Orchard/Wadi in the tribal belts. The project addresses the growing concerns related to malnutrition in women and children in rural areas and the need to look at these problems in a wider perspective, to find appropriate integrated solutions. These projects envisage the mobilisation and organising of tribal families into affinity based groups called 'WadiTolee' and building their capacity to grow fruit trees, alongwith inter-cropping and other allied activities, on designated piece of one acre land of each selected family . The emphasis is on up-scaling beyond family consumption to build a 'value chain' that will serve to enhance income and livelihoods. The project has diverse ramifications for integrated rural development from supplementing incomes to increasing land productivity.

The major components of the Wadi Programme include: (a) Orchard development (fruit/plantation/herbal crops & forest plants) as the core component (b) Soil conservation (c) Water resources management (conservation and use) (d) Improved agriculture (e) Human Resource Development (Community Development) (f) Gender Mainstreaming, (g) Community Health (h) Micro-enterprises Development for landless people. 8,515 families have been covered under wadies programme in different States.

PROJECT DETAILS

State	District	Target Families	Families Covered	Project Status
Madhya Pradesh	Sagar, Chhindwara	2,000	1,887*	Completed
Rajasthan	Pratapgarh	2,750	2,791*	Completed
Chhattisgarh	Kawardha, Bilaspur	2,000	2,000*	Completed
West Bengal	Bankura	1,500	837*	Completed
Telangana	Adilabad	500	500*	Completed
Jharkhand	Palamu	500	500*	Completed
	Total	**9,250**	**8,515**	

* Projects completed.

Progress

- As per need, the maintenance activities like Irrigation, hoeing & weeding, Basin making etc. undertaken in 235 Wadis.

Outcome

- Horticulture plantation in the project villages has created opportunities for additional income in the future on sustainable basis.
- Improved Agronomic practices adopted by the farmers has resulted in better crop production and better income from vegetable production.
- Water Resource Development activities provided opportunities to cultivate additional crop of vegetables as intercropping.
- Farmers are proud at becoming owners of established good quality orchards, which has also increased the value of their field.

सार्वभौमिक अवधान

ऐसे अवधान एवं गतिविधियाँ जो आई.एफ.एफ.डी.सी. की अधिकांश परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं उन्हें ''सार्वभौमिक अवधानों'' के तहत् रखा गया है, जो निम्नानुसार हैं:–

अ. सामुदायिक संस्थाएं

सार्वजनिक संम्पत्ति संसाधनों (सी.पी.आर.) के सफलतापूर्वक प्रबन्धन एवं परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के उपरान्त भी, विकास की प्रक्रिया को जारी रखने हेतु, स्थायी तन्त्र विकसित करने के क्रम में सामूहिक कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी विकासात्मक गतिविधियों को संस्थागत रूप देने हेतु सामुदायिक संस्थाओं के संवर्द्धन की नीति को विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया है। विकसित किये गये अभिनव समूह सहकारिता की अवधारणा पर आधारित हैं। परन्तु, इनका नामकरण उनके उद्देश्य, जिसके लिए उन्हें विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत गठित किया गया, के अनुसार किया गया है। इस प्रकार की सामुदायिक संस्थाऐं जैसे कि, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), आजीविका समितियाँ (एल.सी.), कृषक क्लब, वाड़ी समूह, स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), जल उपभोक्ता कमेटी (डब्ल्यू.यू.सी.) आदि हैं।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. स्वयं एक सहकारी संस्था होने के नाते सहकारिता की ताकत से भलीभाँति परिचित है जो, स्थानीय स्तर की संस्थाओं को बनाये रखने, उनका विकास करने में तथा परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के पश्चात् भी विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। सामुदायिक संस्थाएं, समुदाय की उनके वातावरण में आजीविका को सुनिश्चित करने एवं संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र एवं अवसर प्रदान करती हैं।

विभिन्न परियोजनाओं के तहत विकसित एवं पोषित सामुदायिक संस्थायें:

क्र.सं.	सामुदायिक संस्थायें	कुल संख्या	कुल सदस्य
1.	पी.एफ.एफ.सी.एस.	152	19,331
2.	पी.एल.डी.सी.एस.	14	1,788
3.	स्वयं सहायता समूह	1,896	19,403
4.	किसान क्लब	258	2,599
5.	वाड़ी समूह / टुकड़ी	180	2,475
6.	जल उपभोक्ता समिति	189	2,508
7.	ग्राम जलग्रहण समिति	68	775
8.	कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)	86	45,935
9.	आजीविका स्वायत्त सहकारी समिति (एल.सी.)	11	6,044
	कुल योग	**2,854**	**1,00,858**

- वर्ष के दौरान 621 सदस्यों को जोड़कर 56 नये स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया गया जिनका पोषण किया जा रहा है।

CROSS CUTTING INTERVENTIONS

Interventions and activities which are common to most of the IFFDC projects have been placed under the thematic area "Cross Cutting Interventions" which are as under: -

A. Community Institutions

Building capacity for collective action is crucial for the successful management of Common Property Resources (CPR) and to provide sustainable mechanisms for continuing the development process after withdrawal of project based interventions. IFFDC has consciously adopted the policy of promoting Community Institutions for institutionalizing its development interventions. The promoted groups are strongly rooted in the cooperative principles but differently named depending on the purpose for which formed, under its different projects viz: Primary Farm Forestry Cooperatives Societies (PFFCS), Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS), Farmer Producers Organisation (FPO), Livelihood Collectives (LCs), Farmer Clubs, Wadi Groups, Self Help Group (SHG), Water Users Committee (WUC) and so on.

PROGRESS

Being a Cooperative itself, IFFDC believes strongly in the strength of 'cooperative action' to uphold institutions at the local level and to provide support to the development process and help them sustain after withdrawal of the project. Community Institutions provide institutional mechanisms and opportunities for collective management of resources.

Community Institutions Developed and Nurtured under different Projects :

S.No.	Community Institutions	Total No.	Total Members
1.	PFFCS	152	19,331
2.	PLDCS	14	1,788
3.	SHG	1,896	19,403
4.	Farmer Clubs	258	2,599
5.	Wadi Groups/Tukdi	180	2,475
6.	Water User Committee	189	2,508
7.	Village Watershed Committee	68	775
8.	Farmers Producers Organisation (FPO)	86	45,935
9.	Self Reliant Livelihood Coop. Society (LC)	11	6,044
	Total	**2,854**	**1,00,858**

- During the year, 56 new Self Help Groups (SHGs) have been formed and nurtured, consisting of 621 members.

ब. जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण

सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत जेंडर को मुख्य धारा से जोडना एवं महिला सशक्तिकरण के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. का दृष्टिकोण विद्यमान गतिविधियों में केवल 'महिला घटक' को जोड़ना या 'जेंडर समानता घटक' ही नहीं है अपितु, महिला भागीदारी को बढ़ाने, उनमें अनुभव, ज्ञान व विकास के मुद्दों पर महिला एवं पुरुषों में रुचि पैदा करने से कहीं अधिक है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से असमान सामाजिक एवं संस्थागत संरचनाओं को समान एवं महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए, उनकी अपनी संरचनाओं के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में किए गये प्रयासों को सभी परियोजनाओं में सार्वभौमिक रूप से 'जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण' के अन्तर्गत रखा गया है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,896 स्वयं सहायता समूहों का पोषण किया जा रहा है। जिनकी कुल सदस्यता 19,403 है, जिनमें 94 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। इन समूहों ने अभी तक कुल 581.75 लाख की बचत करके सदस्यों ने आपस में 216.26 लाख का ऋण वितरित किया। स्थानीय बैंक भी इन समूहों को लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनसे सदस्यों की चिरन्तर आजीविका सुनिश्चित हो रही है। इन समूहों को नियमित बैठक, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषित किया जा रहा है। 331.73 लाख रुपये की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में 'सूक्ष्म–वित्त–प्रक्रिया' सहयोग हेतु चक्रीय कोष संचालित किया जा रहा है।

परियोजना क्षेत्र में, महिलाओं में कौशल विकास व अतिरिक्त आय अर्जन के लिए और अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए ''नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन – इंडिया'' (निफी), सीबार्ट, ट्राईफेड की उन्नत तकनीकियाँ जैसे हैंडलूम उत्पादों की बुनाई, बाँस के फर्नीचर/उत्पाद निर्माण, सेनेटरी नेपकिन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, मसाला प्रसंस्करण, दिया–बाती निर्माण, पेपर प्लेट निर्माण, सुपारी के पत्तों से प्लेट निर्माण आदि अपनाई गईं, जिससे, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड व बी पॉजिटिव कं. के तकनीकी सहयोग से स्थापित की गयी मधुमक्खी पालन इकाईयों से महिलाओं के आय–अर्जन में वृद्धि हो रही है।

इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना–सुंदरबन, ग्राम लश्करपुर, जिला साउथ 24 परगना (पश्चिमी बंगाल) अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा आय अर्जन हेतु स्थापित मुरमुरा निर्माण लघु उद्योग

B. Gender Mainstreaming & Women Empowerment

IFFDC's approach to mainstreaming gender and women empowerment in all its projects is not about adding merely a 'woman's component' or even a 'gender equality component' into an existing activity. It goes beyond increasing women's participation, bringing the experience, knowledge, and interests of women and men to bear on the development agenda. Its efforts for empowering women through transforming unequal social and institutional structures into equal and just structures for both men and women are an essential feature of all IFFDC interventions and constitute the cross cutting thematic area 'Gender Mainstreaming and Women Empowerment.

PROGRESS

IFFDC is nurturing 1,896 SHG with a total membership of 19,403of which 94% are women. The cumulative savings of these groups has reached Rs. 581.75 lakh. Loans taken by members are around Rs. 216.26 lakh. The local banks are also providing financial assistance to them for initiating micro-enterprises for sustainable livelihood development. These SHG are being nurtured through Regular Meetings, Skill Development and Capacity Building Programmes. Furthermore, the revolving fund amounting to Rs. 331.73 lakh has been operationalised for facilitating Micro-Credit Mechanism in the rural areas.

To develop skill and open new avenues of income generation to the women members, the innovative technologies of "National Innovation Foundation - India" (NIFI), CIBART, TRIFED etc are being mobilised. The income generating activities suc as Handlooms items weeving, Bamboo furniture/Products making, Sanitary Napkin Manufacturing, Agarbatti Making, Spices Processing, Wick making, Paper Plates manufaturing, Arecanut leaves plates manufacturing etc. have been adopted in the project area. Moreover, the Bee-keeping units setup with the technical guidance of National Bee Board and Bee Positive Co. are resulting in additional income generation.

Poultry (Sonali bread) rearing by SHG members for income generation at village Lashkarpur, Distt. South 24 Parganas (West Bengal) under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project-Sunderbans

स्वयं सहायता समूहों के अलावा, अन्य सामुदायिक संगठनों जैसे–प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ, प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ, जल उपयोग समितियाँ, आजीविका स्वायत्त सहकारी समितियाँ इत्यादि में भी महिलाओं की सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित की गयीं।

महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने सम्बन्धी गतिविधियों का विवरणः

क्र.सं.	गतिविधियाँ	उपलब्धि (संख्या)
1.	स्वास्थ्य चिकित्सा व स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम (सं.)	260
2.	पीने का स्वच्छ जल सहयोग (परिवार सं.)	4,870
3.	धूम्ररहित चूल्हा निर्माण (परिवार सं.)	1,692
4.	महिला विकास गतिविधियाँ (सं.)	320
5.	शौचालय निर्माण (परिवार सं.)	348
6.	महिला श्रम बचत गतिविधियाँ (सदस्य सं.)	1,084
7.	मधुमक्खी पालन इकाईयाँ – 5 बॉक्स प्रति इकाई (सं.)	92
8.	आय अर्जन गतिविधियाँ (सदस्य सं.)	1,161

परिणाम

- स्वयं सहायता समूह तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर महिलाओं के सामरिक हितों के समाधान से उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद कर रहे हैं। उन्नत कृषि से सम्बन्धित मुद्दों के अलावा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं, कार्यात्मक साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक शोषण तथा शराब, जुंआ, तम्बाकू आदि की लत जैसी सामाजिक बुराईयों की पहचान कर उनका उपयुक्त समाधान कर रहे हैं।
- कौशल विकास से स्वयं सहायता समूह में सम्बद्धता, स्वामित्व और समुदाय के बीच अपनेपन की भावना पैदा हुई है।
- वर्तमान में सभी परियोजना गांव स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संस्थागत सहभागी योजना निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
- महिला श्रम में कमी हेतु आयोजित की गयी गतिविधियों से उनकी मेहनत व समय में बचत हुई। इस बचत के समय को महिलाऐं स्वयं के विकास व आय अर्जन में उपयोग कर रही हैं।
- शौचालय निर्माण से खुले में शौच की प्रवृत्ति में कमी आयी है। लड़कियाँ व महिलाऐं अब स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं जिससे, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है।
- नयी तकनीकी जैसे बायो–डाईजेस्टर शौचालय के प्रयोग से मानव विष्टा पूर्ण तरह से विघटित हो जाती है, परिणामस्वरूप भू–जल की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। अन्ततोगत्वा, इससे भारत सरकार के कार्यक्रम ''स्वच्छ भारत अभियान'' में योगदान करने में सहायता मिलती है।
- आय अर्जन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र में चिरन्तर आजीविका सृजन में सहयोग हो रहा है तथा उद्यमी महिला सदस्यों की भूमिका उनके परिवार में और अधिक मजबूत हुई है।

Apart from Self Help Group formation, women membership is also encouraged in Community Based Organisations such as PFFCS, PLDCS, WUC, LCs etc. During the year following activities were undertaken for Gender mainstreaming.

Details of Gender mainstreaming related activities:

S. No.	Activities	Achievement (Nos.)
1.	Health Checkup & Sanitation Awareness Programme (No.)	260
2.	Safe Drinking Water (No. of Families)	4,870
3.	Construction of Smokeless Chulha (No. of Families)	1,692
4.	Women Development Activities (No.)	320
5.	Toilets Construction (No. of Families)	348
6.	Women Drudgery Reduction Activities (No. of Members)	1,084
7.	Bee-keeping Units - 5 Boxes per unit (No.)	92
8.	Income Generation Activities (No. of Members)	1,161

Outcome

- Self Help Groups (SHG) are helping in addressing the fulfillment of immediate needs as well as the strategic interests of women and helping to bring them into the mainstream. SHG are also discussing their problems related to health, functional literacy, education of children, social exploitation and social evils like addiction to alcohol, gambling, tobacco consumption etc. and are identifying suitable solutions for their problems.
- Skill Development of SHG has generated income and created a sense of cohesiveness, ownership and belongingness amongst community members.
- SHG have been institutionalized in all project villages at present, which is ensuring that the women and marginalized communities are actively involved in the participatory planning and implementation exercises.
- The women drudgery reduction activities helped in saving time and labour of the women. The women are utilising the saved time in their own development & income generation.
- Open defecation is reduced due to construction of toilets. Girls and women are feeling safe which has helped in improving their self-esteem.
- Use of new technology i.e. Bio-Digester Toilets helped in total decomposition of human waste consequently the quality of ground water does not deteriorate ultimately it contributes significantly to the agenda of Government of India for "Swachh Bharat Abhiyan".
- Income generating activities helping in sustainable livelihood in rural area and the role of entrepreneur women in their families has increased.

स. क्षमता निर्माण

आई.एफ.एफ.डी.सी. में क्षमता निर्माण एक सार्वभौमिक अवधान के रूप में आवश्यक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। जिससे, संस्था के कर्मियों/भागीदारों के प्रायोगिक ज्ञान, दक्षता एवं मनोभावों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने प्रशिक्षणों में, निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन अथवा प्रशिक्षण प्रणाली दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण में धारणा प्रणाली के प्रयोग से अनवरत परिवर्तित हो रहे वातावरण में प्रयोग की जा सकने वाली आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सामग्रियों का नियमित विकास सुनिश्चित हो जाता है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने स्थानीय लोगों को परिवर्तनकारी भूमिकाओं के संवारने पर जोर दिया– वह भूमिकाएँ जिनका उद्देश्य व्यक्तियों एवं समूहों का क्षमता निर्माण है। इन भूमिकाओं में उद्यमिता विकास, वानिकी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, ग्राम जलग्रहण विकास समितियों एवं अन्य समूहों का प्रबंधन तथा ग्राम स्तर पर स्थानीय सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षणों से कौशल विकास शामिल है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए कौशल विकास पर 40 प्रशिक्षण, 18 एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया।

परिणाम

- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने जागरूकता सृजन, कौशल और ज्ञान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन, लघु उद्योग स्थापना और समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित करने में मदद करता है जो अवधानों की समग्र स्थिरता में मदद करता है।
- स्थानीय स्तर के 200 से अधिक सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित कर पैरा–प्रोफेशनल जैसे कृषक मित्र, जानकार, स्वयं सेवकों/कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स, समूह प्रेरक, इत्यादि का कौशल निर्माण किया।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

इफको ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना अंतर्गत प्रतापपुर, जिला गंजाम (ओडिशा) में स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा स्कूल यूनीफार्म की सिलाई से आय अर्जन

C. Capacity Building

Capacity building, essentially an organised process of providing systematic inputs to personnel/ stakeholders that results in acquisition of practical knowledge, skills and attitudes, is another cross cutting component that IFFDC places great emphasis on.

IFFDC's use of System Approach to Training ensures that training programs and the required support materials are developed continuously to adapt to the variety of needs and rapidly changing environment.

PROGRESS

The IFFDC has laid emphasis on grooming people from the community for performing transformational roles that aim at capacity building of groups and individuals. These roles include entrepreneurship and management skills of PFFCS, SHGs, FPOs, Village Watershed Development Committee and other groups and village level local service providers. During the year, 40 trainings on Skill Development and 18 Exposure Visits were organised.

Outcome

- Capacity building programmes have played a crucial role generating awareness, developing skill & knowledge which helped in smooth implementation of projects, initiating micro-enterprises and inculcating a sense of ownership in the community that helps in turn in the overall sustainability of interventions.
- A cadre of more than 200 local-level service providers are trained and groomed as para-professionals such as Krishakmitras, Jankars, volunteers / community facilitators group motivators, etc. and are involved in skill up-gradation of the community.
- Involvement of women in the training programmes has helped in instilling a sense of confidence in these women.

Agarbatti making for income generation by Self Help Group women members under IFFCO Tokio Integrated Rural Development Project-Sunderbans, Netajipalli, Distt. South 24 Parganas (West Bengal)

अन्य

- अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ – एशिया पैसिफिक, महिला एवं वानिकी कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र एन.जी.ओ. सी.एस.डब्ल्यू. 66 फोरम के साइड इवेंट "जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहकारिता की महिलाओं की भूमिका" के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. के प्रबंध निदेशक ने "जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में आई.एफ.एफ.डी.सी. की भूमिका एवं महिला सहकारिता का योगदान" विषय पर अपने विचार व्यक्त किये।
- सियोल मे 1–3 दिसम्बर, 2021 को आयोजित 33वी विश्व सहकारी कांग्रेस के पैनल 3.1 ''पृथ्वी के अस्तिव'' के लिए हमारी सहकारिता की पहचान के लिए प्रतिबद्धता'' पर एक पैनलिस्ट के रूप मे प्रबंध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने पर्यावरण संरक्षण मे आई.एफ.एफ.डी.सी. की भूमिका पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। इस पेनेल पर ब्राजील, जापान, इथियोपिया, डोमिनिकन गणराज्य और कोस्टा रिका देशों के अन्य पैनलिस्ट भी थे।
- अंगकासा द्वारा अन्तर्राश्ट्रीय सहकारी संघ –एशिया प्रशान्त की वानिकी समिति और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ–एशिया प्रशान्त की युवा समिति के साथ अंगकासा के ''1 मिलियन पेड़ अभियान'' का परिचय कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से बैठक आयोजित की गई थी। प्रबन्ध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने वानिकी कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप मे मलेशिया, फिलीपीस, ईरान, भारत आदि के प्रतिभागियों को वानिकी कमेटी के सहयोग से आई.एफ.एफ. डी.सी. द्वारा ''क्लाईमेट एक्शन'' पर किये गये प्रयासो के बारे मे बताया।

- आईएफएफडीसी ने वानिकी के सामान्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (टीएफआरआई), जबलपुर (एमपी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- श्री अभय सिंह, संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने एनसीयूआई हाट, नई दिल्ली में आईएफएफडीसी स्टाल का दौरा किया। उन्होंने आईएफएफडीसी द्वारा प्रवर्तित स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प उत्पादों की सराहना की।
- 1–15 सितंबर, 2021 के दौरान आईएफएफडीसी द्वारा "एनसीयूआई हाट" में स्वयं सहायता समूहों, आजीविका समूहों, और ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों की सहकारी समितियों तैयार उत्पादों के लिए एक प्रदर्शनी सह बिक्री शुरू की गई थी।
- श्री एस.पी. सिंह, प्रबंध निदेशक ने 27 सितंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईसीए के अध्यक्ष श्री एरियल ग्वार्को के साथ ऑनलाइन बैठक में भाग लिया और आईएफएफडीसी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) के 58वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित जिला सतना (म.प्र.) के कृषक उत्पादक संगठन "सोहावल कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड" की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती साधना तिवारी को श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा हाईब्रिड मोड से "कृषक फेलो अवार्ड" से सम्मानित किया गया।
- राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई कोटा डोरिया साड़ी को ऑनलाइन मार्केटिंग हेतु "भारतीय सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म" पर लॉन्च किया गया।
- आईसीए–एपी की वानिकी समिति के उपाध्यक्ष व आईएफएफडीसी के प्रबंध निदेशक ने आईसीए–एपी द्वारा आयोजित आईसीए–एपी समितियों के लिए ऑनलाईन परामर्श के दौरान वानिकी समिति को मजबूत करने पर अपने विचार साझा किए।
- आईसीए–एमएएफएफ (जापान) के पहले ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रबंध निदेशक, आईएफएफडीसी द्वारा एशिया और अफ्रीका के प्रतिभागियों को एकीकृत ग्रामीण विकास और महिला अधिकारिता पर व्याख्यान दिया गया। इसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस एशिया पैसिफिक, पार्ट I, 14–18 दिसंबर, 2020 की कोर्स रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।

Other

- Managing Director, IFFDC shared views on "IFFDC Role in Natural Resourses Management (NRM) for Climate Action & Women Cooperative Contribution" during online UN NGO CSW66 Forum Side on "Women in Cooperative Combating Climate Change Together" organized by ICA-AP and Committee on Forestry & Women.
- Managing Director, IFFDC as panellist on the Panel 3.1 "Committing to our cooperative identity, for survival of the planet" of 33rd World Cooperative Congress held on 1-3 December, 2021 at Seoul has delivered lecture on "Role of IFFDC in Environment Conservation". There was other panelist from Brazil, Japan, Ethiopia, Dominican Republic and Costa Rica countries
- Video Conferencing was held by ANGKASA with ICA-AP Forestry Committee and ICA-AP Youth Committee to introduce ANGKASA's 1 Million Trees Campaign. On behalf of Forestry Committee as Vice Chairman, Managing Director, IFFDC explained "Efforts on Climate Action of IFFDC in collaboration with Forestry Committee" to participants from Malaysia, Philippines, Iran, India etc

- IFFDC signed an agreement with Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur (M.P) for Common Research & Technology transfer of Forestry.
- Mr. Abhay Singh, Joint Secretary, Ministry of Cooperation, Govt. of India visited IFFDC stall at NCUI Haat, New Delhi. He appreciated handicraft products prepared by SHGs promoted by IFFDC.
- An exhibition cum Sale was undertaken by IFFDC in "NCUI Haat" for the products prepared by SHG member, Livelihood Collective and cooperative of Odisha, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh states during September, 1-15, 2021.
- Mr. S.P. Singh, Managing Director, participated in online meeting with Mr. Ariel Guarco, President, ICA ogranised by National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi on 27th September 2021 and brief about various activities of IFFDC.
- Smt. Sadhna Tiwari, CEO of IFFDC promoted Farmer producer Organistaion (FPO) "Sohawal Krishak Producer Company Limited" in district Satna (M.P.) has been honoured "Krishak Fellow Award" by Shri. Narendra Singh Tomar, Minister of Agriculture & Farmer Welfare and Minister of Rural Development, Govt. Of India on the occasion of 58th foundation of Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya at Jabalpur (M.P.) through hybrid mode.
- The Kota Doria Saree prepared by IFFDC promoted Self Help Groups in Kota & Bundi districts (Rajasthan) have been launched on "Indian Cooperative Digital Platform" for online marketing.
- Being Vice Chairman of ICA-AP Forestry Committee, Managing Director, IFFDC shared his views on strengthening the Forestry Committee during Virtual Consultation of ICA-AP Committees organised by ICA-AP.
- A lecture was delivered by MD-IFFDC on Integrated Rural Development & Women Empowerment to the participants from Asia & Africa on the occasion of 1st Online Training of ICA-MAFF (Japan). It has been published in the Course report of International Cooperative Alliance Asia Pacific, Part I, 14-18 December, 2020.

बीज एवं अन्य कृषि आदान

(अ) बीज

बीज कृषि उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रांतिक आदान है जिस पर अन्य कृषि आदानों की कार्य क्षमता एवं प्रभाव बहुत हद तक निर्भर करता है। भिन्न–भिन्न फसलों में केवल सही बीज के प्रयोग से ही फसल उत्पादन में 15–20 प्रतिशत की वृद्धि संभव है तथा बीज के साथ अन्य कृषि आदानों के बेहतर प्रबंधन से फसल उत्पादन को 45 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि–जलवायु परिस्थितियों में अधिक उत्पादन देने वाले बीज की समुचित मात्रा उचित मूल्य पर उपलब्ध होना आवश्यक है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तर बढ़ोत्तरी के लिए नई व उन्नतशील किस्मों के बीजों का विकास अत्यन्त आवश्यक है जिससे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह साबित हो चुका है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भविष्य में खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापना दर (सीड रिप्लेसमेंट रेट) को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह कार्य करने के लिए हमें उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हालांकि हमारे देश में अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ रहा है, फिर भी, बढ़ती हुई जनसंख्या व कृषि उत्पादन की गति को देखते हुए इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में अधिकतर किसानों को आज भी अच्छी गुणवत्ता का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी घर के बीजों को ही प्रयोग में ले रहे हैं। फसल की अधिक उपज हेतु गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित है।

इस समस्या के समाधन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 'किसान केन्द्रित' बाजारोन्मुखी बीज उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों में आई.एफ.एफ.डी.सी. व राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (एस.एस.सी.ए.) के तकनीकी पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन किया जा रहा है। बीज उत्पादन कार्य में रुचि रखने वाले व आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन के मापदण्डों को पूरा करने वाले किसानों को 'बीज उत्पादक समूहों' (एस.जी.जी) के रूप में संगठित कर उनमें उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्वयं के अथवा किराये के प्रसंस्करण संयंत्रों पर अपने पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन के तकनीकी पहलुओं के अनुरूप प्रसंस्करण किया जाता है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित करवाने के पश्चात् सहकारी बिक्री तन्त्र के माध्यम से बीज किसानों को विपणन किया जाता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. रामपुराफूल द्वारा सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत् धनिया बीज की भरपूर फसल

SEED & Other Agri-Inputs

(A) SEED

Seed is the critical determinant of agricultural production on which depends the performance and efficacy of other inputs. Seed itself can potentially raise total production by about 15% – 20% depending upon the crop and further up to 45% with efficient management of other inputs. Quality seeds appropriate to different agro-climatic conditions and in sufficient quantity at affordable prices are required to raise productivity. Availability and use of quality seeds is not a one time affair. Sustained increase in agriculture production and productivity necessarily requires continuous development of new and improved varieties of crops befitting to the needs of the farmers and efficient system of production and supply of seeds to farmers.

It has become evident that in order to achieve the food security in future for growing population, a major effort will be required to enhance the seed replacement rates of various crops. This would require a major increase in the production of quality seed. Although, the growth of Seed sector in India is remarkable but still there are areas where endeavours required to be made to cope up with the pace of increase in population and agriculture production.

Many of the farmers in the country have little or no access to improved seed and continue to use the Farm Saved Seeds (FSS) generation after generation. For a good crop harvest, availability of quality seeds is a prerequisite.

To address this problem, the IFFDC has initiated a 'farmer centric', market driven Seed Production Programme. Seed is being produced on farmer's fields under technical supervision of IFFDC and the State Seed Certification Agencies (SSCA). Interested farmers fulfilling the criteria of "IFFDC Seed Production Guidelines" are organised into "Seed Grower Groups" (SGG) and their capacities are built for seed quality control alongwith technical aspects of seed production. The seed is then processed either in IFFDC's own processing plants or hired processing plants under its supervision as per the "Seed Certification Standards". After certification by the SSCA, the seed is being marketed to the farmers through the existing cooperative network.

Seed Production Programme of Jowar (Sorghum) taken up by IFFDC at Telangana

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता बढ़ाने व कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बीज उत्पादन तथा विपणन कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान बीज उत्पादन कार्यक्रम में उन्नीस फसलों की बाईस नई किस्मों को जोड़ा गया है। बीज प्रसंस्करण इकाई, दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) में 18 किलोवाट क्षमता की प्रथम सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की गई है।

अधिक से अधिक कृषकों को बीज उत्पादन प्रणाली से जोड़ने के लिए, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों के साथ प्रभावी संवाद के लिए 'बीज उत्पादक समूह' के गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे, उनमें क्षमता विकास हो व गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढावा मिले। इन बीज उत्पादक समूहों को नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों व जागरूकता लाने वाली गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन के लिये आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी स्वयं की आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली विकसित की गई है जिसके तहत, विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज स्त्रोंतों का प्रबंधन, बुवाई, खड़ी फसल में की जाने वाली शस्य क्रियायें, कटाई उपरान्त गतिविधियाँ, प्रसंस्करण व प्रमाणीकरण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि के समय निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बीज के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति तथा बीज उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के कार्य में योगदान किया।

संपर्क (लिंकेज) विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जनक एवं आधार बीजों के क्रय के लिए भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य बीज निगमों व अन्य सस्थानों के साथ तथा उत्पादित बीज के प्रमाणीकरण के लिए राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित किये गये हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. को सात केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसियों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसी के रूप में आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की दलहन एवं तिलहन योजनाओं के अंतर्गत अपनी सेवायें प्रदान कर रही है। यह योजना मुख्य रूप से प्रजनक बीज खरीद, आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं मिनीकिट वितरण पर केंद्रित है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. उत्तर प्रदेश द्वारा गेहूँ की नई किस्म डी.बी.डब्ल्यू.–187 का मैगलगंज, लखीमपुर में बीज उत्पादन

IFFDC has undertaken Seed Production and Marketing in the states of Uttar Pradesh, Uttrakhand, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand and Himachal Pradesh to increase availability of quality seed and thus enhance agricultural productivity. 22 new varieties of 19 crops have been added in the Seed Production Programme during the year 2021-22. The first Solar Power Generation Unit of 18 KW capacity has been established at SPU, Durjanpur, Hisar (Haryana).

To bring farmers under the ambit of the Seed Production System, IFFDC is focusing on formation of Seed Growers Groups (SGG) for effective communication with the farmers, helps in capacity building and also ensure quality seed production. These SGGs are being nurtured through regular meetings, training and other awareness creating activities. For ensuring the quality of seeds produced, the IFFDC has an inbuilt Internal Quality Control (IQC) System which involves inspection and control at various critical stages viz. arranging seed sources, sowing, field/crop level, post-harvest, processing, certification, packaging, storage, transportation etc. Wider publicity of IFFDC seeds is being undertaken through organising various activities. IFFDC also contributed towards doubling the farmers income by providing quality seeds and also providing incentives to the seed grower farmers..

Linkages Development

IFFDC has developed strong linkages with National Seed Association of India (NSAI), National Seed Corporation (NSC), Agricultural Universities, Research Institutes, State Seed Corporations and other Agencies for procuring Breeder/Foundation Seed and also with the State Seed Certification Agencies for getting Certification of the IFFDC produced seeds. IFFDC has also been recognised as one of the seven central seed producing agencies. As a central seed producing agency IFFDC is delivering its services under different schemes of National Food Security Mission (NFSM) - Pulses & Oilseeds, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, Govt. of India, New Delhi. These scheme are mainly focused on procurement of Breeder seeds, production of foundation & certified seed and minikit distribution.

Dr. Vikrant Singh, Joint Director, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare visited & appreciated IFFDC Mustard Seed Production Programme at Hisar (Haryana)

बीज ग्रेडिंग इकाई , गोदाम एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला

संस्था की ताखा, इटावा (उत्तर प्रदेश), चपरतला, लखीमपुर–खीरी (उत्तर प्रदेश), रामपुराफूल, भटिंडा (पंजाब), दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) तथा कोटा (राजस्थान) में पाँच प्रसंस्करण इकाईयाँ जिनमें समुचित भण्डारण व्यवस्था है, कार्यरत हैं। बीज उत्पादन इकाई चपरतला, लखीमपुर–खीरी (उत्तर प्रदेश) में आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रथम बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य चल रहा है। सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है व बीज परीक्षण हेतु उपकरणों की खरीद का कार्य जारी है।

वर्ष के दौरान प्रगति

(I) उत्पादन

- खरीफ 2021 के दौरान कुल 7,580 क्विंटल प्रमाणित बीज (4,715 क्विंटल धान, 1,895 क्विंटल मूँग, 70 क्विंटल उड़द, 600 क्विंटल ज्वार एवं 300 क्विंटल बाजरा) का उत्पादन किया गया जो कि खरीफ 2022 में विपणन के लिये उपलब्ध होगा।
- रबी 2021–22 के दौरान लगभग 2.45 लाख क्विंटल उत्पादित प्रमाणित बीज (2.36 लाख क्विंटल गेहूँ, 8,650 क्विंटल चना, 410 क्विंटल सरसों, 187 क्विंटल मटर एवं 240 क्विंटल बरसीम) रबी 2022–23 में विपणन के लिए उपलब्ध होगा।
- इसी प्रकार, लगभग 8,130 क्विंटल आधार बीज (40 क्विंटल मूँग, 40 क्विंटल सोयाबीन, 7,760 क्विंटल गेहूँ, 225 क्विंटल चना, 60 क्विंटल जौ एवं 5 क्विंटल बरसीम) आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्पादित किया गया जो कि अगले वर्ष के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा पंजाब राज्य में पहली बार 5 सब्जी फसलों के 435 किग्रा बीज का उत्पादन किया गया।

(ii) विपणन

- खरीफ 2021 के दौरान, कुल 8,459 क्विंटल (4,078 क्विंटल धान, 190 क्विंटल सोयाबीन, 1,112 क्विंटल मूँग, 1,440 क्विंटल संकर धान, 272 क्विंटल संकर बाजरा, 101 क्विंटल बाजरा, 299 क्विंटल सुडान सोरगम घास, 845 क्विंटल ज्वार, 22 क्विंटल उड़द एवं 100 क्विंटल अरहर) बीज की बिक्री किसानों को सहकारी नेटवर्क एवं आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी के माध्यम से की गई है।
- रबी 2021–22 के दौरान कुल 3.93 लाख क्विंटल (3.82 लाख क्विंटल गेहूँ, 1,343 क्विंटल जौ, 9,045 क्विंटल चना, 346 क्विंटल संकर सरसों, 201 क्विंटल सरसों, 354 क्विंटल जीरा, 111 क्विंटल बरसीम एवं 150 क्विंटल मटर) बीज को सहकारी नेटवर्क एवं आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा रामपुराफूल, भटिंडा (पंजाब) में मूँग की नई किस्म एस.एम.एल. 1827 का बीज उत्पादन

Seed Grading Units, Godown & Seed Testing Lab

It's five Seed Processing Units at Takha, Etawah (Uttar Pradesh), Chapartala, Lakhimpur Khiri (Uttar Pradesh), Rampura Phul, Bhatinda (Punjab), Durjanpur, Hisar (Haryana) and Kota (Rajasthan) with sufficient storage facility are in operation. The work of establishment of IFFDC's first Seed Testing Lab at SPU Maigalganj, Lakhimpur-Khiri (Uttar Pradesh) is in progress. Civil Work has already been completed and the purchase of different equipments for seed testing is in process.

Progress during the year

(i) Production

- During Kharif 2021, total 7,580 qtls Certified Seeds (4,715 qtls Paddy, 1,895 qtls Moong, 70 qtls Urd, 600 qtls Sorghum and 300 qtls Pearl Millet) have been produced, the same will be available for marketing during Kharif 2022.
- During Rabi 2021-22, approximately 2.45 lakh qtls Certified Seeds (2.36 lakh qtls Wheat, 8,650 qtls Gram, 410 qtls Mustard, 187 qtls Pea and 240 qtls Berseem) produced will be available for marketing during Rabi 2022-23.
- Similarly, approximately 8,130 qtls Foundation Seed (40 qtls Moong, 40 qtls Soybean, 7,760 qtls Wheat, 225 qtls Gram, 60 qtls Barley and 5 qtls Berseem) has been produced by IFFDC for further multiplication.
- First time 435 kg vegetable Seed of Five vegetable crops have been produced by IFFDC in the state of Punjab.

(ii) Marketing

- During Kharif 2021, total 8459 qtls seeds (4078 qtls Paddy, 190 qtls Soybean, 1112 qtls Moong, 1440 qtls Hybrid Paddy, 272 qtls Hybrid Bajra, 101 qtls Bajra, 299 qtls Sudan Sorghum Grass, 845 qtls of Sorghum, 22 qtls Urd, and 100 qtls Arhar) has been sold to the farmers through cooperative network and IFFDC Franchisees.
- During Rabi 2021-22, total 3.93 lakh qtls (3.82 lakh qtls Wheat, 1343 qtls Barley, 9045 qtls Gram,346 qtls Hybrid Mustard, 201 qtls Mustard, 354 qtls Cumin, 111 qtls Berseem and 150 qtls Peas) seeds have been sold to the farmers through cooperative network and IFFDC Franchisees.

गेहूँ की नई किस्म एच.आई. 8759 का आई.एफ.एफ.डी.सी. मध्य प्रदेश द्वारा बीज उत्पादन

- वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 27,652 किग्रा (9,586 किग्रा सब्जी बीज कॉम्बो किट, 1500 किग्रा मटर, 977 किग्रा पालक, 594 किग्रा धनिया, 217 किग्रा मूली, 138 किग्रा भिंडी, 122 किग्रा मैंथी, 120 किग्रा शलजम, 104 किग्रा गाजर, 102 किग्रा टिंडा, 96 किग्रा लौकी, 156 किग्रा तोरई, 80 किग्रा बैंगन, 71 किग्रा कद्दू, 57 किग्रा चुकंदर, 39 किग्रा प्याज, 36 किग्रा करेला, 30 किग्रा खीरा, 23 किग्रा फूलगोभी, 20 किग्रा बंद गोभी, 20 किग्रा मिर्च, 14 किग्रा टमाटर, 13 किग्रा शिमला मिर्च, 12 किग्रा तरबूज, 10 किग्रा ककड़ी, 6 किग्रा खरबूजा, 6 किग्रा चप्पन कद्दू 2 किग्रा ब्रोकली एवं 1 किग्रा बीन्स) सब्जी बीज को इफको ई–बाजार लि. को ऑनलाईन बिक्री हेतु, आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचाइजियों एवं सहकारी नेटवर्क के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न सब्जी बीजों के 1.93 लाख पैकेटों की बिक्री की गई।

वर्ष	फसलों की संख्या	पैकेटों की संख्या	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (रुपये लाख)	% वृद्धि (संख्या)	% वृद्धि (मूल्य)
2021-22	28	1.93	27,652	156.77	279	76
2020-21	24	1.25	9924	88.87	-	-

बीज उत्पादक समूह (एस.जी.जी.) और बीज प्रचार–प्रसार

- वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल 250 सदस्यों के साथ 12 बीज उत्पादक समूहों का गठन किया गया है।
- कृषक समूहों के सदस्यों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की नई तकनीकियों की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान संस्थानों में एक और कृषि विश्वविद्यालयों के कृषक मेलों में एक अर्थात कुल दो भ्रमणों का आयोजन किया गया।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. बीज के प्रचार–प्रसार के लिए, 8 किसान–दिवसों, 3 फसल संगोष्ठी, 11 विशेष बिक्री अभियानों, 45 आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी की बैठकें, 2,000 वर्ग फुट दीवाल पेंटिंग, किसान मेलों में 1 प्रदर्शनी स्टॉल तथा विभिन्न स्थानों पर बोर्ड व बैनर आदि लगाये गये।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा चारे की फसल बरसीम की किस्म बी.एल.–42 का बीज उत्पादन

- During 2021-22, total 27652 kg (9,586 kg in vegetable seed Combo Kits, 1500 kg Peas, 977 Kg Palak, 594 Kg Coriander, 217 kg Radish, 138 kg Okra, 122 Kg Methi, 120 Kg Turnip, 104 kg Carrot, 102 kg Round Gourd, 96 kg Bottle Gourd, 156 kg Ridge Gourd, 80 kg Brinjal, 71 kg Pumpkin, 57 kg Beetroot, 39 kg Onion, 36 kg Bitter Gourd, 30 kg Cucumber, 23 kg Cauliflower, 20 kg Cabbage, 20 kg Chilli, 14 kg Tomato, 13 kg Capsicum, 12 kg Watermelon, 10 kg Longmelon, 6 kg Muskmelon, 6 kg Summer Squash, 2 kg Broccolli & 1 kg Beans) vegetable seeds have been sold to the IFFCO e-Bazar Ltd. for online sale, IFFDC KSKs and through cooperative network etc. 1.93 Lakh packets of vegetable seeds were sold during the year 2021-22.

Year	No. of Crops	No. of Packets (Lakh)	Quantity (Kg.)	Value % (Rs. Lakh)	Increase% (Qty)	Increase% (Value)
2021-22	28	1.93	27652	156.77	279	76
2020-21	24	1.25	9924	88.87	-	-

Seed Grower Groups (SGG) and Seed Publicity

- 12 Seed Grower Groups with 250 members have been formed during 2021-22.
- 1 exposure visits to the Agriculture Research Institutes and 1 visits to the Farmer Fairs of Agriculture Universities have also been organised to expose them to new technologies and practices of quality seed production.
- Wider publicity of IFFDC Seed has been undertaken through organising 8 Field-days, 3 Crop Seminar, 11 Special Sales Campaigns, 45 IFFDC Franchisee Meetings, 2000 Sq. Ft. Wall Paintings, participating in 1 Exhibition Stalls in Farmers Fairs, displaying boards and banners etc at various places.

First Solar Power Generation Unit installed by IFFDC at Seed Processing Unit, Hisar (Haryana)

(ब) उर्वरक एवं कृषि रसायन

स्थाई रूप से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. अपनी वितरण श्रृंखला (कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र, पी.एफ.एफ.सी.एस. नेटवर्क, कृषक सेवा केन्द्र आदि) द्वारा दूरदराज के किसानों को भी समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

प्रगति

वर्ष 2021–22 के दौरान 31.03.2022 तक 19.64 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री की जा चुकी है। 2020–21 की इसी अवधि के दौरान बिक्री 23.97 लाख मीट्रिक टन थी।

2020–21 के सापेक्ष 2021–22 के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अन्य उत्पादों की बिक्री

क्र.सं.	विवरण	अप्रैल–मार्च 2021-22	अप्रैल–मार्च 2020-21	% वृद्धि / कमी
1.	जल विलेय उर्वरक + स्पेशिएलिटी उर्वरक (मीट्रिक टन)	32193	23714	35.75
2.	सागरिका लिक्विड (लीटर)	268216	185532	44.57
3.	सागरिका ग्रेनुलर (मीट्रिक टन)	15180	10519	44.31
4.	नैनो यूरिया बॉटल (500 मिली) (संख्या)	3725625	0	गत वर्ष उत्पाद उपलब्ध नहीं था।

कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में 15 कृषि वानिकी सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के द्वारा उच्च उत्पादक किस्मों के बीज, इफको उर्वरक, जैव उर्वरक एवं इफको–एम.सी. कृषि–रसायन की आपूर्ति के साथ–साथ कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 22,388 मैट्रिक टन इफको खाद (14,744 मैट्रिक टन यूरिया, 1,441 मैट्रिक टन एन.पी.के., 5,227 मैट्रिक टन डी.ए.पी./एन.पी., 44 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक और 96 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर एवं 834 मैट्रिक अन अन्य खाद), 1558 लीटर सागरिका तरल, 13,571 लीटर जैविक खाद, 71.27 लीटर कृषि–रसायन एवं 10,556 क्विंटल गेहूँ एवं धान के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति किसानों को इन कृषि वानिकी सेवा केन्द्रों द्वारा की गयी।

पेहवा, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में इफको नैनो यूरिया (तरल) का ड्रोन द्वारा पर्णीय छिड़काव हेतु किसान प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन

(B) FERTILISERS & AGRO-CHEMICALS

To increase production and productivity of crops, timely supply of quality agri-inputs to the farmers even in the remote areas is being ensured by IFFDC through its supply chain (Agro-forestry Service Centers, PFFCS Network, Krishak Seva Kendra etc).

PROGRESS

During the year 2021-22, 19.64 Lakh MT of fertilizer has been sold upto 31.03.2022. The sale during the corresponding period of 2020-21 was 23.97 Lakh MT.

Other Products Sale through IFFDC during 2021-22 v/s 2020-21

S.No.	Particulars	April-March 2021-22	April-March 2020-21	% Increase/ Decrease
1.	WSF+ Speciality Fertiliser (MT)	32193	23714	35.75
2.	Sagarika Liquid (ltr)	268216	185532	44.57
3.	Sagarika Granular (MT)	15180	10519	44.31
4.	Nano Urea Bottle (500 ML) (Numbers)	3725625	0	Last year product was not available

Agro-Forestry Service Centers

The IFFDC is operating 15 Agro-Forestry Service Centers (AFSC) in Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh and West Bengal. These AFSCs are providing inputs like, HYV seed, IFFCO fertilisers, bio-fertilisers and IFFCO-MC Agro-Chemicals alongwith technical guidance to farmers. During the year, 22,388 MT IFFCO fertilisers (14,744 MT Urea, 1,441 MT NPK, 5,227 MT DAP/NP, 44 MT WSF, 96 MT Sagarika Granular, & 834 MT others), 1558 litre Sagarika Liquid, 13571 litre Bio Fertliser, Agro- Chemical of Rs.71.27 lakh and 10,556 qtls Certified Seeds of Wheat and Paddy etc have been supplied to the farmers through these AFSCs.

A view of the Gram Variety GNG-2171 Seed Production Field at Kota (Rajasthan)

प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति नेटवर्क

उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इफको उर्वरकों का विपणन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वर्ष के दौरान, कुल 40 समितियों ने 3,168 मैट्रिक टन इफको उर्वरक जिसमें 2,263 मैट्रिक टन यूरिया, 305 मैट्रिक टन एन.पी.के., 595 मैट्रिक टन डी.ए.पी./एन.पी., 3 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 2 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक, 30 लीटर सागरिका तरल तथा 8,504 क्विंटल विभिन्न फसलों के गुणवत्तायुक्त बीजों की भी आपूर्ति की गयी।

कृषक सेवा केन्द्र (के.एस.के.)

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के विशेषकर उन क्षेत्रों/जिलों में जहाँ सहकारी समितियां कमजोर हैं, वहाँ गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषक सेवा केन्द्र खोलकर एक वितरण श्रृंखला प्रणाली विकसित की गई। देश भर में संचालित इस प्रकार के 9,269 केन्द्रों द्वारा इस वर्ष 19,38,857 मैट्रिक टन इफको उर्वरक अर्थात् 11,06,060 मैट्रिक टन यूरिया, 5,84,800 मैट्रिक टन डी.ए.पी./एन.पी. और 2,15,246 मैट्रिक टन एन.पी.के., 2,669 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक, 15,081 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 15,000 मैट्रिक टन अन्य खाद, 2,66,628 लीटर सागरिका लिक्विड, 21,45,430 लीटर जैविक खाद तथा 1,10,974 क्विंटल गेहूँ, धान, मूँग, संकर धान, संकर बाजरा, सरसों, जौ, संकर सरसों, संकर मक्का, सुडान सोरगम घास, चना एवं जीरा के गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान 453 फ्रेंचायजी बनाये गये।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा प्रदत्त संकर सरसों बीज किस्म एच.एम. सुपर–222 से उगाई गई फलियों से भरपूर फसल उत्पादन

PFFCS Network

The Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh were encouraged to take up the marketing of fertilisers and other Agri-inputs for economic self-sufficiency. 40 PFFCS have marketed 3168 MT IFFCO fertilisers comprising of 2263 MT Urea, 305 MT NPK, 595 MT DAP/NP, 3 MT Sagarika Granular, 2 MT WSF, 30 Litre Sagarika Liquid and also 8504 qtls of quality seeds of various crops.

Krishak Seva Kendra (KSK)

To provide quality agricultural inputs, a delivery chain mechanism has been developed by opening IFFDC Krishak Seva Kendras (KSKs) in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Tamilnadu, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Chhattisgarh, Rajasthan, Haryana, Punjab and Maharashtra especially in the areas / districts where cooperative societies are weak. 9,269 such Centers operating in all over India supplied 19,38,857 MT of IFFCO fertiliser i.e. 11,06,060 MT Urea, 5,84,800 MT DAP/NP and 2,15,246 MT NPK, 2669 MT WSF, 15081 MT Sagarika Granular, 15,000 MT other fertilisers, 2,66,628 Litre Sagarika Liquid, 21,45,430 litre Bio Fertliser and 1,10,974 qtls of quality seeds of Wheat, Paddy, Moong, Hybrid Paddy, Hybrid Bajra, Mustard, Barley, Hybrid Mustard, Hybrid Maize, Sudan Sorghum Grass, Gram and Cumin etc has been marketed. 453 Franchisee has been added during 2021-22.

IFFCO Nano DAP trial laid out on Wheat by IFFDC at Hisar (Haryana)

मानव संसाधन विकास

प्रारम्भ से ही आई.एफ.एफ.डी.सी. में प्रोफेशनल स्टॉफ को सभी स्तरों पर पर्याप्त अवसर दिया गया है। 31 मार्च, 2022 को आई.एफ.एफ.डी.सी. में कर्मचारियों की कुल संख्या 271 व आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी के 1054 कर्मचारी हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रेरित तथा समर्पित मानव पूँजी के पोषण तथा विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रगतिशील, समग्र और स्थाई दृष्टिकोण को अपनाया है। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने कर्मचारियों की प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए आवश्यकता आधारित विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया है। वर्ष 2021–22 के दौरान, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 41 आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें आयोजित कीं जिसमें कुल 1972 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनका कुल प्रशिक्षण मानव दिवस 2016 रहा। इस प्रकार औसतन 1.49 प्रशिक्षण प्रति कर्मचारी को दिए गए। प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है:

परियोजना सम्बन्धी प्रशिक्षण

- व्यावसायिक कृषि वानिकी, कृषि उद्यानिकी तकनीकियों तथा परियोजना की योजना निर्माण व प्रबंधन पर चार ऑनलाईन प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 127 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- वानिकी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास पर दो प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 66 प्रशिक्षणार्थियों ने भागीदारी की।
- कृषक उत्पादक संगठन का गठन व प्रबंधन पर दो प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 52 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- इस प्रकार परियोजना संबंधी कुल आठ प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 245 सदस्यों ने भागीदारी की।

बीज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण

- "बीज गुणवत्ता नियंत्रण" पर दो ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिसमें 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, बीज भण्डारण, प्रसंस्करण तथा पैकिंग" पर दो ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- बीज कम्प्यूटरीकरण–ई पवन पर तीन ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें 88 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- कृषि वानिकी सेवा केन्द्र के स्टॉफ हेतु ऑनलाईन दो प्रशिक्षण आयोजित कर 51 स्टॉफ का क्षमता निर्माण किया गया।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. की फ्रेचायजियों के 1054 स्टॉफ के लिए इफको नैनो यूरिया पर क्षमता निर्माण हेतु सात ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किये गये।
- संकर धान व संकर मक्का की उन्नत कृषि विधियों पर ऑनलाईन प्रशिक्षण के माध्यम से 180 भागीदारों का ज्ञान संवर्धन किया गया।
- बीज व्यवसाय संबंधी कुल सत्रह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 1477 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

लेखा संबंधित कार्यक्रम

- "बजट", "अंकेक्षण", "कराधान–जी.एस.टी." एवं "बिक्री एवं देनदार प्रणाली" पर ग्यारह प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें 156 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रकार लेखा विभाग में कुल ग्यारह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 156 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

व्यावसायिक विकास

- "कंप्यूटर प्रोग्राम (एमएस ऑफिस– वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट इत्यादि" पर दो प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

व्यवहारिक कार्यक्रम

- "सेवा नियम, आचरण नियम, अनुशासन, कार्य संस्कृति, कार्य नैतिकता, जनसंपर्क, टीम निर्माण और कार्य–जीवन संतुलन" पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "पुनर्नियुक्त कर्मचारियों के लिए बीज व्यवसाय अभिविन्यास" पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "स्टाफ के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना" पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- व्यवहारिता पर कुल तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

Human Resource Development

Since inception, IFFDC has been providing great opportunities to the professionals at all levels. There are total 271 employees as on 31st March, 2022 and 1,054 Fracnchisee sales man. IFFDC has adopted a forward looking, people centric approach for nurturing and developing motivated and committed human capital with an aim to achieve the goals of IFFDC. It places major emphasis on capacity building through need-based and specialised training of its staff for effective functioning. During the year, IFFDC organised 41 need based trainings and workshops in which 1972 participants were imparted capacity building inputs which comes total 2016 training mandays. Thus, on average 1.49 trainings per employee/Franchisee sales man were imparted. The details of trainings & workshop organised during the year are as follows :

Project related trainings

- Online four training programmes on Commercial Agro-forestry Technology, Agro-horticulture and Project Planning & Management are organized in which, 127 participants participated.
- Two training program on Leadership Development For PFFCS Chairmen/Directors is organized in which, 66 participants participated.
- Two training program on Farmer Producers Organisation Formation and Management is organized in which, 52 participants participated.
- In Project Division total eight number of training program were organised in which 245 participants participated.

Seed related trainings

- Two online training on "Seed Quality Control" were organized in which, 41 participants participated.
- Two online training on "Production Technologies, Seed Storage, Processing and Packing of Seed" were organized in which, 63 participants participated.
- Three online training on "Seed Computerisation- E-Pawan" were organized in which, 88 participants participated.
- Two online training on "AFSC Staff" were organized in which, 51 participants participated.
- Seven online training on "NANO Urea for IFFDC Franchises" were organized in which, 1054 participants participated.
- Online training program on "Package & practices for cultivation of Hybrid Paddy & Hybrid Maize" were organized in which, 180 participants participated.
- In Seed Division total Seventeen number of training program were organised in which 1477 participants participated.

Accounts related programme

- Eleven trainings on "Budgeting", "Auditing , "Taxation-GST" and "Sales and debtors System" were organized, in which 156 staff participated. In Accounts Division total 156 staff were imparted training through Eleven Programmes.

Professional Development

- Two training on "Computer Programme (MS Office- Word, Excel, Power Point etc." were organized, in which 63 participants participated.

Behavioural Programmes

- One online training on "Service Rule, Conduct Rule, Discipline, Work Culture, Work ethics, Public Relation, Team Building and Work Life Balance" were organized in which 29 participants participated.
- One online training on "Seed Business Orientation for redeployed Staff" were organized in which 13 participants participated.
- One online training on "Promoting Co-operation and Coordination Amongst Staff" were organized in which 33 participants participated.
- on Behavioural aspects total Three number of training program were organised in which 75 participants participated.

प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. ने कई महत्वपूर्ण अनुभव व सीख प्राप्त कीं जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र की अन्य संस्थाओं, भागीदारों व अन्य सहयोगियों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। इन अनुभवों व सीखों का आदान–प्रदान करने तथा प्रभाव व जुड़ाव का एक दायरा विकसित करने के लिए प्रचार–प्रसार के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये गये:–

- 25 सितंबर, 2021 को आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन (एनसीसी) के अवसर पर, आईएफएफडीसी ने 16 राज्यों में भौतिक रूप से 2,050 क्षेत्र स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए। कुल 1,70,723 किसानों, आदिवासियों, कृषि महिलाओं और एसएचजी महिला सदस्यों ने भाग लिया और माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री का भाषण सुना व एनसीसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।
- "उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में आईएफएफडीसी का योगदान" पर एक लेख "ग्रामीण सहारा–अक्टूबर 2021" के "राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन" पर विशेष संस्करण में प्रकाशित किया गया।
- आईएफएफडीसी द्वारा 1–15 सितंबर, 2021 के दौरान ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों के स्वयं सहायता समूहों, आजीविका समूहों और समितियों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए "एनसीयूआई हाट" में एक प्रदर्शनी सह बिक्री लगाई गई।
- श्री एस.पी. सिंह, प्रबंध निदेशक, आईएफएफडीसी का एक साक्षात्कार "ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में आईएफएफडीसी के प्रयास" और स्वयं सहायता समूहा की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को डीडी किसान चैनल पर "खेती गांव" कार्यक्रम के तहत प्रसारित किया गया।
- "उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवासन को कम करने में सहकारिता की भूमिका" पर एक लेख "द कोऑपरेटर" में प्रकाशित हुआ, जिसे श्री बी.एल. वर्मा, माननीय राज्य मंत्री (सहकारिता), भारत सरकार द्वारा 68वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह (14–20 नवंबर, 2021) के उद्घाटन के अवसर पर 15.11.2021 को जारी किया गया।
- इफको ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना को ओडिशा में ग्रामीण समुदाय के उत्थान के लिए अच्छे कार्य करने के लिए श्री राणेन्द्र प्रताप स्वाँईं, माननीय मंत्री, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण व सहकारिता विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की गई।

एन.सी.यू.आई. द्वारा आयोजित "सहकार मेला–2021" में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय श्री बी.एल. वर्मा, सहकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार एवं श्री दिलीप संघानी, अध्यक्ष, इफको

Publicity Activities

In the process of implementing various interventions in its selected thematic areas, IFFDC has gained valuable experiences and lessons, which can be replicated by other partners and stakeholders. To share/disseminate such experiences and learning, and also to develop a circle of influence and networking, the following steps have been taken under publicity component:

- On the occasion of National Cooperative Conference (NCC) held on 25th September, 2021, IFFDC organised 2,050 physical field level programmes in 16 States. Total 1,70,723 farmers, Tribals, Farm women and SHG Women members participated and viewed the live telecast of NCC alongwith the speech of honourable Shri Amit Shah Ji, Union Minister of Home Affairs and Cooperation.
- An article on "IFFDC contribution in the development of the Uttar Pradesh State" published in "Gramin Sahara-October 2021" the special edition on "National Cooperative Conference.
- An exhibition cum Sale was undertaken by IFFDC in "NCUI Haat" for the products prepared by SHG member, Livelihood Collective and Cooperative of Odisha, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh states during September, 1-15, 2021.
- An Interview of Sh. S.P. Singh, Managing Director, IFFDC on efforts of IFFDC towards Rural Women Empowerment and products prepared by SHG Women was broadcasted on DD Kisan Channel under "Kheti aur Gaon" Programme.
- An article on "Role of Cooperatives in Reducing Migration from Hilly Areas of Uttarakhand" published in "The Cooperator" which released on 15/11/2021 by Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State (Cooperation), Govt. of India on the occasion of 68th All India Cooperative Week (November 14-20, 2021 inauguration.
- An appreciation certificate and shield was conferred to IFFCO-Rural Livelihood Development Project, Odisha for good work for upliftment of the Rural Community in Odisha by Sh. Ranendra Pratap Swain, Hon'ble Minister, Food Supplies and Consumer Welfare & Cooperation, Govt. of Odisha.

Sh. Ranendra Kumar Swain, Hon'ble Minister, Food Supplies and Consumer Welfare & Cooperation, Govt. of Odisha presenting Awards to Coordinator, IFFDC, Cuttack for excellent work under IFFCO- Integrated Rural Livelihood Development Project – Ganjam (Odisha)

आभार

आपका निदेशक मंडल आलोच्य वर्ष के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर किये गये सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता है। कर्मचारियों के इन प्रयासों एवं कठिन परिश्रम के बिना समिति इन उत्साहजनक परिणामों एवं उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाती।

आपके निदेशक, इफको के निदेशक मंडल एवं प्रबन्धन विशेषतः डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबन्ध निदेशक, इफको का अभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आई.एफ.एफ.डी.सी. को वर्तमान स्वरूप में विकसित होने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की। हम डा. यू.एस. अवस्थीका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने विश्व के पहले नैनो यूरिया का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह उत्पाद कृषि के क्षेत्र में विश्व स्तर पर गेम चेंजर साबित होगा। हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास संगठन (एन.सी.डी.सी.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, देहरादून, इफाड, लघु कृषक व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी (रूडा) जयपुर; मित्सुई इंडिया एण्ड क. प्रा. लि.; राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, भारतीय बाँस स्त्रोत व तकनीकी केन्द्र (सिबार्ट), बी–पॉजिटिव कं. प्रा. लि., मित्सुबिशी कॉर्प. इंडिया प्रा. लिमि., परिद्याम हैल्थकेयर प्रा. लि., ट्राईफेड तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों (राजस्थान और मध्य प्रदेश) के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनसे परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में निरन्तर आर्थिक सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन मिला। हम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने संस्था के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए विभिन्न प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुश्रवण का कार्य आई.एफ.एफ.डी.सी. को दिया।

निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. और उनकी टीम को उनके द्वारा समिति के विकास के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए हार्दिक बधाई देता है।

निदेशक मंडल, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों विशेषतः वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी तथा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान), नरेद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर (उ.प्र.), चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा) तथा नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन – इंडिया (निफी) के प्रति विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किये गये सहयोग एवं तकनीकी सहायता के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु प्रदत्त सहयोग एवं आवश्यक सहायता के लिए आपका निदेशक मण्डल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन, नई दिल्ली, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया (बीसा), राज्य कृषि विभागों, भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं आदि का आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गतिविधियों, कार्यक्रमों व परियोजना प्रभावों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए दिये गये सहयोग हेतु मीडिया विशेषतौर पर डी.डी. नेशनल, डी.डी. किसान चैनल व ऑल इंडिया रेडियो का भी आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशक, सदस्य समितियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किये गये निरन्तर सहयोग हेतु अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समिति के प्रबंधन में अपना विश्वास बनाए रखा।

निदेशक मंडल आश्वासन देना चाहता है कि आपकी समिति बहुमुखी प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास करती रहेगी और आगामी वर्षों में नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(प्रहलाद सिंह)
अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी.

Acknowledgements

The Board of Directors wishes to deep gratitude for the dedicated efforts made by the employees of the Society at all levels during the year. Their committed efforts and hard work have made such encouraging results and achievements by the Society possible.

Your Directors wish to acknowledge continued financial support and valuable guidance extended by IFFCO Board and Management, particularly by Dr. U. S. Awasthi, Managing Director, IFFCO, who has been the guiding and motivating spirit in the growth of IFFDC to high levels. We express our gratitude to Dr. U.S. Awasthi who has been instrumental in inventing World's First Nano Urea which will be the game changer product in agriculture sector globally. We also thank National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Development Corporation (NCDC), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd., Uttarakhand Gramin Vikas Samiti, Dehradun, IFAD, Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC), RUDA, Jaipur, Mitsui India & Co. Pvt. Ltd., National Bee Board, Center for National Bamboo Resource & Technology (CIBART), Bee Positive Co. Pvt. Ltd., Mitsubishi Corp. India Pvt. Ltd., Paridyam Healthcare Pvt. Ltd., TRIFED and State Governments of Rajasthan, Uttarakhand and Madhya Pradesh for their support in the implementation of project activities. We also express gratitude to the Ministry of Rural Development (GoI) for reposing confidence in the organisation and assigning IFFDC the most prestigious task of monitoring centrally sponsored schemes and programmes being undertaken in various states.

The Board of Directors also wishes to express hearty congratulations to the Managing Director, IFFDC and his team for their dedicated commitment to the betterment of society.

The Board of Directors also acknowledges with thanks the cooperation and technical support provided by various Research Institutes and Agriculture Universities, especially by Forest Research Institute (FRI), Dehradun; Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, National Research Centre for Agroforestry, Jhansi and National Research Center for Soyabean (NRCS), Indore, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (Rajasthan), Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj Faizabad (U.P.), Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (U.P.), Ch. Charan Singh University of Agriculture, Hisar (Haryana) and also the National Innovation Foundation - India (NIFI).

The Board of Directors also expresses its sincere thanks to the National Food Security Mission, National Mission on Oil Seed and Oil Palm (NMOOP), New Delhi, Borlaug Institute for South Asia (BISA), various State Agriculture Departments, National Seed Association of India, National Seed Corporation, State Seed Corporation, State Seed Certification Agencies, etc for providing necessary support and help in the successful implementation of IFFDC's Seed Production Programme.

The Board of Directors is thankfull to the Media specially the D.D. National, D.D. Kisan Channel and All India Radio for providing support in wider publicity of the activities, programmes and project's impact of IFFDC.

Your Directors also wish to express their deep gratitude to the Member Societies for their continued support and for reposing trust in the management of the Society.

The Board of Directors would like to assure you that your Society would continue to strive to achieve all-round progress and establish new records in the coming years.

For and On Behalf of the Board of Directors

(Prahlad Singh)
Chairman, IFFDC

पुरस्कार तथा सम्मान

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड को एक संस्था के रूप में निम्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है :

1. पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया का सोशल इम्पैक्ट एवार्ड 2015 हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के लिए कारपोरेट कैटेगरी के तहत आई.एफ.एफ.डी.सी. को चयनित किया गया।
2. गरीब आदिवासी समुदाय की चिरन्तर आजीविका विकास के लिये उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में आजीविका विकास क्षेत्र में 'टाइम्स ऑफ इंडिया का सोशल इम्पैक्ट एवार्ड' 2 अक्टूबर 2011 को माननीय डा. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में प्राप्त किया गया।
3. वृक्षारोपण तथा बंजरभूमि विकास में विशिष्ट कार्य करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार, 1999'। संस्था द्वारा संवर्द्धित पाँच प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (राजस्थान में सांगवा व रख्यावल, उत्तर प्रदेश में कटारी व मड़वा तथा मध्य प्रदेश में करैया) को विभिन्न वर्षों में बंजर भूमि विकास व वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
4. राजस्थान के प्रतापगढ़ एवं बारां तथा ओडिशा के जाजपुर जिलों में संचालित आई.आई.आर.डी.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वच्छता तथा समुदाय विकास के उत्कृष्ट कार्यों को जिला व ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया एवं विभिन्न स्तरों पर इनकी प्रशंसा की गई।
5. आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, प्रतापगढ़ (राजस्थान) व जाजपुर (ओडीशा) को ग्रामीण महिलाओं के आजीविका सृजन के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्कॉच अवार्ड–2018 से सम्मानित किया गया।
6. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना अल्मोड़ा के अन्तर्गत आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित 6 सहकारी आजीविका समितियों एवं 3 उत्पादक समूहों को विभिन्न श्रेणियों जैसे उत्तम व्यापार एवं उत्तम टर्न ओवर आदि के लिए जिला प्रशासन द्वारा 9 पुरस्कार प्राप्त किये गये।
7. आई.एल.एस.पी. अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की आजीविका उत्थान हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. समन्वयक चौखुटिया को उप जिला अधिकारी द्वारा "प्रशस्ति पत्र" प्रदान कर सम्मनित किया गया।
8. एस.एफ.ए.सी. के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अधिशाषी, एन.सी.यू.आई, नई दिल्ली द्वारा जिला सागर (म.प्र.) में आई.एफ.एफ.डी.सी द्वारा संवर्द्धित किसान उत्पादक संगठन "बीना कृषक उत्पादक कम्पनी लिमिटेड" को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया।
9. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा जिला सतना (म.प्र.) में आई.एफ.एफ.डी.सी द्वारा संवर्द्धित किसान उत्पादक संगठन "कामतानाथजी कृषक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड" को उत्कृष्ट कार्य हेतु "ग्रामीण आइकन पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
10. आई.एफ.एफ.डी.सी द्वारा संवर्द्धित स्वयं सहायता समूहों की आदिवासी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जयपुर (राज.) व भोपाल (म.प्र.) में ट्राइफेड द्वारा आयोजित "आदि महोत्सव" के अवसर पर पुरुस्कृत किया गया।
11. राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आई.एफ.एफ.डी.सी द्वारा संवर्द्धित सुरखी–घाना ग्राम जलग्रहण विकास समिति, सागर (म.प्र.) को उत्कृष्ट जलग्रहण कार्य के लिए, नाबार्ड भोपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार श्री शेलेन्द्र सिंह (आई.ए.एस.) कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र. द्वारा प्रदान किया गया।

Awards and Recognition

The IFFDC has been honoured with several prestigious awards:

1. IFFDC has been selected for the prestigious Social Impact Award 2015 by Times of India in Environment Sector under Corporate Category for its outstanding performance in environment protection and development.
2. The Times of India "Social Impact Award" under the Livelihood category on 2nd October, 2011 in the presence of Hon'ble Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India, for its remarkable and excellent work on Sustainable Livelihood Enhancement of the Poor Tribal Community.
3. "Indira Priyadarshini Vrikashamitra Puraskar 1999" conferred by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India for excellence in afforestation and wasteland development. Five of its promoted PFFCS (Sangwa & Rakhyawal in Rajasthan, Katari & Madwa in Uttar Pradesh and Karaiya in Madhya Pradesh) have also been honoured with this award for their outstanding work in afforestation & wasteland development.
4. The remarkable work of IIRDP Projects, Pratapgarh and Baran in Rajasthan and Jajpur in Odisha for Health and Sanitation and Community Development have been awarded by District and Block Administration and also appreciated at different level.
5. The "IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project" (IIRDP) Pratapgarh (Raj.) and Jajpur (Odisha) implemented by IFFDC was honoured with "SKOCH Award- 2018" for its excellent work of "Livelihood Generation for Rural Women.
6. IFFDC promoted 6 Cooperatives (Livelihood Federations) and 3 Producer Groups under "Integrated Livelihood Support Project" (ILSP) Almora has won 9 Awards under different categories i.e. Best Business & Best turnover etc by District Administration.
7. Sub District Magistrate honoured IFFDC Coordinator, Chaukhutiya with Appreciation Certificate for excellent works towards livelihood Improvement of the community in Hilly areas under "Integrated Livelihood Support Project" (ILSP), Uttarakhand.
8. IFFDC promoted Farmer Producer Organization (FPO) "Bina Krishak Utpadak Company Ltd." in District Sagar (Madhya Pradesh) has been honoured by Chief Executive, NCUI, New Delhi for its excellent work on occasion of 26th foundation of SFAC at New Delhi.
9. IFFDC promoted Farmer Producer Organization (FPO) "Kantanath ji Krishak Producer Company Ltd." in District Satna (Madhya Pradesh) has been honoured with Rural Icon Award by Shri. Narendra Singh Tomar, Minister of Agriculture & Farmers Welfare and Minister of Rural Development, Govt. of India for its excellent work.
10. Ministry of Tribal Affairs, Govt of India honoured IFFDC and presented appreciation certificates for undertaking stall of SHG products in the "Aadi Mahotsav" at Jaipur (Raj.) and Bhopal (M.P.) Haat organized by TRIFED.
11. The Surkhi-Ghana Village Watershed Development Committee, Sagar (M.P.) promoted by IFFDC has been awarded with first prize by NABARD Bhopal on the occasion of National Farmers Day for its excellent Watershed work. The award conferred by Shri. Shaliendra Singh, (IAS), Agriculture Production Commissioner, Madhya Pradesh.

सहयोगी संस्थायें

1. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)
2. इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3. इंडिया कनाडा इनवायरनमेंट फैसिलिटी (आई.सी.ई.एफ.), कनाडा
4. डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.), यूनाइटेड किंगडम
5. कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, भारत सरकार
7. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), नई दिल्ली
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.), नई दिल्ली
10. रैन–फॉरेस्ट एलाइन्स, न्यूयार्क
11. राजस्थान राज्य सरकार के माध्यम से इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट (इफाड)
12. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.), नई दिल्ली
13. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.), नई दिल्ली
14. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), नई दिल्ली
15. कोआपरेटिव रूरल डवलपमेन्ट ट्रस्ट (कोरडेट), फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
16. उत्तराखण्ड ग्राम विकास समिति, देहरादून, उत्तराखण्ड
17. भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, नई दिल्ली
18. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन.एस.सी.), नई दिल्ली
19. इफको किसान संचार लिमिटेड (आई.के.एस.एल.), नई दिल्ली
20. इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलाईंस (आई.सी.ए.), एशिया पैसिफिक, नई दिल्ली
21. एच.डी.एफ.सी. बैंक, नई दिल्ली
22. यस बैंक, नई दिल्ली
23. कोटक महिंद्रा बैंक
24. इंडसइंड बैंक
25. एक्सिस बैंक
26. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), नई दिल्ली
27. भारत–ओमान रिफाइनरी लि., बीना, मध्य प्रदेश
28. ग्रामीण गैर–कृषि विकास एजेंसी (रूडा), जयपुर, राजस्थान
29. मित्सुई इंडिया एण्ड कं. प्रा. लि., नई दिल्ली
30. महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि.
31. बायर बायोसाइंस प्रा. लि.
32. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लि.
33. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, भारत सरकार
34. भारतीय बाँस स्त्रोत एवं तकनीकी केंद्र, नई दिल्ली
35. बी पॉजिटिव प्रा. लि., नई दिल्ली
36. मित्सुबिशी कॉर्प. इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली
37. परिद्याम हैल्थकेयर प्रा. लि., गुड़गाँव
38. बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया (बीसा)
39. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड), नई दिल्ली

अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय

1. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून, उत्तराखण्ड
2. उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान (टी.एफ.आर.आई.), जबलपुर, मध्य प्रदेश
3. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर, राजस्थान
4. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर, राजस्थान
5. अर्ध–शुष्क क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट), हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
6. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, (एन.आर.सी.एस.), इंदौर, मध्य प्रदेश
7. राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र (एन.आर.सी.ए.एफ.), झांसी, उत्तर प्रदेश
8. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान केन्द्र (आई.सी.आर.ए.एफ.), नई दिल्ली
9. राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं आई.सी.ए.आर. संस्थान
10. सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान
11. भारतीय गेंहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा
12. महाराणा प्रताप कृषि एवम् प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.), उदयपुर, राजस्थान
13. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)
14. सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

Support Organisations

1. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO).
2. IFFCO-Tokio General Insurance Company Ltd.
3. India Canada Environment Facility (ICEF), Canada.
4. Department for International Development (DFID), United Kingdom (UK).
5. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India
6. Ministry of Rural Development and Ministry of Drinking Water and Sanitation, Govt of India.
7. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
8. National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi.
9. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi.
10. Rain-forest Alliance, New York.
11. International Fund for Agriculture Development (IFAD) through State Government of Rajasthan.
12. Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES), New Delhi.
13. National Afforestation and Eco Development Board (NAEB), New Delhi.
14. National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi
15. Cooperative Rural Development Trust (CORDET), Phulpur, Allahabad (UP).
16. Uttarakhand Gram Vikas Samiti, Dehradun (Uttarakhand).
17. National Seed Association of India (NSAI), New Delhi.
18. National Seed Corporation Ltd. (NSC), New Delhi.
19. IFFCO Kisan Sanchar Ltd (IKSL), New Delhi.
20. International Cooperative Alliance (ICA), Asia Pacific, New Delhi.
21. HDFC Bank, New Delhi.
22. Yes Bank, New Delhi.
23. Kotak Mahindra Bank
24. Indusind Bank
25. Axis Bank
26. Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC), New Delhi.
27. Bharat-Oman Refinery India Limited, Bina, Madhya Pradesh.
28. Rural Non-Farm Development Agency, Jaipur, Rajasthan.
29. Mitsui India & Co. Pvt. Ltd., New Delhi
30. Maharashtra State Seed Corporation Ltd.
31. Bayer Bioscience Private Ltd.
32. Crystal Crop Protection Ltd.
33. National Bee Board, Govt. of India
34. Centre for Indian Bamboo Resource and Technology, New Delhi
35. Bee Positive Pvt. Ltd., New Delhi
36. Mitsubishi Corp. India Pvt. Ltd., New Delhi
37. Paridyam Health Care Pvt. Ltd., Gurgaon
38. Borlaug Institute for South Asia (BISA)
39. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED), New Delhi

Research Institutes/Universities

1. Forest Research Institute (FRI), Dehradun, Uttarakhand
2. Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, Madhya Pradesh
3. Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Rajasthan
4. Central Arid Zone Research Institute (CAZRI), Jodhpur, Rajasthan
5. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Hyderabad (AP)
6. National Research Center for Soyabean, (NRCS), Indore (Madhya Pradesh)
7. National Research Center for Agro-Forestry, (NRCAF), Jhansi (Uttar Pradesh)
8. International Centre for Research on Agriculture and Forestry. (ICRAF), New Delhi
9. State Agriculture Universities and ICAR Institutes.
10. Directorate of Rapeseed Mustard Research, Bharatpur (Rajasthan)
11. Indian Institute of Wheat & Barley Research, Karnal (Haryana)
12. Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur (Rajasthan)
13. University of Agriculture Sciences, Dharwad (Karnataka)
14. CCS, Haryana Agriculture University, Hisar

वित्त एवं लेखा
Finance & Accounts

Financials Snapshot

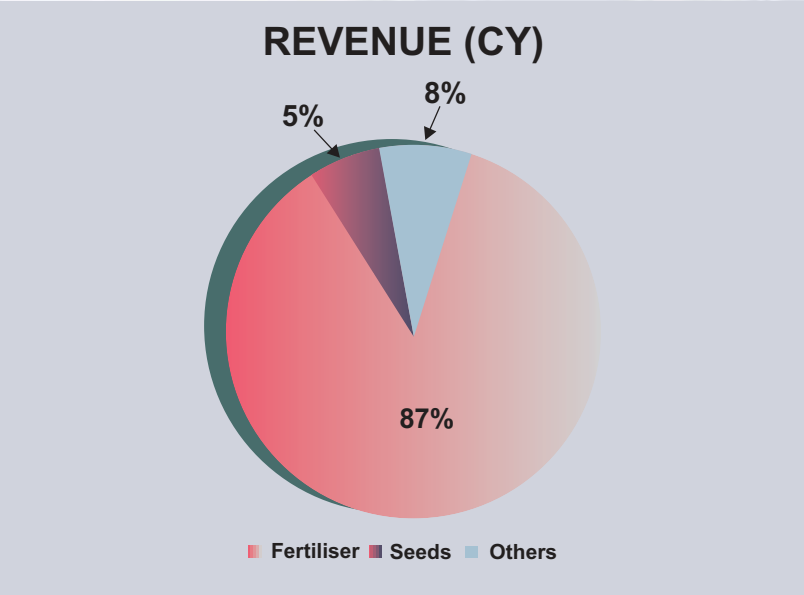

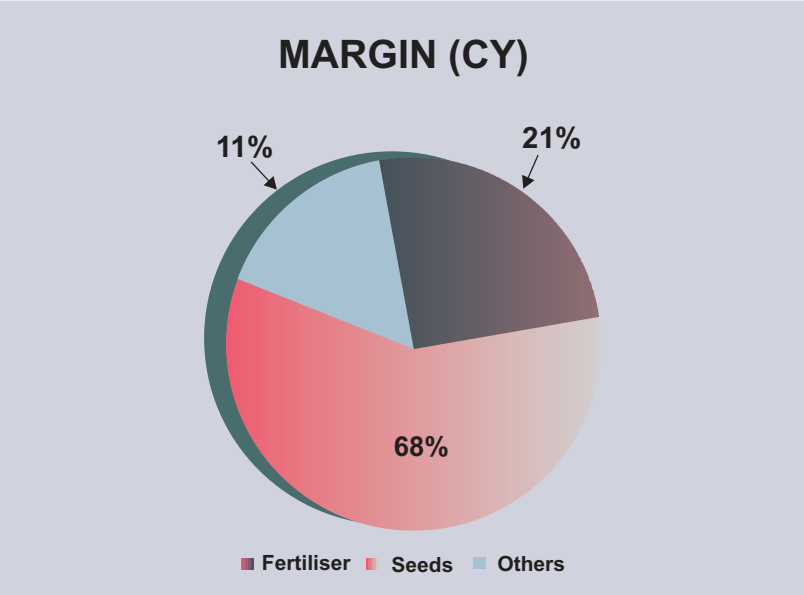

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड के शेयरधारकों को

राय

हमने इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (एक बहुराज्य सहकारी समिति, यहाँ इसे "समिति" कहा गया है) के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2022 तक का तुलन–पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि लेखा, नकदी प्रवाह का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनायें दी गई हैं की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोतम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार ये संलग्न वित्तीय विवरण बहुराज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 2002 (अधिनियम) में यथा अपेक्षित सूचनायें प्रदान करते हैं। 31 मार्च, 2022 तक समिति के मामलों की स्थिति के अनुसार, आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष दृष्टिकोण, और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त हो गया।

हमारी राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के मामले में लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत विस्तार से बताया गया है। हम आईएसीआई द्वारा जारी आचार सहिंता के अनुसरण में तथा उन नैतिक अपेक्षाओं जो भारत में वित्तिय विवरणों को लेखापरीक्षा करने के लिये महत्वपूर्ण है, के अनुसार समिति की लेखापरीक्षा करने के लिसे स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं तथा हमने इन नैतिक अपेक्षाओं व आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा राय के संबंध में समुचित और पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन व प्रबंधन के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारी

इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरुप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है जो समिति कह वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिस्पादन और नकदी प्रवाह का उचित चित्र प्रस्तुत करते हों। इस दायित्व में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सम्बंध आंतरिक नियंतत्र का डिजायन, कार्यान्वयन और अनुक्षरण भी शामिल है जो वित्तीय विवरणें का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करें और जो किसी बड़ी गलतबयानी चाहे वह कपट या गलती से हों, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन समिति की लाभकारी संस्था के तौर पर कार्य करने सम्बंधी योग्यता का मूल्यांकन करने, जहां कहीं भी आवश्यक हो, समिति की कार्यकुशलता से सम्बंधित मामलों के बारे में जानकारी देने और लाभकारी संस्था के आधार पर लेखाकरण करने के लिये जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन का समिति का परिसमापन करने या प्रचालनों को रोकने का कोई इरादा नही है अथवा समिति के पास समिति को प्रभावशाली संस्था के तौर पर चलाने के लिये इसके अलावा कोई विकल्प न रहे।

प्रबंधन के लिये जिम्मेदार अधिकारी समिति की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सम्बंध में लेखापरिक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त करना हैकि पूरे वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई बड़ी गलत जानकारी नही दी गई है, तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार भी

Independent Auditors' Report

To the Shareholders of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

Opinion

We have audited the financial statements of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (a Multi State Cooperative Society, hereafter called "the Society") which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2022, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (the Act) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Society as at March 31, 2022, and profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institiue of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibility of Management and those charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act 2002. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material mis-statement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Society's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

Auditors' Responsibility for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that

शामिल है। उचित आश्वासन उच्च आश्वासन है परन्तु इस बात कि गारंटी नही हैं की एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी बड़ी गलत जानकारी का पता लगा लेगी। गलत जानकारियां धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है और यदि इस गलत जानकारी को एकल या पूर्णतः गलत माना जाता है तो ये इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णायों को प्रभावित कर सकती है।

एसएएस के अनुसार कराये जाने वाले लेखापरीक्षा के तहत, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायकि निर्णय देते है और पूरे लेखापरीक्षा कार्य के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाये रखते हैं हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं–

(क) धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में दी गई बड़ी गलत जानकारी के जोखिम को पहचानना और मूल्यांकन करना, इन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करना व लेखापरीक्षा करना और उसका सबूत प्राप्त करना जो हमारे विचारों के लिये पर्याप्त व उचित आधार है। धोखाधड़ी के कारण दी गई बड़ी गलत जानकारी का पता न लगने से होने वाला जोखिम त्रुटि के कारण होने वाले जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या जानकारी, या आंतरिक नियंन्त्रण की अनदेखी शामिल हैं।

(ख) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन इस बात पर राय व्यक्त करने के उद्देश्यों के लिए नहीं कि, समिति के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशील तरीके से हो रहा है।

(ग) अपनाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों और प्रबंधन द्वारा दी गई इससे सम्बंधित जानकारी का मूल्यांकन करना।

(घ) प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत जिससे किसी घटना या परिस्थिति से सम्बंधित किसी बड़ी अनिश्चितता का पता लगे जिससे समिति की भविश्य में लाभकारी संस्था के रुप में कार्य करने की क्षमता पर संदेह पैदा हो, के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि प्रबंधन भविष्य में भी प्रभावशाली रुप से कार्य करने के लिये उपयुक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे लिये लेखारीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में सम्बंधित जानकारी की तरफ ध्यान दिलाना आवश्यक है या यह निष्कर्ष निकालते है कि ये जानकारियां हमारा विचार बदलने के लिये अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त सबूत पर आधारित है। तथापि, यह हो सकता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण समिति प्रभावशाली रुप से कार्य करने वाली संस्था न रहें।

(ड़) वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, ढ़ांचे और विशय वस्तु तथा जानकारियों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेनदेन तथा घटनाओं के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत की गई है या नही।

भौतिकता वित्तीय वक्तव्यों में व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर गलत बयानों की भयावहता है, जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर और (ii) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर विचार करते हैं।

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों से अन्य मामलों के साथ–साथ सुनियोजित स्कोप, लेखापरीक्षा के समय या लेखापरीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जों लेखापरीक्षा के समय सामने आती है, के बारे में बात करते है।

includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

(a) Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

(b) Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purposes of expressing an opinion on whether the Society has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

(c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

(d) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Society to cease to continue as a going concern.

(e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों को यह बताते है कि हमने स्वतंत्र रुप से, सम्बंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और हम सभी सम्बंधों व अन्य मामलों पर स्वतंत्र रुप से विचार करते है तथा जहां कहीं भी लागू हो, सुरक्षा की दृष्टि से उनसे बातचीत करते है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए है;

(ख) हमारे विचार से समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसायटीज नियमावली, 2002 के अनुसार यथावश्यक लेखा पुस्तकें समुचित रुप से रखी है, जैसा कि पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं में हम नहीं जा पाए हैं वहां से समुचित रिटर्न्स हमें प्राप्त हो गई है और जो रिटर्न्स लेखापरीक्षा के हमारे प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं;

(घ) इस रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरण अर्थात तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required under the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(b) In our opinion proper books of account as specified in the Multi State Cooperative Societies Rules, 2002 have been kept by the Society so far as appears from our examination of those books, and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us;

(c) The financial statements i.e. the Balance sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
For S. Tekriwal and Associates
Chartered Accountants
FRN: 009612N

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
PARTNER
M.No. 088262

Place : New Delhi
Date : 15.06.2022

तुलन–पत्र मार्च 31, 2022 को
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2022

(Amount in ₹)

		टिप्पण संख्या/Note No.	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
इक्विटी तथा देयताएं	**EQUITY AND LIABILITIES**			
शेयरधारकों की निधियां	**Shareholder's Funds**			
शेयर पूंजी	Share Capital	1	133,705,000	132,666,000
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves and Surplus	2	481,938,299	414,950,321
बिलंबित शेयर पूँजी आवेदन का आवंटन	**Share Application money pending allotment**		-	1,020,000
गैर–चालू देयताएं	**Non-current Liabilities**			
दीर्घावधिक ऋण	Long-Term Borrowings	3	29,409,428	37,783,828
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	Deferred Tax Liabilities (Net)		10,874,691	8,646,092
दीर्घावधिक प्रावधान	Long-Term Provisions	4	5,743,225	5,759,357
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
व्यापारिक देयताएं	Trade Payables			
– बकाया लघु एवं सूक्ष्म उद्यम	- Outstanding due to Micro & Small Enterprises		-	-
– बकाया अन्य	- Outstanding due to Others	5	29,479,496	704,770,943
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	6	809,309,330	790,949,244
अल्पावधिक प्रावधान	Short-Term Provisions	7	11,018,850	5,381,309
योग	**Total**		**1,511,478,319**	**2,101,927,094**
परिसम्पत्तियां	**ASSETS**			
गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**Non-current Assets**			
सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण	Property, Plant and Equipment			
– मूर्त परिसम्पत्तियां	- Tangible Assets	8	216,806,722	195,909,067
– पूँजीगत चालू निर्माण कार्य	- Capital Work-in-Progress		3,800,012	12,058,848
गैर–चालू निवेश	Non Current Investment	9	41,175,000	41,175,000
दीर्घावधिक ऋण व अग्रिम	Long-Term Loans and Advances	10	1,979,191	1,402,151
अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	Other Non-Current Assets	11	329,400,000	239,700,000
चालू परिसम्पत्तियां	**Current Assets**			
मालसूचियां	Inventories	12	65,444,745	123,558,092
व्यापार प्राप्य	Trade Receivables	13	411,771,618	1,105,751,771
नकदी तथा बैंकों में शेष	Cash and Bank Balances	14	346,329,739	295,025,325
अल्पावधिक ऋण व अग्रिम	Short-Term Loans and Advances	15	94,771,292	87,346,840
योग	**Total**		**1,511,478,319**	**2,101,927,094**

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखाओं के लिये टिप्पणियां उक्त उल्लेखित टिप्पणियों वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग है।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts: 27
The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
For S. Tekriwal and Associates
Chartered Accountants
FRN: 009612N

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
(Partner)
M.No. 088262

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Sr. Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 15.06.2022

लाभ हानि लेखा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

(Amount in ₹)

		टिप्पण संख्या/ Note No.	Year ended 31 March 2022	Year ended 31 March 2021
राजस्व:	**REVENUE:**			
प्रचालन से राजस्व	Revenue from Operations	16	27,331,603,262	30,911,656,315
सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी	Contribution towards Social & Rural Development Programmes	17	87,928,280	84,777,375
अन्य आय	Other Income	18	40,635,619	60,685,947
कुल राजस्व	**Total Revenue**		**27,460,167,161**	**31,057,119,637**
व्यय:	**EXPENSES:**			
खपत की गई कच्चे माल की लागत	Cost of Raw Material Consumed	19	1,071,888,350	1,013,758,096
प्रमाणन, पैकिंग तथा वितरण व्यय	Certification, Packing and Distribution Expenses		238,387,820	228,097,886
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchases of Stock-in-Trade	20	25,791,571,662	29,481,450,986
स्टॉक–इन–ट्रेड की मालसूची में परिवर्तन एवं तैयार माल की मालसूची	Changes in Inventories of Stock-in-Trade and Finished Goods	21	62,256,734	38,369,718
सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय	Social & Rural Development Programme Expenses	22	98,793,406	83,919,259
कर्मचारी लाभ व्यय	Employee Benefits Expenses	23	53,640,245	52,476,388
वित्तीय लागत	Finance Costs	24	20,708,688	32,139,944
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	Depreciation and Amortization Expenses	25	8,686,539	7,778,243
अन्य व्यय	Other Expenses	26	14,033,872	28,026,811
कुल व्यय	**Total Expenses**		**27,359,967,316**	**30,966,017,331**
कर पूर्व लाभ	**Profit before Tax**		**100,199,845**	**91,102,306**
कर व्यय	Tax Expense:			
– चालू कर	- Current Tax		23,879,000	20,846,000
– गत वर्षों के लिए कर समायोजन	- Tax Adjustment for Earlier Years		(272,682)	330,349
– आस्थिगत कर – संपत्ति /(देयता)	- Deferred Tax - Asset / (Liability)		(2,228,599)	(247,200)
कर पश्चात् लाभ	**Profit after Tax**		**74,364,928**	**69,678,757**
को अंतरित लाभ	**Profit transferred to:**			
– लाभांश समानीकरण निधि	- Dividend Equalisation Fund		-	-
बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अनुसार निवल लाभ	**Net Profit as per Multi State Cooperative Societies Act, 2002**		**74,364,928**	**69,678,757**
मूल तथा तनुकृत आय प्रति शेयर (ईपीएस)	**Basic & Diluted Earning Per Share (EPS)**			
– ₹ 1000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 1000/- each		556.19	525.22
– ₹ 10000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 10,000/- each		5,561.87	5,252.19
– ₹ 50000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 50,000/- each		27,809.33	26,260.97

लेखाओं के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियाँ उपरोक्त उल्लेखित टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग हैं।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts: 27
The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
For S. Tekriwal and Associates
Chartered Accountants
FRN: 009612N

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
(Partner)
M.No. 088262

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Sr. Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 15.06.2022

वित्तीय कथनों पर टिप्पणियाँ
NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

टिप्पण – 1 NOTE - 1

(Amount in ₹)

1. शेयर पूंजी	Share Capital	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
		Number	Amount	Number	Amount
प्राधिकृतः	**Authorised**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each	14,000	700,000,000	14,000	700,000,000
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each	10,000	100,000,000	10,000	100,000,000
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each	200,000	200,000,000	200,000	200,000,000
योग	**Total**	**224,000**	**1,000,000,000**	**224,000**	**1,000,000,000**
जारी	**Issued**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each	2,515	125,750,000	2,515	125,750,000
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each	2	20,000	2	20,000
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each	7,935	7,935,000	6,896	6,896,000
योग	**Total**	**10,452**	**133,705,000**	**9,413**	**132,666,000**
अभिदत्त तथा प्रदत्तः	**Subscribed & Paid up**				
₹50000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid	2,515	125,750,000	2,515	125,750,000
₹10000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid	2	20,000	2	20,000
₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid	7,935	7,935,000	6,896	6,896,000
योग	**Total**	**10,452**	**133,705,000**	**9,413**	**132,666,000**

अ. बकाया शेयरों की संख्या एवं शेयर राशि का मिलान इस प्रकार निर्धारित किया गया है:	a. Reconciliation of number of shares outstanding and amount of share capital is set out as follows:	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
		Number	Amount	Number	Amount
शेयरों का मिलानः	**Share Reconciliation:**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 50000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	2,515	125,750,000	2,515	125,750,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**2,515**	**125,750,000**	**2,515**	**125,750,000**
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 10,000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	2	20,000	2	20,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**2**	**20,000**	**2**	**20,000**
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 1,000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	6,896	6,896,000	6,896	6,896,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	1,039	1,039,000	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**7,935**	**7,935,000**	**6,896**	**6,896,000**

ब. प्रत्येक श्रेणी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर का विवरणः	b. Details of share holding more than 5% of equity shares in each category:	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
शेयरधारियों का 5% शेयरों से अधिक नियन्त्रण	Shareholder(s) holding more than 5% shares	No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
कुल देय ₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर – इफको	Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid - Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.	2,507	99.68	2,507	99.68
कुल देय ₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid				
– यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	- UP Sehakari Gram Vikas Bank Ltd.	1	50.00	1	50.00
– एम.पी. राज्य सहकारी विपणन संघ लि.	- MP State Coop. Mktg. Fed. Ltd.	1	50.00	1	50.00
₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity shares of ₹ 1,000 each fully paid				
– पी.एफ.एफ.सी.एस. हरखूमऊ	- PFFCS Harkhumau	550	6.93	550	7.98
– पी.एफ.एफ.सी.एस. मलिकमऊ	- PFFCS Malikmau	400	5.04	-	-

स. बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 एवं समिति के उपनियम के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सदस्य के पास एक ही मतदान का अधिकार होता है, धारित शेयर पूंजी की संख्या/मूल्य चाहे कुछ भी हो। इक्विटी शेयर धारक उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। सदस्य को वोटिंग का अधिकार केवल कम से कम एक पूर्ण प्रदत्त शेयर प्राप्त करने पर होगा।

c. As per provision of the Multi-State Co-operative Societies Act 2002 and Bye-Laws of the Society, every member has a single voting right irrespective of the number/value of share capital held. The holders of the equity shares are entitled to receive dividends as declared from time to time in proportion to their shareholding. Member will have the voting right only on acquiring at least one fully paid up share.

टिप्पण – 2 NOTE - 2

(Amount in ₹)

आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	Reserves and Surplus	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
अ. आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(अ) के अनुसार)	**a. Reserve Fund (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	94,140,705	76,721,016
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	18,591,232	17,419,689
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**112,731,937**	**94,140,705**
ब. दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार)	**b. Reserve fund for Contingency (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	15,911,321	8,943,445
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	7,436,493	6,967,876
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**23,347,814**	**15,911,321**
स. प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार)	**c. Reserve for Donation (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	1,200,000	900,000
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	300,000	300,000
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**1,500,000**	**1,200,000**
द लाभांश समानीकरण निधि	**d. Dividend Equalisation Fund**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	55,000,000	55,000,000
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**55,000,000**	**55,000,000**
इ. सामान्य आरक्षित निधि	**e. General Reserve**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	242,064,995	204,045,928
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	40,608,303	37,661,104
जोड़ें: पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यह्रास रिजर्व में समायोजन	Add : Adjustment in Depreciation reserve relating to prior period	-	357,963
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**282,673,298**	**242,064,995**
य. प्रतिधारित आय	**f. Retained Earnings**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	6,633,300	13,266,600
जोडें: एम.एस.सी.एस.ए., 2002 के अनुसार शुद्ध लाभ / (शुद्ध हानि)	Add : Net profit/(Net Loss) as per MSCSA, 2002	74,364,928	69,678,757
घटाएं: विनियोजन	Less : Appropriation		
– आरक्षित निधि 25%(बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के खण्ड 63(1)(अ) के अनुसार)	- Reserve fund 25% (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002)	18,591,232	17,419,689
– सहकारी शिक्षा कोष में योगदान के लिए प्रावधान 1%(बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(ब) के अनुसार)	- Provision for Contribution to Cooperative Education Fund 1% (As per Section 63(1)(b) of MSCSA 2002)	743,649	696,788
– प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि 10%(बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार)	- Reserve fund for Contingency 10% (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002)	7,436,493	6,967,876
– दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार)	- Reserve fund for Donation (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002)	300,000	300,000
– लाभांश का भुगतान	- Dividend Payment	6,633,300	13,266,600
– सामान्य आरक्षित निधि का अंतरण	- Transfer to General Reserve	40,608,304	37,661,104
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**6,685,250**	**6,633,300**
योग	**Total**	**481,938,299**	**414,950,321**

टिप्पण – 3 NOTE - 3

दीर्घावधिक ऋण	Long Term Borrowings	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
आरक्षित – आवधिक ऋण	**Unsecured- Term Loan**		
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम*	- From National Cooperative Development Corporation*	37,783,828	46,158,228
घटाएं: आवधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (संदर्भ टिप्पण 6)	Less: Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 6)	(8,374,400)	(8,374,400)
योग	**Total**	**29,409,428**	**37,783,828**

* Term of Repayment - Repayable in two yearly installment on each part of loan and shall be fully repaid by 2027. The carrying interest rate @11.45%, 10.90%, 10.89% and 11.90%.

टिप्पण – 4 NOTE - 4

(Amount in ₹)

दीर्घावधिक प्रावधान	Long Term Provisions	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान	**Provision for Employee benefits**		
– अनुपस्थिति नकदीकरण	- Leave Encashment	5,743,225	5,759,357
योग	**Total**	**5,743,225**	**5,759,357**

टिप्पण – 5 NOTE - 5

व्यापारिक देयतायें	Trade Payable	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
आरक्षित लेनदार	**Unsecured Creditors**		
(अ) बकाया लघु एवं सूक्ष्म उद्यम	(a) Outstanding due to Micro and Small Enterprises	-	-
(ब) बकाया अन्य	(b) Outstanding to Others	29,479,496	704,770,943
योग	**Total**	**29,479,496**	**704,770,943**

टिप्पण – 6 NOTE -6

अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
सावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता अवधि (संदर्भ टिप्पण 3)	Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 3)	8,374,400	8,374,400
सांविधिक देयताएं	Statutory Dues Payable	7,924,741	6,881,936
व्ययों पर देयताएं	Expenses Payable	32,287,882	65,154,871
अदत्त लाभांश*	Unpaid Dividend*	87,550	60,400
ग्राहकों से अग्रिम	Advance from Customer	325,795,812	325,591,867
धरोहर राशि / जमानत राशि	Earnest Money / Security Deposit	424,866,678	378,148,543
अनुपयोगी परियोजना योगदान / अनुदान	Unutilised Project Contribution / Grant	9,972,267	6,737,227
योग	**Total**	**809,309,330**	**790,949,244**

* Unpaid Dividend represents the amounts which have not been claimed by the investors/shareholders.

टिप्पण – 7 NOTE - 7

अल्पावधिक प्रावधान	Short Term Provisions	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
कर्मचारियों के हितों के लिए प्रावधान	**Provision for Employee benefits**		
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	905,963	645,062
अन्य प्रावधान	**Other provision**		
सहकारी शिक्षा निधि के लिए प्रावधान	Provision for Cooperative Education Fund	743,649	696,788
आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर निवल / टी.डी.एस.)	Provision for Income Tax (net of Advance tax/TDS)	9,369,238	4,039,459
योग	**Total**	**11,018,850**	**5,381,309**

टिप्पण – 10 NOTE - 10

दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम	Long-Term Loans & Advances	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
अरक्षित, सुविचारित सामान, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया	**Unsecured, Considered Goods, unless otherwise stated**		
सुरक्षा जमा राशि	Security Deposits	1,579,191	602,151
समितियों के साथ चक्रीय निधि	Revolving Fund with Societies	400,000	800,000
योग	**Total**	**1,979,191**	**1,402,151**

टिप्पण – 11 NOTE - 11

अन्य गैर–चालू परिसम्पत्ति	Other Non-Current Assets	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
अरक्षित, सुविचारित सामान, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया	**Unsecured, Considered Goods, unless otherwise stated**		
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमायें	Fixed Deposits with more than 12 months maturity	329,400,000	239,700,000
योग	**Total**	**329,400,000**	**239,700,000**

टिप्पण – 12 NOTE - 12

(Amount in ₹)

मालसूचियाँ* (लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो)	**Inventories*** (Valued at cost or Net Realisable Value, whichever is lower)	**As at 31.03.2022**	**As at 31.03.2021**
पैकिंग सामग्री	Packing Material	29,455,136	25,311,749
तैयार माल की मालसूची	Finished Goods	9,655,999	71,805,823
स्टॉक–इन–ट्रेड	Stock-In-Trade	26,333,610	26,440,520
योग	**Total**	**65,444,745**	**123,558,092**

* As taken, valued and certified by the Management.

टिप्पण – 13 NOTE - 13

व्यापार प्राप्तियाँ	**Trade Receivables**	**As at 31.03.2022**	**As at 31.03.2021**
छः महीने से कम अवधि के लिए बकाया ऋण	**Outstanding for a period less than six months**		
अरक्षित, विचारणीय माल	Unsecured, Considered Goods	265,733,161	965,428,294
छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	**Outstanding for a period more than six months**		
अरक्षित, विचारणीय माल	Unsecured, Considered Goods	146,038,457	140,323,477
अरक्षित, विचारणीय संदिग्ध	Unsecured, Considered Doubtful	5,350,448	5,350,448
घटायें: संदिग्ध व्यापार प्राप्ति के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Trade Receivable	(5,350,448)	(5,350,448)
योग	**Total**	**411,771,618**	**1,105,751,771**

टिप्पण – 14 NOTE - 14

नकद एवं बैंकों में शेष	**Cash and Bank Balances**	**As at 31.03.2022**	**As at 31.03.2021**
पास में नकदी	Cash on hand	84,073	89,819
बैंकों के साथ शेष	Balances with Banks		
– लघु अवधि खाते में शेष	- Balances in Short-Term Accounts	71,076,516	87,102,091
– 12 महीने से कम परिपक्वता के साथ सावधि जमा	- Fixed Deposits with less than 12 months maturity	275,169,150	207,833,415
योग	**Total**	**346,329,739**	**295,025,325**

टिप्पण – 15 NOTE - 15

अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम	**Short-Term Loans and Advances**	**As at 31.03.2022**	**As at 31.03.2021**
असुरक्षित, सुविचारित सामान	**Unsecured, Considered Goods**		
ब्याज अर्जित किया गया लेकिन सावधि जमा पर देय नही	Interest accrued but not due on Fixed Deposits	17,760,519	1,723,674
पूर्व प्रदत्त व्यय	Prepaid Expenses	6,044,445	5,208,098
दावा/अन्य वसूली योग्य	Claim/Other Recoverable	11,232,652	13,365,643
घटायें: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful recoverables	(2437,455)	(2,437,455)
अनुदान वसूली योग्य	Grant Recoverable	15,334,401	23,960,379
राज्य सरकारों से वसूली योग्य सब्सिडी*	Subsidy Recoverable from State Govt.*	17,321,323	23,422,369
घटायें: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful recoverables	(1,891,329)	(1,891,329)
आपूर्तिकर्ता/किसान/समितियों को अग्रिम	Advance to Supplier/Farmer/Societies	18,044,687	11,602,675
आयकर वापसी योग्य	Income Tax Refundable	1,704,406	1,247,966
जी.एस.टी. वसूली योग्य	GST Recoverable	8,617,505	8,753,429
कर्मचारियों के लिए अग्रिम	Advance to Employee	5,703	60,580
अन्य अग्रिम	Other Advances	3,034,435	2,330,811
योग	**Total**	**94,771,292**	**87,346,840**

* FY 2021-22: Rajasthan - Rs. 143.96 Lakhs, Haryana - Rs. 29.25 Lakhs.
* FY 2020-21 : Rajasthan 162.15 Lakhs, Haryana Rs. 72.07 Lakhs.

टिप्पण – 8: सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण
Note - 8 : Property, Plant and Equipments

(Amount in ₹)

विवरण PARTICULARS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION/AMORTISATION				NET BLOCK	
	As at 01.04.2021	Additions	Deductions/ Adjustments	As at 31.03.2022	As at 01.04.2021	For the year	Deductions/ Adjustments	As at 31.03.2022	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
मूर्त परिसंपत्तियाँ/Tangible Assets :										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (a) Freehold Land	23,974,694	-	-	23,974,694	-	-	-	-	23,974,694	23,974,694
(ख) कारखाना भवन (b) Factory Building	125,708,216	16,941,978	-	142,650,194	16,430,572	4,116,117	-	20,546,689	122,103,505	109,277,644
(ग) वाहन (c) Vehicle	4,977,204	1,688,962	635,099	6,031,067	2,916,266	590,984	607,970	2,899,280	3,131,787	2,060,938
(ड़) कार्यालय उपकरण (e) Office Equipments	5,480,618	242,500	694,366	5,028,752	3,347,692	405,270	601,561	3,151,401	1,877,351	2,132,926
(च) फर्नीचर एवं फिक्सचर (f) Furniture & Fixtures	3,972,425	396,605	86,151	4,282,879	2,766,696	239,218	85,726	2,920,188	1,362,691	1,205,730
(छ) कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स (g) Computer and Printers	11,836,275	1,028,453	1,254,037	11,610,691	10,999,848	298,882	1,221,101	10,077,630	1,533,061	836,426
(ज) जैनसैट एवं वातानुकूल उपकरण (h) Genset & Air Conditioner	1,452,312	192,651	38,335	1,606,628	710,424	90,436	28,578	772,281	834,347	741,888
(झ) संयत्र, मशीनरी एवं अन्य उपकरण (i) Plant, Machinery & Other Equip.	67,450,978	9,325,661	84,875	76,691,764	11,772,157	2,945,632	15,311	14,702,478	61,989,286	55,678,821
कुल मूर्त परिसंपत्तियाँ (अ) Total Tangible Assets (A)	**244,852,722**	**29,816,810**	**2,792,863**	**271,876,669**	**48,943,655**	**8,686,539**	**2,560,247**	**55,069,947**	**216,806,722**	**195,909,067**
पूँजगत चालू निर्माण कार्य Capital Work-in-Progress	**12,058,848**	**-**	**8,258,836**	**3,800,012**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,800,012**	**12,058,848**
पूँजगत चालू निर्माण कार्य (ब) Capital Work-in-Progress (B)	**12,058,848**	**-**	**8,258,836**	**3,800,012**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,800,012**	**12,058,848**
योग (अ+ब) / Total (A+B)	**256,911,570**	**29,816,810**	**11,051,699**	**275,676,681**	**48,943,655**	**8,686,539**	**2,560,247**	**55,069,947**	**220,606,734**	**207,967,915**
पिछले वर्ष का कुल योग Previous Year's Total	**287,646,395**	**15,819,442**	**46,554,267**	**256,911,570**	**41,678,775**	**7,778,244**	**513,364**	**48,943,655**	**207,967,915**	**-**

(Amount in ₹)

टिप्पण – 9	NOTE - 9		As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
गैर चालू निवेश (लागत पर)	Non Current Investments (At Cost)	Face Value (₹)	No. of Shares	Amount (₹)	No. of Shares	Amount (₹)
(अ) व्यापार निवेश (लागत पर) – अनुद्धृत	(A) Trade Investments (At Cost) - Unquoted					
(i) सहायकों पर निवेश	(i) Investment in Subsidiaries					
(अ) उत्तर प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹ 500 प्रत्येक के 26738 शेयर लिये	(a) 26,738 Equity Shares of ₹ 500/- each fully paid up in PFFCS of U.P. State					
कनकसिंहपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kanaksinghpur PFFCS District Sultanpur	500	5,448	2,724,000	5,448	2,724,000
चन्दौकी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Chandauki PFFCS District Sultanpur	500	1,456	728,000	1,456	728,000
रामसहायपुर हरदोइया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Ramshahpur Hardoiya PFFCS District Sultanpur	500	1,828	914,000	1,828	914,000
नन्दमहर–भीखीपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Nandmahar-Bhikhipur PFFCS District Sultanpur	500	2,109	1,054,500	2,109	1,054,500
कनकूपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kankupur PFFCS District Sultanpur	500	1,617	808,500	1,617	808,500
रिछौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Richhaura PFFCS District Sultanpur	500	1,191	595,500	1,191	595,500
कटारी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Katari PFFCS District Sultanpur	500	1,356	678,000	1,356	678,000
बेला पश्चिम पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Bela Paschim PFFCS District Sultanpur	500	218	109,000	218	109,000
कमालपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Kamalpur PFFCS District Raibarelly	500	1,793	896,500	1,793	896,500
रसूलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Rasoolpur PFFCS District Raibarelly	500	2,423	1,211,500	2,423	1,211,500
हरदोई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Hardoi PFFCS District Raibarelly	500	1,421	710,500	1,421	710,500
खारा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Khara PFFCS District Raibarelly	500	1,741	870,500	1,741	870,500
बेलहा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Belha PFFCS District Pratapgarh	500	1,398	699,000	1,398	699,000
केशवपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Keshavpur PFFCS District Pratapgarh	500	1,117	558,500	1,117	558,500
सबलगढ़सराई इन्द्रावत पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Sabalgarh Sarai Indrawat PFFCS District Pratapgarh	500	686	343,000	686	343,000
कैमा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kaima PFFCS District Sultanpur	500	936	468,000	936	468,000
(ब) मध्य प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹100 प्रत्येक के 10637 शेयर लिये	(b)10,637 Shares of ₹ 100/- each in PFFCS of M.P. State					
करैया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Kariya PFFCS District Sagar	100	3,080	308,000	3,080	308,000
समनापुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Samnapur PFFCS District Sagar	100	2,785	278,500	2,785	278,500
चितौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Chitora PFFCS District Sagar	100	1,492	149,200	1,492	149,200
मौकलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Mokalpur PFFCS District Sagar	100	2,490	249,000	2,490	249,000
सुरखी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Surkhi PFFCS District Sagar	100	790	79,000	790	79,000
(स) राजस्थान राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹10 प्रत्येक के 156730 शेयर लिये	(c) 1,56,730 Shares of ₹10/- each in PFFCS of Rajasthan State					
सांगवा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Sangwa PFFCS District Udaipur	10	56,000	560,000	56,000	560,000
रख्यावल पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Rakhiyawal PFFCS District Udaipur	10	25,000	250,000	25,000	250,000
पीपलवास पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Pipalwas PFFCS District Udaipur	10	35,200	352,000	35,200	352,000
सिन्धु पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Sindhu PFFCS District Udaipur	10	17,400	174,000	17,400	174,000
जावड पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Jawad PFFCS District Udaipur	10	21,230	212,300	21,230	212,300
नाई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Nai PFFCS District Udaipur	10	1,900	19,000	1,900	19,000
उप–योग	Sub-Total			16,000,000		16,000,000
(ii) सहयोगी में निवेश	(ii) Investment in Associates					
इफको (253 शेयर ₹1,00,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (253 Shares of ₹ 1,00,000/- each)	100000	253	25,300,000	253	25,300,000
इफको (4 शेयर ₹10,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (4 Shares of ₹ 10,000/- each)	10000	4	40,000	4	40,000
इफको (9 शेयर ₹1,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (9 Shares of ₹ 1,000/- each)	1000	9	9,000	9	9,000
उप–योग	Sub-Total			25,349,000		25,349,000
योग	Total			41,349,000		41,349,000
घटायें: निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान	Less: Provision for Impairment in value of investments					
सिंधु प्रक्षेत्र वानिकी समिति जिला उदयपुर	Sindhu PFFCS District Udaipur			(174,000)		(174,000)
योग	Total			41,175,000		41,175,000

टिप्पण – 16 NOTE - 16

(Amount in ₹)

प्रचालन से राजस्व	Revenue from Operations	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
उत्पादन की बिक्री	**Manufacturing Sales**		
बीज की बिक्री (सब्सिडी एवं प्रोत्साहन सहित)	Sales of Seeds (including subsidy and incentives)	1,442,839,063	1,219,993,169
व्यापार बिक्री	**Trading Sales**		
उर्वरक की बिक्री	Sales of Fertiliser	23,676,309,989	28,649,927,009
अन्य उत्पादों की बिक्री (पौधे, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन इत्यादि)	Sales of Other Product (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical etc.)	2,212,454,210	1,041,736,137
योग	**Total**	**27,331,603,262**	**30,911,656,315**

टिप्पण–17 NOTE - 17

सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी	Contribution towards Social & Rural Development Programmes	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
नाबार्ड	NABARD	5,884,666	2,541,051
आई टी जी आई	ITGI	21,149,701	14,880,874
मित्सुई	MITSUI	-	409,072
मित्सुई एंड कंपनी प्रा. लि.	MITSUI & Company Pvt. Ltd.	783,668	-
एस एफ ए सी	SFAC	-	2,010,385
प्रक्षेत्र वानिकी	Farm Forestry	35,084,114	35,000,000
इफको परियोजनाएं	**IFFCO Projects**		
एल आई आई आर डी	LIIRD	10,808,343	9,326,799
आर एल डी पी	RLDP	9,742,438	8,334,301
इफको (अन्य)	IFFCO (Others)	4,475,350	12,274,893
योग	**Total**	**87,928,280**	**84,777,375**

टिप्पण–18 NOTE - 18

अन्य आय	Other Income	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
ब्याज	Interest From:		
– सावधि जमा	-Fixed Deposits	21,262,674	18,725,875
– अन्य	-Others	18,000	733,434
विनियोग पर लाभांश	Dividend on Investment	5,069,800	5,069,800
संस्थागत शुल्क	Institutional Charges	6,241,924	21,685,533
परिसम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Property Plant and Equipment	2,243	11,929,250
हैंडलिंग एवं परिवहन आय	Handling & Transportation Income	7,700,022	1,942,143
विविध आय	Miscellaneous Income	340,956	599,912
योग	**Total**	**40,635,619**	**60,685,947**

टिप्पण – 19 NOTE - 19

खपत किए गए कच्चे माल की लागत	Cost of Raw Material consumed	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
कच्चे माल का अथ स्टॉक	Opening Stock of Raw Material	-	-
जोड़ें : क्रय:	Add : Purchase	1,071,888,350	1,013,758,096
घटायें : कच्चे माल का इति स्टॉक	Less : Closing Stock of Raw Material	-	-
योग	**Total**	**1,071,888,350**	**1,013,758,096**

टिप्पण – 20 NOTE - 20

स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय	Purchase of Stock-in-Trade	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
क्रय	**Purchase**		
– उर्वरक	- Fertiliser	23,595,827,609	28,454,179,882
– अन्य उत्पाद (संयंत्र, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन इत्यादि)	- Other products (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, etc.)	2,195,744,053	1,027,271,104
योग	**Total**	**25,791,571,662**	**29,481,450,986**

टिप्पण – 21 NOTE - 21

(Amount in ₹)

स्टॉक–इन–ट्रेड एवं तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन	Changes in Inventories of Stock-in-Trade and Finished Goods	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
इति स्टॉक:	**Closing Stocks:**		
खाद	Fertiliser	18,369,176	20,488,860
बीज	Seed	9,655,999	71,805,823
अन्य	Others	7,964,434	5,951,660
		35,989,609	**98,246,343**
अथ स्टॉक:	**Opening Stocks:**		
खाद	Fertiliser	20,488,860	123,138,165
बीज	Seed	71,805,823	6,738,356
अन्य	Others	5,951,660	6,739,540
		98,246,343	**1,36,616,061**
(वृद्धि)/कमी	**(Increase) / Decrease**	**62,256,734**	**38,369,718**

टिप्पण – 22 NOTE - 22

सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय	Social & Rural Development Programme Expenses	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
नाबार्ड	NABARD	9,509,871	2,874,976
आई टी जी आई	ITGI	22,346,472	13,360,746
मीट ट्रस्ट ऑफ मित्सुई एंड कंपनी प्रा. लि.	MEET Trust of MITSUI & Co. Pvt. Ltd.	-	24,117
मित्सुई एंड कंपनी प्रा. लि.	MITSUI & Company Pvt. Ltd..	680,450	-
एन.सी.डी.सी.	NCDC	5,487,651	-
यू.एल.आई.पी.एच./आई.सी.डी.पी.	ULIPH/ICDP	34,968	1,638,756
जिला पंचायत / आई डब्ल्यू एम पी	Zila Panchayat/IWMP	-	1,239
प्रक्षेत्र वानिकी	Farm Forestry	36,914,822	38,040,962
इफको परियोजनाएं	**IFFCO Projects**		
आर बी एस जी वाई	RBSGY	-	31,416
एल आई आई आर डी	LIIRD	10,348,643	8,929,751
आर एल डी पी	RLDP	9,189,963	7,918,136
इफको (अन्य)	IFFCO (Others)	4,280,566	11,099,160
योग	**Total**	**98,793,406**	**83,919,259**

टिप्पण – 23 NOTE - 23

कर्मचारियों के हितलाभों पर व्यय	Employee Benefits Expense	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
वेतन एवं प्रोत्साहन	Salaries and incentives	14,389,936	18,704,505
वेतन एवं प्रोत्साहन (प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए)	Salaries and incentives (for deputed employees)	31,817,559	24,068,787
अंशदान –	Contributions to -		
– भविष्य निधि तथा अन्य निधियाँ	- Provident Fund and other Fund	610,411	505,832
– उपदान तथा अन्य लाभ	- Gratuity and other Benefit	6,216,450	8,517,503
कर्मचारी कल्याण व्यय	Staff Welfare Expenses	605,889	679,761
योग	**Total**	**53,640,245**	**52,476,388**

टिप्पण – 24 NOTE - 24

(Amount in ₹)

वित्त लागत	Finance Costs	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
ब्याज पर व्यय	Interest Expense	20,693,340	32,129,774
बैंक एवं वित्तीय प्रभार	Bank and Finance Charges	15,348	10,170
योग	**Total**	**20,708,688**	**32,139,944**

टिप्पण – 25 NOTE - 25

अवमूल्यन, परिशोधन एवं हानिकरण पर व्यय	Depreciation and Amortization Expenses	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
अवमूल्यन	Depreciation	8,686,539	7,778,243
योग	**Total**	**8,686,539**	**7,778,243**

टिप्पण – 26 NOTE - 26

अन्य व्यय	Other Expenses	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
मरम्मत तथा रख–रखाव:	Repairs and Maintenance:		
– भवन	- Buildings	234,656	270,473
– अन्य	- Others	367,671	278,876
यात्रा व्यय:	Travelling Expenses:		
– निदेशकगण	-Directors	192,425	5,212
– अन्य	-Others	1,306,613	963,740
स्थानीय यात्रा व्यय:	Conveyance Expenses	69,817	83,309
मुद्रण तथा लेखन–सामग्री	Printing and Stationery	547,052	395,097
किराया	Rent	272,960	238,800
संचार व्यय	Communication Expenses	649,918	911,593
प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	Publicity and Sales Promotion	1,059,965	943,800
निदेशकों का शुल्क	Directors' Sitting Fee	1,345,200	750,000
वाहन किराया, चालन तथा रख–रखाव	Vehicle Hire, Running and Maintenance	1,054,007	726,197
विधिक तथा व्यावसायिक प्रभार	Legal and Professional Charges	3,368,664	13,594,137
संदिग्ध ऋण	Bad Debts	671,156	-
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Doubtful Debts (Net)	-	5,524,448
किसानों को मुआवजा भुगतान	Compensation Paid to Farmers	301,430	368,872
आम सभा बैठक व्यय	AGM Expenses	1,965,311	2,321,656
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fees		
– वैधानिक अंकेक्षण	- Statutory Audit	225,000	225,000
– कर, लेखा परीक्षा एवं अन्य	- Tax, Audit & Others	40,000	40,000
विविध खर्च	Miscellaneous Expenses	362,027	385,601
योग	**Total**	**14,033,872**	**28,026,811**

टिप्पण – 27

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का विवरण जो 31 मार्च 2022 तक के लेखाओं का भाग है।

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(i) तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और लेखा मानक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ इंडिया और बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार हिस्टोरिकल लागत के अंतर्गत एक्रुअल आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ii) आय/व्यय की स्वीकरण

(क) माल की बिक्री से राजस्व का हिसाब किया जाता है जिसके अंतर्गत मालिकाना हक के सभी प्रमुख जोखिम और लाभ खरीदारों को अंतरित आमतौर पर माल की डिलीवरी पर हो जाते हैं। माल की बिक्री से नेट वापसी राजस्व की गणना निवल, भत्ते, व्यापार छूट के बाद की जाती है।

(ख) सरकार एवं अन्य संस्थाओं की तरफ से क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं से आय / व्यय का हिसाब नकद आधार पर किया गया है। जो राशि खर्च हो गई लेकिन वसूल नहीं हुई है वह अनुदान वसूली योग्य दर्शाया गया है। शेष राशि यदि कोई अनुदान खाता है उसी को हस्तांतरित किया जा रहा है। आय के रूप में व्यय के खिलाफ आगामी वर्षों में किया जा रहा है।

(ग) सभी अन्य आय को रिवॉलविंग फंड पर लाभांश आय, मात्रा छूट और सेवा शुल्क को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(घ) विशेष रूप से सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान संबंधित सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के खर्च में शामिल किया गया है।

(iii) बीज एवं खाद पर अनुदान/छूट

(क) प्रमाणित बीज की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार के साथ दावा की गई विपणन सब्सिडी प्रोद्भवन आधार पर है।

(ख) प्रमाणित / आधार बीजों की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार के साथ दावा की गई उत्पादन सब्सिडी रसीद के आधार पर मानी जाती है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के साथ दावा की गई संयंत्र सब्सिडी रसीद के आधार पर मानी जाती है।

(घ) खाद पर अतिरिक्त छूट, मात्रा छूट को लेखा में प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(iv) सरकारी अनुदान

पूंजी प्रकृति के अनुदान और विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित संपत्ति के सकल मूल्य से कटौती की जाती है। कैपिटल नेचर के अन्य अनुदान कैपिटल रिजर्व को दिए जाते हैं। संबंधित लागत के साथ मिलान करने के लिए राजस्व से संबंधित अनुदान को एक व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

स्थायी परिसम्पत्तियाँ को हिस्टोरीकल लागत से संचयी मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। समिति को जो परिसम्पत्तियां उपहार में हस्तांतरण हुई हैं उनको ₹ 1/- की लागत पर खातों में लिया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण, निर्माण और कमीशन के लिए किए गए सभी प्रत्यक्ष व्यय, जो उपयोग में लाने के लिए तैयार नहीं हैं, को "कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस" के तहत दिखाया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के खर्चों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव हो कि भविष्य में इनसे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के तहत "पूंजी अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(vi) मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में मूल्यह्रास का प्रावधान उनकी उपयोगी जीवनावधि के आधार पर किया जाता है। समिति ने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" में दी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवनावधि के अनुसार किया गया है। समिति ने मूल्यह्रास की गणना के लिए स्ट्रेट लाईन मैथड को अपनाया है।

(ख) परिसम्पत्तियां जिनका मूल लागत के 95% तक मूल्यह्रास हो गया है, ₹ 5000 तक की प्रत्येक मद को छोड़कर, जो उसके अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया गया है।

NOTE - 27

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED AS AT 31st MARCH, 2022

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(i) Basis of Preparation

The Financial Statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the Accounting Standards Prescribed by ICAI and the relevant provisions of Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.

(ii) Recognition of Income / expenditure

(a) Revenue from the sale of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, usually on delivery of the goods. Revenue from the sale of goods is measured net of returns and allowances, trade discounts and volume rebates.

(b) The income and expenditure in the case of rural development projects run on behalf of Government or other agencies are recognized as income to the extent of expenses incurred thereon. The amount which is incurred but not realized is shown as Grant Recoverable. The balance amount, if any is transferred to Unutilized Grant Account and the same is being accounted as income against expenses in the subsequent years.

(c) All other income is recognized on accrual basis except dividend income, quantity rebate and service charges on revolving fund.

(d) The salary and allowances paid to the employees deputed on particular Social & Rural Development Programs have been included in the expenses of the respective Social & Rural Development Programs.

(iii) Subsidy/Rebate on Seed and Fertiliser

(a) The Marketing Subsidy Claimed with the State Government under various scheme on sale of certified seeds is accounted for on accrual basis.

(b) The Production Subsidy Claimed with the Central Government under various scheme on sale of certified/Foundation seeds is accounted for on receipt basis.

(c) The Plant Subsidy Claimed with the Government under various scheme is accounted for on receipt basis.

(d) The additional rebate, quantity rebate on fertiliser is accounted for on receipt basis.

(iv) Government Grant

Grants of Capital nature and related to specific Property, Plant & Equipment are deducted from gross value of assets. Other grants of Capital nature are credited to Capital Reserve. Grant related to revenue are recognized in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis to match them with related costs.

(v) Property, Plant and Equipments

Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation. Assets transferred to the society as gift are accounted for at ₹ 1/- each.

All direct expenses incurred for acquiring, erecting and commissioning of Property, Plant and Equipments, which are not ready for put into use, are shown under the head "Capital Work-in-Progress". Subsequent expenditures relating to property, plant and equipment is capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each Balance Sheet date is classified as "Capital Advances" under Long Term Loans and Advances.

(vi) Depreciation

(a) The Depreciation is charged on the basis of useful life of the Property, Plant and Equipments . The Society has adopted useful life of Property, Plant and Equipments as given in Part "C" of Schedule II of Companies act, 2013 in respect of all Property, Plant and Equipments. The Society has adopted Straight Line Method for computation of depreciation charged.

(b) Assets are depreciated to the extent of 95% of the original cost except items individually costing upto ₹ 5,000/-, which are fully depreciated in the year of acquisition.

(vii) माल सूचियाँ

(क) माल सूचियों का मूल्य कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है। लागत एफआईएफओ आधार का उपयोग करके निर्धारित की जाती है।

(ख) जहां भी आवश्यक हो, अप्रचलन के लिए प्रावधान किया जाता है।

(viii) निवेश

(क) गैर मौजूदा निवेश का हिसाब लागत पर लगाया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल उस अवस्था में किया गया है जब वह कमी निवेश की लागत में अस्थायी तौर से भिन्न हो।

(ख) चालू निवेशों का मूल्य लागत के न्यून पर अथवा प्रत्येक निवेश के आधार पर समुचित मूल्य पर निर्धारित किया गया है।

(ix) सेवा निवृत्ति लाभ

(क) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ व हानि खातों में अनडिस्काउंटिड आधार पर व्यय के रूप में दिया जाता है, जिस वर्ष में सेवा प्राप्त की जाती है।

(ख) प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड में योगदान मासिक और लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है। कर्मचारियों को देय ग्रैच्युइटी के संबंध में उत्तरदायित्व लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की समूह ग्रैच्युइटी स्कीम की नीति योजना के तहत वित्त पोषित है। व्यय को वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। निधि में चुकाए गए वार्षिक योगदान को लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है।

(x) पूर्व अवधि आय/व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 2,00,000 / – से अधिक नहीं होने वाली पूर्व अवधि (ओं) से संबंधित आय / व्यय आइटम प्रत्येक वर्ष / इकाई को चालू वर्ष के लिए आय / व्यय के रूप में माना जाता है।

(xi) कराधान

(क) वर्तमान कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत लाभ स्वीकार्य पर विचार करने के बाद किया जाता है।

(ख) समय अंतरालों पर आस्थगित कर को विवेकपूर्ण विचार माना जाता है। आस्थगित परिसंपत्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि 'आभासी निश्चितता' नहीं होती है, भविष्य में जब कर योग्य लाभ होगा तब इस प्रकार की आस्थगित कर सम्पत्तियों को वसूल किया जा सकेगा।

(xii) प्रासंगिक देयताएं

प्रकृति में प्रासंगिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं बनता, लेकिन अगर यह प्रभावित करता है तो लेखों को अलग टिप्पणियों द्वारा बताया गया है।

27(ख) लेखाओं पर अतिरिक्त टिप्पणियां:

(I) संविदा पर प्रस्तावित मूल्य (शुद्ध अग्रिम) जोकि पूंजीगत खातों राशि ₹ 30.09 लाख प्रदत्त नहीं किये गये हैं (पूर्व वर्ष में ₹ 68.87 लाख)

(ii) प्रासंगिक देयतायें प्रदान नहीं करने के लिए –

(vii) Inventories:

(a) Inventories are valued at lower of cost or net realisable value. The cost is determined using FIFO basis.

(b) Provision for obsolescence is made, wherever necessary.

(viii) Investments

(a) Non current Investments are carried at cost. Provision for diminution in the value of such investment is made to recognise a decline, other than temporary in the value of the investments.

(b) Current Investments are valued at lower of cost or fair value determined on an investment basis.

(ix) Retirement benefits

(a) Short Term Employees Benefits are recognised as an expenses in the Statement of Profit & Loss Account of the year in which the related services is rendered.

(b) Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund is made monthly and debited to the Statement of Profit and Loss. Liability in respect of gratuity payable to employees is funded under a policy scheme of Group Gratuity Scheme of Life Insurance Co. Ltd . The expenses is recognised at the present value of the amounts payable determined using actuarial valuation techniques. Yearly contribution paid to the Fund is debited to Statement of Profit and Loss.

(x) Prior Period Income / Expenditure

Income/Expenditure items relating to prior period(s) not exceeding ₹ 2,00,000/- in each case is at each Project/Unit is treated as Income/ Expenditure for the current year.

(xi) Taxation

(a) Provision for Current Tax is made after considering benefits admissible under the provisions of the Income Tax Act, 1961.

(b) Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing differences. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

(xii) Contingent Liabilities

No provision is made for liabilities, which are contingent in nature, but if material the same are disclosed by way of notes to the accounts.

27(B)Additional Notes on Accounts

(I) Estimated value of Contracts (Net of Advances) to be executed on Capital Accounts and not provided for - ₹ 30.09 lakh (Previous year ₹ 68.87 lakh).

(ii) Contingent liabilities not provided for -

(Amount in ₹)

विवरण	Particulars	As at 31.3.2022	As at 31.3.2021
आयकर विभाग द्वारा जारी माँग सूचना	Demand Notice issued by Income Tax Authorities	1,293,280	1,293,280
वैट विभाग द्वारा जारी माँग सूचना	Demand Notice issued by VAT Authorities	1,089,231	1,089,231
ऋण की रसीद न देने के रूप में संस्था के खिलाफ दावा	Claim against society not acknowledge as debt	1,969,490	1,369,490
योग	**Total**	**4,352,001**	**3,752,001**

Note (a) - The Society's pending litigations comprise of claims against the Society and proceedings pending with Tax Authorities. The Society has reviewed all its pending litigations and proceedings and has made adequate provisions, wherever required and disclosed the contingent liabilities, wherever applicable, in its financial statements. The Society does not expect the outcome of these proceedings to have a material impact on its financial position.

Note (b) - Direct tax contingencies : The Society has ongoing disputes with income tax authorities relating to tax treatment of certain items. The disputes relate to tax treatment of Contribution towards Social & Rural Development Programmes claimed as deductions. The Society has contingent liability in respect of demands from direct tax authorities for the AY 2019-20, which are being contested by the Society amounting 12.93 Lakhs as at March 31, 2022.

Note (c) - The amounts assessed as contingent liability do not include interest that could be claimed by counter parties.

Note (d) - The Society is subject to legal proceedings and claims, which have arisen in the ordinary course of business. The Society's management reasonably expects that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will not have a material and adverse effect on the Society's results of operations or financial condition.

Note (e) - The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come in to effect has not been notified. The Society will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period when the Code becomes effective.

(iii) संपत्ति का अनुमानित मूल्य

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और गैर चालू निवेशों के अलावा परिसंपत्तियों का यह मूल्य व्यापार की सामान्य परिसंपत्तियों में वसूल होने वाले उन मूल्यों से कम नहीं होगी।

(iv) स्थगित कर संपत्ति / (देयताएं)

शुद्ध स्थगित कर संपत्ति / (देयताएं) का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है: –

(iii) Realisable Value of Assets

In the opinion of the management, the value of any of the assets other than Fixed Assets and Non-Current Investments on realisation in the ordinary course of business will not be less than the value at which these are stated.

(iv) Deferred Tax Asset/ (Liabilities)

The breakup of net Deferred Tax Asset/ (Liabilities) is as under:-

(Amount in ₹)

विवरण	Particulars	As at 31 March'2022	As at 31 March'2021
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**Deferred Tax Asset**		
कर्मचारी लाभ – प्रावधान	Employee Benefits - Provision	1,673,601	1,795,953
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts	2,480,059	2,480,059
		4,153,660	**4,276,012**
विलंबित कर देयता	**Deferred Tax Liability**		
समय अंतर – मूल्यह्रास	Timing Difference - Depreciation	(15,028,351)	(12,922,104)
योग	**Total**	**(10,874,691)**	**(8,646,092)**

In accordance with Accounting Standard-22 "Accounting for Taxes on Income", the net Increase deferred Tax Liabilities (Net) (₹ 22.26) Lakhs, for the year, has been charged to the Statement of Profit & Loss.

(v) संबद्ध पार्टियों की सूची (जैसाकि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है)

(a) उच्च प्रबंधक वर्ग

श्री एस.पी. सिंह, प्रबंध निदेशक
श्री सुकांत शर्मा, वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

(b) एसोसिएट

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

संबद्ध पार्टियों से लेन–देन

(v) List of Related Parties (as identified by the management and relied upon by auditors)

(a) Key Management Personnel

Sh. S.P. Singh, Managing Director
Sh. Sukant Sharma, Sr. Manager (F&A)

(b) Associates

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited

Transactions with Related Parties

(Amount in ₹)

	Particulars	Associates		Key Management Personnel	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
क्रय*	Purchases*	25,739,350,620	29,464,234,046	-	-
तैयार माल की बिक्री	Sale of Finished Goods	114,071,297	158,367,566	-	-
परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Project Expenses	60,110,246	64,935,993	-	-
लाभांश आय	Dividend Income	5,069,800	5,069,800	-	-
अन्य एवं परामर्श आय	Other & Consultancy Income	22,572,009	22,531,506	-	-
किराया भुगतान	Rent Paid	360,678	342,035	-	-
भुगतान किया गया लाभांश	Dividend Paid	6,267,500	12,535,000	-	-
प्रबंधकीय पारिश्रमिक#	Managerial Remuneration#	-	-	11,624,431	9,045,464
खर्चों का भुगतान (अन्य)	Expenses paid (others)	29,133,413	20,168,190	-	-
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण का क्रय	Purchase of Property, Plant and Equipment	-	-	-	-
जमा शेष**	Closing Balance**	3,44,76,218 (Credit Balance)	70,91,64,063 (Credit Balance)	11,624,431	9,045,464

Notes: # Managerial Remuneration for deputed employees is paid by IFFCO.
* difference from IFFCO of Rs. 2.08 Lakhs due to Credit Note issued.
** Net Difference of Rs. 36.38 Lakhs with IFFCO, which is due to Staff Salary not consider Rs. 3.62 Lakhs, Grant Received Diff 13.06 Lakhs, Plant Supply Diff. 25.16 Lakhs, Sale of Seeds Diff -14.84 Lakhs and Others Rs. 9.38 Lakhs.

(vi) सेगमेंट रिर्पोटिंग नीतियां

(अ) सेगमेंट की पहचान

(i) प्राथमिक सेगमेंट

व्यापारिक सेगमेंटः समिति प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी समितियों (पीएफएफसी) के सदस्यों के लाभ हेतु सामाजिक ग्रामीण विकास की गतिविधियों एवं भूमिहीन, सीमांत, छोटे किसान, आदिवासी और विशेषतर महिलाओं के निरंतर आजीविका विकास हेतु उर्वरक और बीज इत्यादि के प्रसंस्करण एवं व्यापार में संलग्न हैं।

(ii) द्वितीय सेगमेंट

जियोग्राफिक सेगमेंटः चूँकि प्राथमिक तौर पर समिति द्वारा गतिविधियाँ देश में सम्पन्न की गई हैं। प्रतिवेदन सेंगमेंट के एएस–17 की परिभाषा के आधार पर अलग से जियोग्राफिक सेगमेंन्ट उजागर करने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) आवंटन अयोग्य मद

संयुक्त / विभाग की आय, व्यय, सम्पत्ति, देनदारियाँ, पूँजी, और संचय को आवंटन आयोग मद का हिस्सा माना जाता है, जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए पहचान योग्य है।

(vi) Segment Reporting Policies

(a) Identification of Segments

(i) Primary Segments

Business Segment: The Society is primary engaged in Social & Rural Development activities for the benefits of members including Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) and for sustainable livelihood of the landless, marginal and small farmers, tribal and women in particular. To achieve its objectives, the Society also deals in Fertilizers Distribution and Processing & Multiplication of Seeds.

(ii) Secondary Segment:

Geographical Segment: Since the activities of Society are primarily carried within the country, hence separate geographical segment disclosure is not required.

(b) Unallocable Items

Common / Corporate income, expenses, assets, liabilities, capital and reserves are considered part of unallocable items which are not identifiable to any business segment.

(स) सेगमेंट सूचना (c) Segment Information

(Amount in ₹)

विवरण	Particulars	Social & Rural Development Programmes		Fertiliser Trading & Seed Multiplication		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
आय	Income						
बिक्री	Sales	-	-	27,331,603,262	30,911,656,315	27,331,603,262	30,911,656,315
परियोजना योगदान/अनुदान	Project Contribution/Grant	87,928,280	84,777,375	-	-	87,928,280	84,777,375
अन्य आय	Other Income	-	-	-	-	-	-
योग आय (अ)	**Total Income (A)**	**87,928,280**	**84,777,375**	**27,331,603,262**	**30,911,656,315**	**27,419,531,542**	**30,996,433,690**
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchase of Stock-in-Trade	-	-	26,946,425,433	30,565,718,744	26,946,425,433	30,565,718,744
प्रत्यक्ष व्यय	Direct Expenses	98,793,406	83,919,259	238,387,820	228,097,886	337,181,226	312,017,145
योग प्रचालन व्यय (ब)	**Total Operating Expenses (B)**	**98,793,406**	**83,919,259**	**27,184,813,253**	**30,793,816,630**	**27,283,606,659**	**30,877,735,889**
सेगमेंट प्रचालन आय (अ–ब)	**Segmental Operating Income (A-B)**	**(10,865,126)**	**858,116**	**146,790,009**	**117,839,685**	**135,924,883**	**118,697,801**
गैर आबन्टित आय	Unallocated Income	-	-	-	-	40,635,619	60,685,947
गैर आबन्टित व्यय	Unallocated Expenses	-	-	-	-	76,360,657	88,281,442
कर	Taxes	-	-	-	-	23,606,318	21,176,349
आस्थगित कर	Deferred Tax	-	-	-	-	2,228,599	247,200
निवल लाभ कर के बाद	**Net Profit After Tax**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,364,928**	**69,678,757**
		As at		**As at**		**As at**	
		31.03.2022	**31.03.2021**	**31.03.2022**	**31.03.2021**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
रोजगार पूँजी	**Capital Employed**						
सेगमेंट परिसम्पत्तियां	Segment Assets	33,681,582	31,286,354	781,807,219	1,525,593,485	815,488,801	1,556,879,839
गैर आबन्टित परिसम्पत्तियां	Unallocated Assets	-	-	-	-	695,989,518	545,047,255
सकल परिसम्पत्तियां	**Total Assets:**	**33,681,582**	**31,286,354**	**781,807,219**	**1,525,593,485**	**1,511,478,319**	**2,101,927,094**
सेगमेंट देनदारियां	Segment Liabilities	15,704,007	13,217,357	801,142,194	1,427,988,622	816,846,201	1,441,205,979
गैर आबंटित देनदारियां	Unallocated Liabilities	-	-	-	-	212,693,818	245,770,794
सकल देनदारियां	**Total Liabilities:**	**15,704,007**	**13,217,357**	**801,142,194**	**1,427,988,622**	**1,029,540,019**	**1,686,976,773**

(vii) प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share

(Amount in ₹)

विवरण	Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
खातों के अनुसार कर के बाद लाभ (रुपये)	**Profit after tax as per accounts (Rs.)**	**74,364,928**	**69,678,757**
वर्ग ए के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 1000/-)	Weighted average number of equity shares Class A (face value Rs.1000/-)	7,935	6,896
लाभ/(हानि) वर्ग ए इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.)	Profit/(Loss) attributable to Class A Equity Shares (Rs.)	4,413,341	4,135,230
वर्ग बी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 10000/-)	Weighted average number of equity shares Class B (face value Rs.10,000/-)	2	2
लाभ/(हानि) वर्ग बी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.)	Profit/(Loss) attributable to Class B Equity Shares (Rs.)	11,124	10,423
वर्ग सी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 50000/-)	Weighted average number of equity shares Class C (face value Rs.50,000/-)	2,515	2,515
लाभ/(हानि) वर्ग सी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.)	Profit/(Loss) attributable to Class C Equity Shares (Rs.)	69,940,463	65,533,104
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.)	**Basic & Diluted EPS (Rs.)**		
वर्ग ए – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 1000/–	Class A - Face value per share Rs.1000/-	**556.19**	**599.66**
वर्ग बी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 10000/–	Class B - Face value per share Rs.10,000/-	**5561.87**	**5211.38**
वर्ग सी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 50000/–	Class C - Face value per share Rs.50,000/-	**27809.33**	**26056.90**

(viii) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत 31 मार्च 2022 तक आपूर्तिकर्ताओं को समिति की कोई रकम देय नहीं है। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:

(viii) The Society has no amounts due to suppliers under The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, [MSMED Act] As at 31st March 2022. The disclosure pursuant to the said Act is as under:

(Amount in ₹)

	Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण प्रिंसिपल राशि	Principal amount due to suppliers under MSMED Act, 2006	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण अर्जित ब्याज	Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount, and unpaid	-	-
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान (ब्याज के अलावा) वर्ष के दौरान नियत दिन से परे	Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान किया गया (धारा 16 के अलावा)	Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than Section 16)	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के तहत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान	Interest paid to suppliers under MSMED Act (Section 16)	-	-
पहले से किए गए भुगतान के लिए एमएसएमडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज	Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made	-	-
एमएसएमडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के अंत में अर्जित और शेष भुगतान नहीं किया गया ब्याज	Interest accrued and remaining unpaid at the end of the year to suppliers under MSMED Act		

Note: The Information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ("the Act") has been determined to the extent such parties have been identified by the Society, on the basis of information and records available with them. The information has been relied upon by the auditors.

(ix) रिवोल्विंग फंड धन का एक ऐसा साधन है जिससे कई प्रकार की लघु एवं सूक्ष्म व्यावसायिक इकाइयों के विकास के लिए व्यवसाय आरम्भ करने तथा आय अर्जन हेतु ऋण की व्यवस्था की जाती है। रिवोल्विंग फंड ऐसे सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म प्रतिष्ठान व ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित संस्थाओं या व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने में विशिष्ट रूप से उपयोगी है जिन्हें जोखिम की अधिकता को देखते हुये अन्य पारम्परिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है। इसमें ऋण लेने वाले विशेष रूप से वस्तुओं व सेवाओं के छोटे उत्पादक जैसे दस्तकार, कृषक व महिलाऐं होते हैं जिनके द्वारा पूर्व में कभी ऋण नहीं लिया होता है अथवा किसी ऋण देने वाली संस्था तक जिनकी पहुँच नहीं होती है। रिवोल्विंग फंड से ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं का उद्देश्य गरीब किसानों, स्वयं सहायता समूहों विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना होता है। वर्ष के दौरान रिवोल्विंग फंड की वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(x) कुछ ठेकेदारों/ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं/प्राप्य/देय और अन्य के साथ जमा राशि की पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है, जो प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(xi) कोविड–19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

समिति ने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड–19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें परिसंपत्तियों की वहन राशि की कवरेबिलिटी शामिल है। इसके अलावा, प्रभाव मूल्यांकन समिति की क्षमता पर किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव का संकेत नहीं देता है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, समिति ने वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि पर, क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी और आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और यह आशा है कि, परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी। समिति के वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव, इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

(xii) वित्त अधिनियम, 2020, ("अधिनियम"), जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है, के अनुसार समितियों के पास धारा 115बीएडी प्लस लागू अधिभार और उपकर ("नई कर व्यवस्था") पर आयकर की कुछ शर्तों के अधीन 22% भुगतान करने का विकल्प है। चालू वर्ष से, समिति ने आय अधिनियम में उपलब्ध कम कर दर के विकल्प का लाभ उठाने का विकल्प चुना है।

(xiii) बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 की धारा 63 (2)(ए) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन, समिति की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 5% की दर से लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव है। वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश ₹ 0.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.66 करोड़) है।

(xiv) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत /पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(ix) A Revolving Loan Fund (RLF) is a source of money from which loans are made for various micro small business development initiatives or income generation. Revolving loan funds has many characteristics with microcredit, micro-enterprise, and village banking, providing loans to persons or groups of people that do not qualify for traditional financial services or are otherwise viewed as being high risk. Borrowers tend to be small producers of goods and services - typically artisans, poor farmers, and women who have no credit history or access to other types of loans from financial institutions. Organizations that offer revolving loan fund lending aim to help Poor farmers and member of the self help group particularly women become financially independent. No provision has been made during the year as there is recovery in revolving fund.

(x) Balances of some of the contractors/customers/suppliers/receivable/payable and deposits with others are subject to confirmation/reconciliation and consequential adjustments, if any, which in the opinion of the management would not be material.

(xi) Estimation of uncertainties relating to the global health pandemic from COVID-19

The Society has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 in the preparation of the financial statements including there coverability of carrying amounts of assets. Further the impact assessment does not indicate any adverse impact on the ability of the society to continue as a going concern. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Society has, at the date of approval of the financial statements, used internal and external sources of information including credit reports and related information and economic forecasts and expects that the carrying amount of the assets will be recovered. The impact of COVID-19 on the Society's financial statements may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements.

(xii) Pursuant to the enactment of the Finance Act, 2020, ('Act') which is effective from April 1. 2021, Societies have the option to pay income tax at 22% u/s 115BAD plus applicable surcharge and cess ('new tax regime') subject to certain conditions. From Current year, the Society has opted to avail the option of lower tax rate as available in the Income Act.

(xiii) As per Multi State Cooperative Society Act 2002 Section 63 (2) (a) Dividend is proposed to be paid @ 5% on the paid-up Equity Share Capital of the Society, Subject to the approval at the Annual General Meeting. The proposed dividend for the year work out to ₹ 0.67 Crore (Previous year ₹ 0.66).

(xiv) Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
For S. Tekriwal and Associates
Chartered Accountants
FRN: 009612N

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
(Partner)
M.No. 088262

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Sr. Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 15.06.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

(Amount in ₹)

			Year Ended 31.03.2022		Year Ended 31.03.2021
(अ) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	**(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**				
कर–पूर्व निवल लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) before tax		**100,199,845**		**91,102,306**
के लिये समायोजन	**Adjustment for:**				
मूल्यह्रास से	Depreciation	8,686,539		7,778,243	
ब्याज आय	Interest Income	(21,280,674)		(19,459,308)	
लाभांश की आय	Dividend Income	(5,069,800)		(5,069,800)	
संदिग्ध ऋण	Bad Debts	671,156		-	
संदिग्ध ऋण एवं निवेश के लिए प्रावधान व्यय	Provision for Doubtful Debts Expenses	-		5,524,448	
निवल ब्याज व्यय	Net Interest Expenses	20,693,340		32,129,774	
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री से लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) on sale of Property, Plant and Equipment	(2,243)	3,698,318	(11,929,250)	8,974,107
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	Operating Profit before Working Capital Changes		**103,898,163**		**100,076,413**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन	**Adjustment for Working Capital Changes :**				
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Trade Receivables	693,308,996		1,766,088,996	
इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	58,113,347		42,945,043	
अल्पावधिक अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short-Term Advances	(6,968,011)		85,947,998	
दीर्घावधिक अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long-Term Advances	17,183,479		3,711,046	
व्यापार देयताओं में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Trade Payable	(675,291,447)		(2,135,586,555)	
अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Current Liabilities	18,360,085		287,701,773	
अल्पावधिक प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short-Term Provision	5,637,541		(20,410,023)	
दीर्घावधिक प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long-Term Provision	(16,132)	110,327,858	1,374,639	31,772,917
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	**Cash flow from operating activities**		**214,226,021**		**131,849,330**
घटाएं: आयकर (धन वापसी का निवल)	Less: Income Tax (Net of Refund)	24,062,758		11,963,382	
घटाएं: सहकारी शिक्षा निधि	Less: Cooperative Education Fund	743,649	(24,806,407)	696,788	(12,660,170)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी	**NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES**		**189,419,614**		**119,189,160**
(ब) निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाहः	**(B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद/सीडब्ल्यूआईपी	Purchase of Property, Plant and Equipments/CWIP	(21,557,973)		(14,897,628)	
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री	Sale of Property, Plant and Equipments	234,858		54,281,301	
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण पर पूँजीगत अनुदान	Capital Subsidy on Property, Plant and Equipments	-		3,125,000	
सावधि जमा में निवेश	Investments in Fixed Deposits	(89,700,000)		(239,700,000)	
सावधि जमा से प्राप्त लाभ	Interest Received from Fixed Deposits	3,520,155	(107,502,960)	17,735,635	(179,455,692)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी का प्रवाह	**NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES**		**(107,502,960)**		**(179,455,692)**
(स) वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाहः	**(C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**				
शेयर पूंजी/शेयर आवेदन से प्राप्तियां	Proceeds from Share Capital / Share Application Money	19,000		1,020,000	
दीर्घावधिक के ऋण से वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) from Long-Term Borrowings	(8,374,400)		3,007,636	
अल्पावधिक के ऋण से वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) from Short-Term Borrowings	-		-	
भुगतान किया गया लाभांश	Dividend Paid	(6,633,300)		(13,266,600)	
प्राप्त लाभांश	Dividend Received	5,069,800		5,069,800	
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	(20,693,340)		(32,129,775)	
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की गई निवल नकदी	**NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES**		**(30,612,240)**		**(36,298,939)**
नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**		**51,304,414**		(96,565,471)
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINING OF THE YEAR		295,025,325		391,590,796
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	**CASH AND EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR**		**346,329,739**		**295,025,325**
नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी:	**Notes to the cash flow statement:**				
1. नकदी और नकदी समतुल्य में, हाथ में नकदी, बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं।	1. Cash and cash equivalents consists of cash in hand and Balances with Banks.				
2. नकदी प्रवाह विवरण में जो प्रस्तुत नकदी व नकदी समतुल्य तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं शेष हैं।	2. Cash and cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet amounts.				
पास में नकदी	Cash in Hand		84,073		89,819
अनुसूचित बैंकों में शेषः	Balance with Scheduled Banks:				
– चालू खाते एवं बचत खाते	- Current accounts and saving accounts		71,076,516		87,102,091
– सावधिक जमा	- Fixed Deposits		275,169,150		207,833,415
			346,329,739		**295,025,325**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
For S. Tekriwal and Associates
Chartered Accountants
FRN: 009612N

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
(Partner)
M.No. 088262

कृते इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Sr. Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 15.06.2022

श्री राकेश कपूर, संयुक्त प्रबंध निदेशक, इफको द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. कटक (ओडिशा) परियोजना कार्यालय में समूह सदस्यों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन

आई.एफ.एफ.डी.सी. निदेशक मण्डल द्वारा इफको–ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना–सिलिगुड़ी (उत्तरी बंगाल) में इफको नैनो यूरिया का संवर्द्धन

रामशाहपुर वानिकी समिति (उत्तर प्रदेश) के जलमग्न क्षेत्र में विकसित सघन वन बना लाखों पक्षियों का आशियाना

IFFDC

Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेन्ट कोआपरेटिव लिमिटेड
INDIAN FARM FORESTRY DEVELOPMENT COOPERATIVE LIMITED

मुख्यालय: एफ.एम.डी.आई., इफको कॉलोनी, सेक्टर–17बी, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)

Head Office: FMDI, IFFCO Colony, Sector-17B, Gurgaon-122001 (Haryana)

दूरभाष / Telephone: 0124-2340148, फैक्स / Fax: 0124-2340149

ई–मेल / E-mail: iffdcchiefexecutive@gmail.com, वेबसाईट / Website: http://www.iffdc.in

Concept & Design: Publicity Deptt., IFFDC